लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 11.8.4
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and/ contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/Contents

अंक 17—गुरूवार 24 नवम्बर, 1966/3 अग्रहायण 1888 (शक)

No. 17—Thursday, November 24, 1966/Agrahayana 3, 1888 (Saka)

विषय		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos.		
481. बाढ़ के कारण क्षति .	Damage due to Floods .	2119-2125
482. अणु शक्ति के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Atomic Energy	2126-2128
483. चीन में बनी हुई वस्तुओं का भारत में चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Chinese made goods into India	2129-2132
485. सिंचाई की क्षमता .	Irrigation Potential .	2132-2136
487. परिवार नियोजन योजनायें	Family Planning Schemes .	2136
506. परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme . . .	2136-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
484. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना	National Defence Remittance Scheme	2139
486. मजूरी में वृद्धि का बढ़ी हुई उत्पादिता से सम्बन्ध	Relationship between Wage Rise and Increased Productivity . . .	2139-2140
488. सिंचाई योजनायें .	Irrigation Schemes	2140
489. अमरीका के साथ पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये करार	Agreements signed with USA under PL 480	2141
490. गर्भपात को वैध बनाना .	Legalisation of Abortion . .	2141
491. समान बिक्री कर प्रणाली	Uniform Sales Tax Pattern .	2142
492. अमरीकी सहायता .	U.S. Aid	2142

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S.Q. Nos.

493.	कम खर्च पर इलाज तथा डाक्टरी की शिक्षा	Cheap Medical Treatment and Education .	2142
494.	एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी	Advance Insurance Company .	2142-2143
495.	औद्योगिक वित्त निगम .	Industrial Finance Corporation . .	2143
496.	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employess of Damodar Valley Corporation	2143
497.	बिहार में सूखा ..	Drought in Bihar . .	2144-2145
498.	स्टाफ कारें . .	Staff Cars	2145
500.	संसद भवन में फर्नीचर .	Furniture in Parliament House . . .	2145
501.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी	Indo-Burma Petroleum Co. . . .	2146
502.	शिक्षित वर्गों में बेरोज़गारी	Unemployment among Educated Classes	2146-2147
503.	बिजली की कमी	Power Shortage . .	2147-48
504.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी .	M/s. Bird & Co.	2149
505.	दिल्ली में अंग्रेजों की मूर्तियों का हटाया जाना	Removal of Statues of Britishers in Delhi .	2149
507.	वेतन-बचत योजना .	Salary Saving Scheme . .	2149-2150
508.	भारत सहायता सार्थ संघ	Aid India Consortium . . .	2150
509.	नेताओं की मूर्तियां .	Statues of Leaders . . .	2150-2151
510.	नागार्जुनसागर परियोजना	Nagarjunasagar Project . .	2151

अता० प्र० संख्या
U.Q.Nos.

2246.	रीटा बिस्कुट फैक्टरी, पटियाला	Rita Biscuit Factory, Patiala .	2151-2152
2247.	रूबी इंश्योरेंस कम्पनी .	Ruby Insurance Co.	2152
2248.	छिपाई हुई आय के बारे में सूचना देने के लिये पुरस्कार	Awards for giving information regarding concealed income	2153
2249.	निर्यात	Exports . . .	2153
2250.	दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना	Shifting of Government Offices from Delhi	2153-2154
2251.	मन्दिरों में सोना	Gold with Temples . . .	2154

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2252.	आवास ऋण सम्बन्धी नियम	Rules for Housing Loans .	2154-2155
2253.	बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आदिम जातीय लोग	Tribals in Drought Striken Areas of Bihar	2155-2156
2254.	पकाये हुए भोजन पर बिक्री कर	Sales tax on Cooked Food	2156
2255.	कर अपवंचन .	Tax evasion	2156-2158
2256.	दिल्ली के लिये आलर्क रोग (रैबीज) नियंत्रण कार्यक्रम	Rabies Control Programme for Delhi	2158
2257.	आंध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	Schemes for Flood Control in Andhra Pradesh	2158-2159
2258.	उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड .	Tribal Blocks in Orissa .	2159
2259.	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के ड्राइवरों के लिए रेलवे पास	Railway Passes for Drivers in Government Hospitals in Delhi	2160
2260.	सुपर बाजारों के लिये इमारतें	Buildings for Super Bazars . .	2160
2261.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programmes .	2160-2161
2262.	कोलार स्वर्ण खानें .	Kolar Gold Mines	2161
2263.	देहातों में बिजली लगाने का कार्यक्रम .	Rural Electrification Programme	2161-2162
2264.	जीवन बीमा निगम की मकान निर्माण योजना	L.I.C. Housing Scheme . .	2162-2163
2265.	बाढ़ नियंत्रण उपाय .	Flood Control Measures	2163
2266.	वाई० डब्ल्यु० सी० ए० होस्टल	Y.W.C.A. Hostel	2164
2267.	रुद्रपुर में फर्मों द्वारा करापवंचन	Tax Evasion by Firms in Rudrapur . .	2164
2268.	मन्माड रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया सोना	Gold seized at Manmad Railway Station .	2164

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2269.	रोशनारा पेंट्स एण्ड वारनिश वर्क्स, दिल्ली	Roshanara Paints and Varnish Works, Delhi	2165
2270.	इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से सोना पकड़ा जाना	Gold seized from Passengers at Allahabad Railway Station	2165
2271.	इमारतों का गिराया जाना	Demolition of Buildings	2165
2272.	"इकाफे" के अन्तर्गत महावेली (श्रीलंका) से बिजली की खरीद	Purchase of ECAFE Electricity from Mahaveli (Ceylon)	2166
2273.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres . .	2166-2167
2274.	पानागढ़ कृषि फार्म .	Panagarh Agricultural Farm . .	2167-2168
2275.	बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली की खपत सम्बन्धी सर्वेक्षण	Power Market Survey in Bihar and West Bengal	2168-2169
2276.	कलकत्ता में आयकर संबंधी जांच पड़ताल	Income-Tax investigations in Calcutta .	2169
2277.	बी० आई० एम० एस० तथा ए० एम० बी० एस० स्नातकों द्वारा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम लिया जाना	B.I.M.S. & A.M.B.S. Graduates to take up M.B.B.S. Course	2169
2278.	गुजरात के भूतपूर्व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर के विरुद्ध आरोप	Allegation against former Collector of Central Excise Gujarat	2170
2279.	मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल फर्म समूह द्वारा नियमों का उल्लंघन	Violation by M/s Aminchand Pyarelal Firms	2170-2171
2280.	आयकर अधिकारियों का तबादला	Transfer of Income tax Officers	2171-2172
2281.	मैसर्स ओरियेंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स मैकैन्जीज लिमिटेड, बम्बई	M/s Oriental Timber Trading Corporation (Pvt.) Ltd., and M/s Makenzies Ltd., Bombay	2172

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2282.	दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers and Employees of Government Hospitals in Delhi . . .	2172
2283.	लूप	Loop	2173
2284.	ओरियेंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.	2173
2285.	श्री एच० डी० मूंदड़ा के नाम आयकर की बकाया राशि	Income tax Arrears outstanding against Shri H.D. Mundhra	2173-74
2286.	मैसर्स ओर्र दिग्नैम एण्ड कम्पनी	M/s Orr Dignam and Co. . .	2174
2287.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा विकसित किये गये प्लाट	Plots Developed by DDA	2174
2288.	शक्ति नगर, दिल्ली के निकट दिल्ली विकास प्राधिकार के प्लाट	DDA Plots near Shakti Nagar, New Delhi	2175
2289.	विकलांग भिखारियों को रोजगार तथा प्रशिक्षण	Rehabilitation and Training of Handicapped Beggars	2175
2290.	सिंचाई योजनाओं पर सूखे का प्रभाव	Effect of Drought on Irrigational Schemes	2175-2176
2291.	मद्रास में अन्ध तथा बधिर विद्यालय	Blind and Deaf School, Madras . . .	2176
2292.	आदिम जाति अनुसन्धान संस्थाएं	Tribal Research Institutes .	2176-2177
2293.	बीमा दावे . .	Insurance Claims	2177-2178
2294.	क्षय रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा	Free Treatment for T.B. Patients ,	2178-2179
2295.	केन्द्रीय सचिवालय के पदाधिकारियों के घरेल टेलीफोनों पर व्यय-	Expenditure on Residential Telephones of Officers of Central Secretariat . .	2179-2180

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2296.	गांवों में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water to Rural Areas	2180
2297.	भारत का यूनिट ट्रस्ट .	Unit Trust of India . .	2180-2181
2298.	फरक्का बांध .	Farakka Barrage	2181
2299.	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना	Regularisation of Unapproved Colonies in Delhi	2181
2300.	बाढ़ों के कारण धूसी बांध को क्षति	Damage to Dhussi Dam by Floods .	2181-2182
2301.	निर्माण विशेषज्ञों का सम्मेलन	Conference of Construction Experts . .	2182
2302.	भारतीय निवेष केन्द्र .	Indian Investment Centre . .	2182-2183
2303.	इछमपाल्ली बांध परि-योजना	Ichhampalli Dam Project . . .	2183
2304.	वाराणसी में चोरी-छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	Smuggled Gold seized in Varanasi . .	2183
2305.	आसाम में बाढ़ की स्थिति	Flood situation in Assam . . .	2183
2306.	अनुसूचित जातियों की सूची में 'वाला' जाति को शामिल करना	Inclusion of Vala Community in List of Scheduled Castes	2184
2307.	धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को सुविधाएं	Benefits to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Convertees	2184-2185
2308.	नियंत्रण वाली वस्तुओं पर बिक्री कर	Sales Tax on Controlled Commodities .	2185
2309.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Central Excise Duty . . .	2185
2310.	बंध्यीकरण . .	Sterilisation	2185-2186
2311.	केरल में सिंचाई परियोज-नाएं	Irrigation Projects in Kerala . . .	2186
2312.	बिहार में बाढ़	Floods in Bihar	2186

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2313.	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग	Indian Audit and Accounts Department	2187
2314.	त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण	Flood Protection in Tripura . .	2187
2315.	अस्पतालों में ड्राइवरों को समयोपरि भत्ता	Over-time Allowance to Drivers in Hospitals	2188
2316.	दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के ड्राइवरों के लिए क्वार्टर	Quarters for Drivers in Government Hospitals in Delhi	2188
2317.	दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ड्राइवरों के वेतन क्रम	Pay scale of Drivers in Government Hospitals in Delhi	2188-2189
2318.	भारत–नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Indo-Nepal Border .	2189
2319.	गांवों में बिजली लगाने पर व्यय	Expenditure on Rural Electrification . .	2190-2191
2320.	तीसरी योजना में पेय जल सम्भरण योजनाओं के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Drinking Water Schemes During Third Plan	2191
2321.	अमरीका, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस से शान्ति दल के युवकों का भारत आगमन	Peace Corps Youths from USA, West Germany and France	2191-2192
2322.	कोटला मुबारकपुर के लिए विकास योजना	Development Plan for Kotla Mubarakpur .	2192
2323.	राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States . . .	2193
2324.	भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड	Bhakra Control Board	2193-2194
2325.	ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना	Gold seized at Gwalior Railway Station .	2194
2326.	बिहार में आदिम जातीय कल्याण	Tribal Welfare in Bihar	2194
2327.	बिहार में सूखे से पीड़ित आदिम जातियों को सहायता	Relief to Drought Stricken Tribals in Bihar	2195

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2328	कुछ कम्पनियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितायें	Financial Irregularities committed by certain companies	2195-2196
2329.	पालम हवाई अड्डे पर सोना पकड़ा जाना	Gold seized at Palam Airport . . .	2196
2330.	मदनगीर कैम्प, दिल्ली .	Madangir Camp, Delhi . . .	2196-2197
2331.	रामकृष्णपुरम में खोखा मालिकों को दुकानों का आवंटन	Allotment of shops to Khokha owners in Ramakrishnapuram	2197
2332.	दिल्ली में होमियोपैथिक औषधालय	Homoeopathic Dispensaries in Delhi . .	2197
2333.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति की नवीं बैठक	Ninth Meeting of Central Direct Taxes Advisory Committee	2198
2334.	बिगड़ा हुआ जुकाम रोग	Chronic Cold	2198
2336.	मद्रास में कीमती नगों का पकड़ा जाना	Seizure at Madras . . .	2198-2199
2337.	विदेशी मुद्रा कोष .	Foreign Exchange Reserves . . .	2199
2338.	पंजाब में सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना की स्थापना	Setting up of a public sector project in Punjab	2199-2200
2339.	पश्चिम बंगाल में अपंजीकृत डॉक्टर	Non-Registered Doctors in West Bengal	2200
2341.	असाध्य रोगों के इलाज के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये विदेशों को भेजे गये विशेषज्ञों पर व्यय	Expenditure on experts sent abroad to study Treatment of Fatal Diseases . . .	2200-2201
2342.	मैसर्स ओरियेंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Timber Trading Corporation .	2201
2343.	संसद सदस्यों के फ्लैट .	M.P. Flats	2201
9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2171 के उत्तर में शुद्धि		Correction of answer to unstarred question No. dated 9.12.1965.	2201 2202

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2203
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 25 नवम्बर, 1966 को प्रस्तावित हड़ताल	Proposed strike by LIC employees on 25th November, 1966.	2207
श्री इन्द्रजीत गुप्त .	Shri Inderjit Gupta . .	2203
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chowdhury . .	2203--2208
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में .	Re. Point of Order	2208
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	Papers Laid on the Table	2209
अध्यक्ष महोदय को पद से हटाने के लिये संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृति नहीं दी गई	Motion Re leave to move Resolution for removal of Speaker—leave not granted .	2212
विधेयक पुरःस्थापित . .	Bill Introduced	2217
भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक	Indian Tariff (Second Amendment) Bill	2217
विधेयक पारित .	Bills Passed	2217
विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966	Appropriation (No. 4) Bill, 1966 . .	2217
विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966	Appropriation (No. 5) Bill, 1966 .	2218
कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion Re. Notification under Companies Act—adopted	2219
श्री हिम्मतसिंहका .	Shri Himatsingka . . .	2219
श्री इन्द्रजीत गुप्त .	Shri Indrajit Gupta . .	2220
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj . .	2220
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dwivedy	2221
श्री दे० द० पुरी	Shri D.D. Puri . .	2222
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G.N. Dixit .	2223
श्री बड़े . .	Shri Bade	2223
श्री च० क० भट्टाचार्य .	Shri C.K. Bhattacharyya . .	2223
श्री मधु लिमये . .	Shri Madhu Limaye . .	2223

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	Shrimati Renu Chakravartty .	2224
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी .	Shri J.P. Jyotishi	2224
श्री गोपाल स्वरूप पाठक .	Shri G.S. Pathak	2224
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	2227
खंड 20—जारी	Clause 20—Contd.	
विद्यार्थियों में असंतोष तथा हाल के महीनों में हुई गड़बड़ के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Student Unrest and Troublein recent months	2228
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . .	2228
डा० कर्णीसिंह जी .	Dr. Karni Singhji . . .	2228
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza . .	2230
श्री जी० भ० कृपालानी	Shri J.B. Kripalani . .	2230
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray . .	2231
श्रीमती शारदा मुकर्जी .	Shrimati Sharda Mukerjee .	2232
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia . .	2233
श्री अ० च० गुह	Shri A.C. Guha	2235
श्री उमानाथ .	Shri Umanath . . .	2237

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 24 नवम्बर, 1966/3 अग्रहायण, 1888 (शक)
Thursday November 24, 1966/Agrahayan 3, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बाढ़ के कारण क्षति

+

*481. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० म० मो० दास :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती स वित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प० ह० भील:
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री दिगे :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री बै० रा० कुरील :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री केप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अगस्त के बाद आई बाढ़ के कारण देश में, राज्यवार, जान और माल का कितना नुकसान हुआ ;

(ख) भिन्न-भिन्न राज्यों में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ग) इन बाढ़ों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या देश में नदियों के तलकर्षण के लिये कोई व्यापक योजना बनाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) इस वर्ष अगस्त के बाद आई बाढ़ के कारण हुए नुक्सान के पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1 जून से 30 सितम्बर, 1966 के दौरान आई बाढ़ के कारण हुई जान तथा माल की हानि की अब तक उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 7411/66)]

(ख) आसाम तथा बिहार की सरकारों से केन्द्रीय सहायता के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं । नुकसान की पूर्ति तथा अन्य सहायता कार्यों के लिये आसाम सरकार को 1.50 करोड़ रुपये का ऋण तथा 0.50 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है तथा बिहार सरकार को बाढ़ तथा सूखे से हुई हानि की पूर्ति के लिये 1.5 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । यह राशि बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये आसाम तथा बिहार को दी गई क्रमशः 2 करोड़ तथा 64 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त है ।

(ग) बाढ़ों को रोकने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा शीघ्र तथा अल्पकालिक उपाय किये गये हैं । जिन में बांध बनाना, नदियों के बहाव (चैनल्स) को सुधारना, ग्रामों को बाढ़ के स्तर से ऊंचा करना, संकट काल में प्रयुक्त होने के लिये ऊंचे थड़े बनाना, नदियों के प्रवाह को काबू में रखना, मिट्टी के कटाव को रोकने के कार्य करना तथा नगरों की सुरक्षा के कार्य इत्यादि शामिल हैं । दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत बांधों अथवा जलाशयों का निर्माण तथा विभिन्न नदियों के निकट भूमि संरक्षण के कार्य इत्यादि शामिल हैं ।

(घ) जी नहीं । बिहार तथा आसाम में नदियों की सीमित गहराई (लिमिटेड रीच) के लिए तलकर्षण की योजना बनाई जा रही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि इन बांधों के कारण लगभग 66 करोड़ रुपये की हानि हुई है । कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं जो मंत्रालय को उपलब्ध नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आसाम तथा बिहार कोष, अतिरिक्त जिन्हें इन बाढ़ों के कारण सब से अधिक नुकसान हुआ है, परन्तु अन्य राज्यों को भी कितनी राशि ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी गई है, ताकि वे बाढ़ से हुई हानि की पूर्ति कर सकें ।

डा० कु० ला० राव : वर्ष 1966–67 में विभिन्न राज्यों को कुल 8.6 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस के बाद कुछ अन्य राज्यों ने भी धन की आवश्यकता व्यक्त की है और आशा है कि इस राशि में 2 से 3 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की जायेगी। शायद हमें वर्ष 1966–67 के दौरान लगभग 11.6 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : हमारे देश में बार-बार बाढ़ें आती हैं तथा हमें प्रतिवर्ष इन बाढ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इन बाढ़ों को रोकने के लिये और विशेषतया आसाम, बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों में बाढ़ों को रोकने के लिये, जहां इन बाढ़ों से सब से अधिक हानि होती है कोई योजना——यद्यपि मैं योजनाओं में बहुत अधिक विश्वास नहीं करता हूं, बनाई है ।

डा० कु० ला० राव : यह सच है कि भारत में जहां बहुत बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। भारत के विभिन्न भागों के लिये एक वृहत योजना बनाई गई है, जिस पर लगभग 1,000 करोड़ लागत आयेगी। ज्यूंही धन उपलब्ध होता है, आसाम तथा बिहार जैसे महत्व-पूर्ण राज्यों को सर्वप्रथम तथा बाद में अन्य राज्यों को जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, धन दिया जाता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि आसाम में बहुत सी भूमि बेकार पड़ी है तथा आसाम की दो तिहाई भूमि पहाड़ी क्षेत्र में है। वहां पर एक तिहाई जनता मैदानी क्षेत्र में और दो तिहाई से अधिक मैदानी क्षेत्रों में रहती है तथा एक तिहाई से कम पहाड़ी क्षेड़ों में तथा लोगों के रहने के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है ? वर्ष 1954 से प्रतिवर्ष आसाम में बाढ़ें आ रही हैं तथा उनके कारण आसाम की उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। केवल ब्रह्मपुत्र नदी के कारण प्रति वर्ष 25,000 एकड़ भूमि बाढ़ ग्रस्त हो जाती है और सारे आसाम में बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। इन बातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष ब्रह्मपुत्र नदी के कारण होने वाले आसाम की भूमि के कटाव को रोकने के लिए तथा आसाम की उपजाऊ भूमि का संरक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० कु० ल० राव : सारे भारत में आसाम में बाढ़ की समस्या सब से कठिन है। इस बात को स्वीकार कर लिया गया है और हम इस प्रश्न पर वैज्ञानिक दष्टि से विचार कर रहे हैं तथा इस के लिये यथासंभव अधिक से अधिक धन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आसाम के मैदानों को बाढ़ों से बचाने के लिये काफी मात्रा में धन दिया जा रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि बाढ़ों के आने के बाद केन्द्र ने कुछ जांच समितियों का गठन किया था और यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन की सिफारिशों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है तथा केन्द्र राज्यों को कितनी सहायता दे रहा है।

डा० कु० ला० राव : यह सच है कि विशिष्ट समस्याओं के लिये बहुत सी समितियां नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों में से प्रत्येक समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है।

श्री रंगा : उन्हें उठा कर रख दिया जाता है।

डा० कु० ला० राव : जी, नहीं।

Shri M. L. Dwivedi: May I know whether the Minister himself or any of the high officials and experts of his Ministry have visited Assam and Bihar and found out that the floods, which yearly occur there, are of the some devastating nature and cover more or less the same area? After on the spot study, do they consider that the amount being given by Central Government is sufficient and if not, what arrangements are being made in this regard?

डा० कु० ल० राव : जैसा मैं ने पहले बताया विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, उन के प्रतिवेदन का अध्ययन किया जाता है तथा धन को देखते हुए जहां तक संभव होता है निवारक उपाय किये जाते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : बाढ़े तो प्रतिवर्ष आती हैं, क्या इस वर्ष की बाढ़ें कुछ असाधारण हैं ?

डा० कु० ल० राव: इन बाढ़ों में कोई असाधारण बात नहीं है। वर्ष 1966–67 में बाढ़ों के आने का कारण अधिक वर्षा होना नहीं था, बल्कि ये इस कारण से आई थीं क्योंकि आसाम में लगातार वर्षा हुई थी तथा नेपाल की पहाड़ियों में थोड़े दिनों में बहुत अधिक वर्षा हुई थी अन्यथा इस वर्ष देश में कुल वर्षा अन्य वर्षों की तुलना में बहुत कम हुई है।

श्री म० मो० दास : इस बात को देखते हुए कि बाढ़ लाने वाली नदियों के क्षेत्रों से बनों का का जो शीघ्रतापूर्वक नाश हो रहा है वह बाढ़ लाने का एक मुख्य कारण है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि कितने वन नष्ट हुए हैं तथा उचित निवारक उपाय के रूप में सफलतापूर्वक कितने वनरोपण किए हैं। तथा क्या केन्द्रीय सरकार के वन विभाग को सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन लाने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि वनों का नाश होने के कारण दो प्रकार की हानि होती है— एक तो उस से पानी अधिक दूर तक फैलता है और दूसरे पानी रेत को बहा ले जाता है जिस से भूमि का कटाव हो जाता है। कृषि मंत्रालय और सिंचाई मंत्रालय के सहयोग से भूमि संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं। भारत में बहने वाली नदियों के बारे में कुछ मूल कठिनाईयां हैं। उन में से बहुत सी नदियां और विशेषतया बंगाल तथा बिहार की उत्तरी नदियां नेपाल के क्षेत्र से तथा तिब्बत के क्षेत्र से भी आती हैं। वे हमारी पहुंच से बाहर है तथा उन क्षेत्रों के संबंध में भूमि संरक्षण का काम करने में हमें कुछ कठिनाईयां हैं। कोसी नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में हम नेपाली अधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं कि वे हमें उस क्षेत्र में भूमि संरक्षण के कार्य करने की सुविधा दें।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ तथा सूखे की सहायता के लिये बिहार को जो 1.5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है उसके अतिरिक्त बिहार में तलकर्षण कार्य के लिये जो धन खर्च करने का सरकार का विचार है क्या ववह धन बिहार सरकार को ऋण के रूप में दिया जायेगा अथवा वह भारत सरकार की ओर से खर्च होगा ?

डा० कु० ला० राव : वह बिहार के लिये सहायता ऋण होगा। केन्द्र सरकार सब बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये ऋण के ही रूप में धन देती है।

Shri Vishwa Nath Pandey: The statement which has been laid on the Table of the House contains information regarding financial assistance to Assam and Bihar, but no information about U.P. has been given therein. The Chitauni bund, which was situated in Daveria district broke during last July and August and due to that 25 villages were washed away. Thousands of people suffered heavy loss on that account and many cattle heads were perished. I want to know what action has been taken by Government in this matter and what assistance has been given?

डा० कु० ला० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश में छितौनी बांध में भारी दरार आ गई थी। गत 12 वर्षों में यह बांध 1 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था तथा इस की लम्बाई 21 मील थी। हमारे तकनीकी अधिकारियों ने कहा था कि इस बांध का संरक्षण किया जाना चाहिये और इस के संरक्षण के लिये उपाय किये जाने चाहियें ताकि इसे बिल्कुल ठीक हालत में रखा जा सके। परन्तु राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना था कि वर्तमान हालत में उस बांध को रखना बहुत महंगा है। इसलिये उन्होंने इस में दरार पड़ने से रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की तथा उस बांध में दरार पड़ गई जिस के परिणामस्वरूप जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कुछ हानि हुई है। तब से राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि बांध की मरम्मत इत्यादि तथा उस क्षेत्र के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister has himself seen that a dam has been constructed along the Buri Gandak river right from the down upto my district on one side of the river. The result is that Motihari city is submerged in the water. He had told that the dam would be constructed on the other side of the river also with a view to save Motihari city and the people living there. I want to know by what time the assurance given to us by the hon. Minister would be fulfilled and dam constructed on both the banks of the river Gandak, so that people of our district could be saved from devastation. The total damage caused to Bihar due to floods is to the tune of 390 million rupees. By what time the dam on both the banks of the river would be completed?

डा० कु० ला० राव : यह सच है। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह सच है। बूढ़ी गंडक में मुजफ्फरपुर से ऊपर कोई बांध नहीं है—नीचे बांध है पर ऊपर बांध नहीं हैं। इस लिये वहां अधिक बाढ़ें आती हैं। मैं ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस काम को आरम्भ करें। इस सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार से और पत्र व्यवहार करूंगा तथा यह सुनिश्चित करूंगा कि यह काम शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय।

Shri K. N. Tiwary: Floods and droughts have become an annual feature. In the statement it has been stated that in order to prevent floods measures like construction of embankments, improvement of river channels etc. etc. have been taken. So I want to know to what extent floods have been controlled by these measures. I would like to know whether any study has been made in order to utilise flood waters for irrigational purposes and if so, what benefits the cultivators are getting as a result of this study?

डा० कु० ला० राव : महोदय अब तक हम देश के 20 प्रतिशत क्षेत्र को बाढ़ों से उचित संरक्षण देने में सफल हुए हैं। 80 प्रतिशत क्षेत्र में अभी काम करना बाकी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है विशेषतया उत्तर बिहार तथा आसाम के कुछ क्षेत्रों में उन नदियों से, जब उन में बाढ़ आती है, सिंचाई की जायेगी। इस बात पर ध्यान रखा जा रहा है तथा जब भी वहां कहीं बांध बनाये जायेंगे सिंचाई भी अवश्य की जायेगी।

Shri Yashpal Singh: According to Government figures an amount of Rs. 2,000 millions is being spent on flood control works under the flood control scheme. We have nearly 60—65 crore acres of cultivable land and we have 2·5 crore pairs of bullocks, 2:5 crore ploughs and seventy thousand tillers. We are unable to till the entire cultivable land with these bullocks, ploughs and tillers. There is no arrangement for irrigation and as the land is not tilled it does not absorb water and that is why floods occur. I want to know whether Government have ever though that instead of spending an amount of Rs. 2,000 crores for flood control works, if we spend so much amount on tilling the land, its sowing and irrigation etc. than we need not spend this amount on flood control and it will be saved.

डा० कु० ला० राव : मैं माननीय सदस्य से समहत हूं कि हमें यथासंभव अधिक से अधिक क्षेत्र का सरक्षण करने का प्रयत्न करना चाहिये। भारत में आज भी 400 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस में बहुत अधिक बाढ़े आती हैं और हमें उस का यथासंभव अधिकाधिक संरक्षण करना चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa: The flood in Rajasthan are mainly due to the breach of bundhs which are old and are not repaired, as for instance there was a heavy loss in Jaipur, the capital of Rajasthan which was flooded due to a breach of a bundh last year. This resulted in a loss of crores of rupees. I would like to know the steps taken by the Government to make good the loss thus incurred and the amount sanctioned for the repair of those bundhs?

डा० कु० ला० राव : माननीय सदस्य ने जिस विशेष मामले का उल्लेख किया है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जब कभी हम राजस्थान के मैदान का उल्लेख करते हैं तो हमारा तात्पर्य घग्घर से होता है। यदि माननीय सदस्य जयपुर के मामले के बारे में, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, मुझे लिख कर दें, तो मैं इस का पता लगाऊंगा।

Shri Onkar Lal Berwa: Sir, the first part of my question in which I have asked the amount allocated for the repairs of the bundhs has not been answered. If our questions are replied in this way, then there is no use of our asking questions?

डा० कु० ला० राव : राजस्थान में बाढ़ नियत्रण कार्यों के लिये 73 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

श्री प्रिय गुप्त : क्या सरकार ने इन बाढ़ों के कारण जो प्रतिवर्ष आती हैं बिहार कि कटिहार में मनीहारी, बरारी, आजमनगर, कटिहार तथा कोराह पुलिस थानों के क्षेत्रों में गंगा तथा फुलकर नदियों से आई बाढ़ों तथा पश्चिम बंगाल में लोअर दामोदर नदी से आई बाढ़ तथा असाम में ब्रह्मपुत्र नदी से आई बाढ़ के कारण हजारों एकड़ धान की फसल तथा अन्य फसलों को हुए नुक्सान का अनुमान लगा लिया है, यदि हां, तो इन बाढ़ों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा क्या मनीहारी पुलिस थाने के निकट प्रस्तावित मालियर बांध निर्माण के कार्य को तथा लोअर दामोदर नदी के प्रस्तावित तलकर्षण के कार्य को और ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ों को रोकने के उपायों को प्रथम वरीयता दी जायेगी तथा इन के संबध में काम इस योजना की अवधि में आरम्भ किया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या छोटे सिंचाई कार्यों की योजना को जिनमें छोटे छोटे बांध बनाना भी शामिल है तथा जिन के लिये केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, क्या राज्य सरकार अगले बाढ़ों के आने से पहले क्रियान्वित कर सकेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाय। माननीय सदस्य दो या तीन प्रश्न एक साथ नहीं पूछ सकते।

डा० कु० ला० राव : मैं प्रश्न के उस भाग का उत्तर दूंगा जिस में माननीय सदस्य को बहुत दिलचस्पी है। माननीय सदस्य हमेशा मुझ से मांग करते रहे हैं और वह ठीक ही कहते रहे हैं कि गंगा तथा फुलकर नदियों से आने वाली बाढ़ों से मनिहारी क्षेत्र को सुरक्षित किया जाय। जहां फुलकर नदी गंगा नदी में आकर गिरती है वहां लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख एकड़ का ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं तथा माननीय सदस्य उस क्षेत्र को बाढ़ों से बचाने का बार बार अनुरोध करते रहे हैं। दुर्भाग्य से इस काम के लिये चार अभिकरण अर्थात् पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, रेलवे तथा केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है और इस कारण से उन कठिनाइयों को दूर करने में कुछ समय लगा है। अब हम ने इस बारे में सर्वसम्मति से निर्णय कर लिया है और काम आरम्भ किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने इस काम के लिये बिहार क्षेत्र में 75 लाख तथा बंगाल क्षेत्र में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि कुछ काम अगले वर्ष आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री प्रिय गुप्त : इस के लिये 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि मंजूर की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आधे घंटे की चर्चा उठा सकते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : देश में खाद्यान्न की कमी है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति दीजिये।

डा० कु० ला० राव : यदि आप अनुमति दें, तो मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यह सच है कि इस काम की लागत $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये है। बिहार क्षेत्र में गंगा को मनीहारी पर से लावा स्थान पर फुलकर के साथ मिलाने के लिये 75 लाख रुपये इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये दिये गये हैं। यह काम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The areas which are flooded every year have not been provided with small or big tanks and that is perhaps main reason why those areas are flooded every year. May I know the steps taken by Government to construct minor and major tanks within a range of 5—40 miles of those rivers, so that the water which causes flood is stored in them and does not enter in those rivers?

डा० कु० ला० राव : माननीय सदस्यों का आशय स्पष्ट रुप से ऐसे बांध से अथवा तालाबों से है जिन में पानी रोका जा सके ताकि बाढ़ कम फैले। बहुत से क्षेत्र में हम ऐसे बांध नहीं बना सकते हैं परन्तु आसाम में पगलादिया नदी के क्षेत्र में हम ऐ से बांध बनाने की सोच रहे है ताकि उस क्षेत्र को बाढ़ों से बचाया जा सके। मैं समझता हूं बाकी क्षेत्र में हम ऐसे बांध नहीं बना सकेंगे क्योंकि हमारी अधिकतर नदियां नेपाल से आती है और हम नहीं कह सकते कि वे अपने क्षेत्र में हमें ऐसे तालाब तथा बांध बनाने की अनुमति देगें या नहीं।

अणु शक्ति के लिये विदेशी मुद्रा

+

*482. **डा० म० मो० दास :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण अणु-शक्ति विभाग की बहुत सी परियोजनाओं की कार्यान्विति में विलम्ब हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जादुगुडा खान परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण उपकरणों का आयात नहीं किया जा सका तथा इसी कारण भारी पानी परियोजना (हैवी वाटर प्लांट) के कार्य को भी स्थगित करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) विदेशी मुद्रा की कमी को, विलम्ब के कारणों में से केवल एक कारण माना जा सकता है, पर निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि केवल इस कमी के कारण कितना विलम्ब हुआ ।

(ख) और (ग) जादूगुड़ा खान प्रायोजना के सम्बन्ध में विलम्ब होने के जिस एकमात्र मामले की सूचना वित्त मन्त्रालय को दी गयी है वह कुछ उपकरणों के आयात के बारे में है जिसके लिए 1964–65 की पहली छमाही में स्वीडिश सम्भरक (सप्लायर्स) ऋण में से विदेशी मुद्रा की रकम निर्धारित की गयी थी, लेकिन परिमाणु-शक्ति विभाग आवश्यक उपकरणों के आयात के लिए उस का उपयोग न कर सका, क्योंकि सम्भरकों से करार नहीं किया जा सका । बाद में, स्वीडन के प्राधिकारियों से बातचीत हो जाने पर स्वीडन की सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत रकम की व्यवस्था की गयी और सितम्बर, 1965 में, स्वीडन की सरकार से स्वीकृति मिलने पर, परमाणु-शक्ति विभाग को उपकरणों के लिए आर्डर देने का अधिकार दे दिया गया ।

जहां तक भारी पानी सन्यन्त्र का सम्बन्ध है, इस प्रायोजना को विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण स्थगित नहीं किया गया है । प्रायोजना सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट तैयार हो रही है और विदेशी मुद्रा के उपयुक्त स्रोतों का पता लगाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।

डा० म० मो० दास : जबकि माननीय मन्त्री ने कहा है कि हमारे अणु शक्ति आयोग की योजनाओं को क्रियान्वित करने में विदेशी मुद्रा की कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि जादूगुड़ा खान परियोजना के लिये कुल कितने मूल्य का सामान आयात किया गया और किस देश से सामान का आयात किया गया है तथा कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं कह चुका हूं कि स्वीडन से विदेशी मुद्रा मिली थी । मैं तुरन्त खर्च की गई कुल राशि नहीं बता सकता हूं । इसके लिये मुझे नोटिस चाहिए ।

डा० म० मो० दास : क्या अणु शक्ति आयोग कुछ उत्पादों का विदेशों को निर्यात करने की स्थिति में है, जैसे 'हैवी वाटर', परिष्कृत रेडियो-धर्मी खनिज अयस्क और यदि हां, तो क्या ऐसे माल का निर्यात किया गया है और इससे हमें कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा मैं बता चुका हूं, जहां तक हैवी वाटर परियोजना का सम्बन्ध है इसे अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । निर्यात का प्रश्न ही नहीं है । यदि परियोजना को अन्तिम रूप दिये जाने तथा उसे क्रियान्वित करने पर निर्यात की सम्भावना है । यह तो अनुमान मात्र होगा यदि आज हम कहें कि इतना निर्यात हो सकेगा, मैं ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहता ।

Shri M. L. Dwivedi: Are any negotiations going on with other countries to secure foreign exchange for projects apart from the foreign exchange secured for these projects; if so, the names of the countries and the nature of talks?

श्री शचीन्द्र चौधरी : अणु शक्ति आयोग की बहुत सी परियोजनायें विदेशी सहायता से चल रही हैं। एक बारे में मैंने आपको बताया और अन्य परियोजनाओं की सूची मैं दे सकता हूं । तारापुर परमाणु बिजली सन्यन्त्र परियोजना है, राजस्थान परमाणु बिजली सन्यन्त्र परियोजक है और राजस्थान परमाणु सन्यन्त्र परियोजना, चरण दो है, ईंधन फैब्रीकेशन सुविधा सन्यन्त्र है । ये चार परियोजनायें चल रही हैं और भिन्न-भिन्न देशों की सहायता से चल रही हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस वर्ष के आरम्भ में विश्व बैंक के एक दल ने अणुशक्ति आयोग की कुछ परियोजनाओं का दौरा किया था और यदि हां, तो क्या उन्होंने अपेक्षित विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने की आशा दिलाई ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना चाहिए । मुझसे पूछा गया कि विदेशी मुद्रा के स्त्रोत कौन से हैं और क्या विदेशी मुद्रा न होने के कारण कोई योजना रूकी है । जहां तक मुझे मालूम है ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई और ऐसी को ई योजना नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि राजस्थान में अणुशक्ति परियोजनाओं में कुछ अंश तक विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो परियोजनाओं का कार्य शीघ्रता से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार समझती है कि इस से राजस्थान में शक्ति का स्थायी स्त्रोत बन जायेगा और यदि हां तो कब तक ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक राजस्थान में योजनाओं का सम्बन्ध है, यदि कोई विलम्ब हुआ है तो विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण नहीं हुआ है । मेरे पास जानकारी है । राजस्थान अणुशक्ति संयंत्र परियोजना, चरण 1 : परियोजना के लिये कनाडा से 370 लाख डालर के ऋण के लिये 27 अप्रैल 1964 को करार हुआ था और पहला चरण 1968 तक पूरा हो जायेगा । राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र परियोजना, चरण 2 : दूसरे चरण के लिये कनाडा से सहायता की व्यवस्था करने का विचार है और कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए ; इसके 1970–71 में पूरा तथा चालू हो जाने की आशा है ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : न केवल अणु शक्ति में चीन की प्रगति से उत्पन्न वास्तविक खतरे को—चीन इस क्षेत्र में हम से बहुत पीछे था और अब हम से आगे हैं—बल्कि डा० सारभाई के इस वक्तव्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अणु शक्ति पहले की 5 पैसे प्रति यूनिट की अपेक्षा अब 2 पैसे

यूनिट की सस्ती दर पर तैयार की जा सकती है, मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या भारत सरकार ने इस विषय पर पुनः विचार किया है और यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह कार्यक्रम रूकेगा नहीं ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि चीन हम से पीछे था अथवा हम से आगे बढ़ गया है ; मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। डा० साराभाई ने एक वक्तव्य दिया है। डा० साराभाई और सरकार के बीच निरन्तर निकट सम्पर्क बना हुआ है और जो भी परियोजना वे रखते हैं, उसकी जांच की जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि उन्हें आरम्भ किया जाये और सस्ती दर पर शक्ति तैयार की जाये।

श्री सुबोध हंसदा: चूंकि हमारे देश में यूरेनियम निकालने की कोई परियोजना नहीं है और मंत्री महोदय ने कहा कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण जदुगूड़ा परियोजना के निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्या इस बात पर विचार किया गया है इसका ट्राम्बे परियोजना पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिये बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह प्रश्न नहीं है, मेरी राय पूछी गई है, जो मैं नहीं बता सकता।

Shri Sheo Narain: May I know whether the work on Jaduguda Project has been started and the things to be received in exchange of heavy water being supplied to other countries?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं बता चुका हूं कि हैवी वाटर तो अभी परियोजना की स्थिति में है। अभी उसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अन्तिम रूप दिये जाने पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी। प्रश्न के पहले भाग पर कोई टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कृ० चं० पन्त : मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान में दूसरा संयंत्र 1970–71 में चालू हो जायेगा। क्या इसके तथा मद्रास में हैवी वाटर के दो संयंत्रों के लिये विदेशी मुद्रा नियत कर दी गई है अथवा कोई पक्की व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। राजस्थान परियोजना के दूसरे चरण के लिये हम कनाडा से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इसके मिलने की आशा है। मद्रास अणु शक्ति संयंत्र के बारे में अधिकांश परमाणु उपकरण और परम्परागत उपकरण केवल कच्चे माल का आयात करके देश में ही निर्मित किये जायेंगे और इसके लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है ?

श्री दे० द० पुरी : क्या ऐसा कोई निर्धारित कार्यक्रम है कि कब तक हैवी वाटर का पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन आरम्भ हो जायगा और कब तक निर्यात के लिये फलतू हैवी वाटर मिल सकेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। परियोजना प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। उसके मिलने पर ही हम बता सकेगें कि अब तक उत्पादन आरम्भ हो सकेगा। हम आशा करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं से अधिक हैवी वाटर का उत्पादन होगा लेकिन इसबीच हमारी आवश्यकता बढ़ सकती है और हम अपनी अणु शक्ति के अच्छे उपयोग के लिये सारे हैवी वाटर को प्रयोग कर सकें।

चीन में बनी हुई वस्तुओं का भारत में चोरी छिपे लाया आना

*483. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री मणियंगाडन :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि साम्यवादी चीन में बनी हुई कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को चोरी छिपे भारत में लाया जाता है तथा उन्हें भारतीय बाजारों में खुले आम बेचा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि ये वस्तुएं किस प्रकार लाई जाती हैं ; और

(ग) वस्तुओं की इस प्रकार की अवैध तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार को पता है कि चीन में बना कुछ उपभोक्ता माल समय-समय पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भारत में बेचा जाता है । नेपाल, मलेशिया तथा सिंगापुर से आने वाले यात्री ऐसे माल को अपने असबाब के रूप में ले आते हैं और उसमें से कुछ सामान बजार में पहुंच जाता है । इस माल को छोटे पैमाने पर चोरी छिपे तौर पर, विशेषत: पूर्वी पाकिस्तान और नेपाल से, लाये जाने के भी कुछ मामले हुए हैं । लेकिन इस बात की कोई सूचना नहीं है कि ऐसा माल व्यवस्थित आधार पर चोरी छिपे तौर पर भारत में लाया जाता है अथवा भारत में ऐसे माल की नियमित बिक्री होती हैं ।

सीमा शुल्क अधिकारियों को इस मामले में जोरदार चौकसी बरतने के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण से ऐसा प्रभाव पड़ता है कि चीन में बना हुआ उपभोक्ता माल यदा-कदा तथा व्यक्तिगत रूप से भारत में चोरी छिपे लाया जाता है । मैं समझता हूं कि यह गलत है । क्या सरकार को मालूम है कि साम्यवादी चीन में बने उपभोक्ता माल को भारत में लाने तथा उसकी बिक्री से प्राप्त धन को राष्ट्र के हितों के विरुद्ध प्रयोग करने की सुनियोजित योजना है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमने इस बारे में जांच की है और मैं कह सकता हूं कि चीन में बने उपभोक्ता माल को नियोजित रूप से भारत में चोरी छिपे नहीं लाया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम यह पढ़ते रहते हैं कि आसाम, जम्मू तथा काश्मीर और देश के अन्य भागों में यह उपभोक्ता माल बेचा जा रहा है । क्या माननीय वित्त मंत्री यह बातयेंगे कि

क्या ऐसे एक भी मामले में मुकदमा चलाया गया है और क्या सरकार ने ऐसे माल की देश में बिक्री अथवा आयात पर विधान द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की बात सोची है ?

श्री ल० ना० मिश्र : इस आशय का एक आदेश पहले ही है और इस प्रयोजना के लिये विशेष विधान की आवश्यकता नहीं है। इन वस्तुओं के पूर्वी बंगाल और नेपाल के साथ लगने वाले क्षेत्रों और आसाम में जैसा माननीय सदस्यों ने बताया, कुछ बाजारों में मिलने के दो कारण हैं।

श्री प्रिय गुप्त : बिहार में भी ।

श्रीमती विमला देवी : मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में भी।

श्री ल० ना० मिश्र : वे बिहार और उत्तर प्रदेश के तथा शायद कटिहार क्षेत्र में विशेष रूप से बाजारों में मिलते होंगे । लेकिन कारण यह है कि सिंगापुर मलयेशिया और नेपाल आदि देशों से आने वाले कुछ लोग अपने साथ यह सामान ले आते हैं और बाजार में बेच देते हैं लेकिन ऐसे मामले यदा-कदा और नगण्य होते हैं। मैं यह बता दूं कि पिछले वर्ष सितम्बर तक 2,26,820 रुपये के मूल्य के तथा इस वर्ष सितम्बर तक 1,51,468 रुपए के मूल्य के ऐसे माल का पता लगा है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इन उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के मामले में किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया है अथवा दण्ड दिया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इसकी पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

श्री महेश्वर नायक : विवरण में कहा गया है कि सरकार को व्यवस्थित तस्कर व्यापार की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है । क्या सरकार रिपोर्टों की प्रतीक्षा करेगी और इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये अपनी ओर से कुछ नहीं करेगी ? इस बात के बावजूद कि पूर्वी भारत में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसा उपभोक्ता माल चोरी-छिपे लाया और बेचा जा रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ये रिपोर्टें हमें अपनी एजेंसी से मिली हैं। मैं सरकार की एजेंसी का नाम नहीं लूंगा। सरकार की इस प्रयोजन के लिये विशेष एजेंसी है। उससे इसकी जांच करने के लिये कहा गया था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यवस्थित तस्कर व्यापार नहीं हो रहा है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चीन नेपाल को भारी मात्रा में अपना माल भेज रहा है और वहां से भारत में तस्कर व्यापार हो रहा है ? क्या माननीय मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : नेपाल में चीन की वस्तुएं भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। मेरा मकान नेपाल सीमा से केवल दो मील है इस लिये मुझे मालूम है। लेकिन मैं नहीं समझता कि भारत में भारी मात्रा में तस्कर व्यापार हो रहा है ।

Shri Sidheshwar Prasad: Has the attention of Government been drawn to the fact that not only Chinese goods are being smuggled into India adversely affecting the indigenous market, but rumours are afloat that counterfeit coins are gaining entry into India from China; if so, what action has been taken by Government?

Shri L. N. Mishra: As regards the goods, I will say that there is no effect on the market here. After all what are the goods, fountain pens, ball point pens, some time-pieces, watches and safety pins etc.? These small items have been detected so far and goods likely to effect the market have not been smuggled so far. Of course, we have heard of counterfeit coins. Perhaps, the member has been guided by a report, in the Navbharat Times. We have also seen it but at the moment I can't say anything.

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस बात को देखते हुए कि माननीय उपमंत्री द्वारा बताई गई चीन में बनी उपभोक्ता वस्तुओं तथा कुछ अन्य वस्तुएं हाल में बड़ी मात्रा में जम्मू में पाई गई हैं क्या सरकार ने इसके लद्दाख के पास होने तथा उस क्षेत्र में चीन के एजेंटों के खुले रूप से घूमने के बारे में सोचा है ? क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और यदि हां तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें न केवल तस्कर व्यापार के बारे में बल्कि अन्य पहलुओं के बारे में भी मालूम है । वित्त मंत्रालय तथा सीमा-शुल्क अधिकारियों आदि के अतिरिक्त गृह मंत्रालय भी इस ओर ध्यान दे रहा होगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि चीन में बने फाउन्टेनपैन आसाम मे जम्मू तथा काश्मीर तक और दिल्ली के बाजारों में भी मिल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने चोरबाजारी करने वाले इन भारतीयों की कार्यप्रणाली पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का प्रयास किया है क्योंकि वे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं बता चुका हूं कि चोरी-छिपे लाई जाने वाली चीजों में से फाउन्टेन-पैन भी एक चीज है । कुछ सीमा क्षेत्रों में ये बेचे जा रहे हैं परन्तु बड़ी मात्रा में नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has the attention of the hon. Minister been drawn to it that Chinese arms were recovered from the pro-Peking left-Communists during the recent incidents of violence, sabotage in Bengal? Are Government aware that the goods imported by the Chinese Embassy here include such items as arms?

Shri L. N, Mishra: The hon. Member should address this question to the Home Ministry.

श्री शिव नारायण : हमें मालूम है सीमावर्ती जिलों में क्या हो रहा है ।

श्री तिरुमल राव : क्या खुदरा व्यापारियों को पकड़ने तथा उनके जरिये थोक व्यापारियों और इस माल के तस्कर व्यापारियों का पता लगाने के लिये सरकार की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उनके प्रयासों का क्या परिणाम है ?

श्री ल० ना० मिश्र: हमारे पास तस्कर व्यापार-निरोध दस्ते हैं । इसके लिये हमारा एक विशेष संगठन है । वे इन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह काम नहीं कर रहा ।

श्री त्यागी : चूंकि यह तस्कर व्यापार सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है कि चीनी इसके जरिय सीमावर्ती क्षेत्रों में सम्पर्क

बना रहे हैं और इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आश्वासन देगी कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और आगे से तस्कर व्यापार तथा चीनी लोगों द्वारा हमारे लोगों के साथ सम्पर्क नहीं होने देगी ? इसमें कितने चीनी व्यापारी शामिल हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी तक चीनी व्यापारियों द्वारा इसमें भाग लिया जाना हमारे ध्यान में नहीं आया है । मैं कह चुका हूं कि नेपाल, मलयेशिया और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के जरिये मुख्यत: यह सामान भारतीय बाजारों में आता है । साथ ही अक्तूबर, 1962 से पहले चीन के साथ व्यापार होता था । कुछ सामान उस समय का हो सकता है ।

जहां तक सीमा क्षेत्रों में उपाय करने का सम्बन्ध है तस्कर व्यापार-निरोध दस्ते हैं सीमा-शुल्क के कलक्टरों को सावधान कर दिया गया है और वे बहुत सतर्क और सावधान हैं ।

सिंचाई की क्षमता

*485. **श्री हु० च० लिंग रेड्डी :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत वास्तव में कितनी सिंचाई क्षमता स्थापित की गई है ;

(ख) अब तक कितनी सिंचाई क्षमता का वास्तव में कृषि के काम में इस्तेमाल किया गया है ;

(ग) इस में कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) अब तक स्थापित की गई कुल सिंचाई क्षमता का कृषि के काम में इस्तेमाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) 420 लाख एकड़ ।

(ख) 380 लाख एकड़ ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 20 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता स्थापित की गई है । उक्त वर्ष में यह सारी सिंचाई क्षमता उपयोग के लिये उपलब्ध नहीं थी । क्षमता के आंकड़े मार्च मास से लिये जाते हैं जब कि इसका उपयोग वर्षा आरम्भ होने के बाद जून के बाद आरम्भ होता है ।

इसके अतिरिक्त काकरावार तथा माही जैसी परियोजनाओं में कम क्षमता का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वहां जल भंडारों की कमी थी ; चम्बल में क्षमता का इस्तेमाल कम किया गया क्योंकि गांधी सागर जलाशय के अपवाह क्षेत्र में असाधारण रूप से कम वर्षा होने के कारण पानी की कमी थी । तुंगभद्रा परियोजना (लैफ्ट बैंक कैनाल) में भी कम क्षमता का इस्तेमाल किया गया क्योंकि सेच्च प्रदेश (आयाकुट) के विकास में कम दिलचस्पी दिखाई गई ।

जल मार्गों की खुदाई करने तथा खेतों की नालियां बनाने में विलम्ब होने के कारण भी कुछ कम क्षमता का इस्तेमाल किया गया ।

(घ) जहां जल संग्रह करने की व्यवस्था नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था करने के लिये पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है, उदाहरण के तौर पर काकरापार नहर प्रणाली के लिये उकाई परियोजना बनाई जा रही है तथा माही नहरों के लिये कांडला परियोजना बनाई जा रही है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सेच्च प्रदेश (आयाकुट) के विकास कार्यक्रम को पूरी शक्ति से लागू किया जायेगा ।

खेतों की नालियों के निशान ग्रामों के मानचित्रों पर अंकित करके तथा वास्तविक खुदाई में किसानों का पथप्रदर्शन करके खेतों की नालियों की खुदाई में होने वाले विलम्ब को भी दूर किया जा रहा है । यदि इन नालियों से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति उनकी खुदाई में देर करते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत सी राज्य सरकारों ने ये नालियां बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले ली है ।

बहुत से राज्यों ने आबियाने की रियायती दरें निर्धारित की हैं ताकि किसान शीघ्रता से सिंचाई करना आरम्भ कर दें ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : बढ़ती हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिये कितना और धन लगाया जायेगा ?

डा० कु० ला० राव : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को पूरी तरह से नहीं समझ पाया । परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि भारत में सिंचाई क्षमता का काफी उचित इस्तेमाल किया गया है और इसके आंकड़े 75 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं । यह सुनिश्चित करने के लिये कि अब तक स्थापित की गई सिंचाई क्षमता का यथासंभव अधिकाधिक इस्तेमाल किया जाये वरीयता के आधार पर धन उपलब्ध किया जाता है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभूतपूर्व सूखा विशेषतया बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है जिसके संबंध में अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा भयंकर सूखा इस शताब्दी में प्रथम बार पड़ा है क्या सरकार का विचार बड़ी सिंचाई परियोजनायें बनाने की अपनी पहली नीति में परिवर्तन करके निकट भविष्य में छोटी सिंचाई परियोजनायें बनाने का है ?

डा० कु० ला० राव : बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखा इस कारण से पड़ा है क्योंकि इस वर्ष वर्षा सामान्य रूप से होने वाली वर्षा के केवल 50 प्रतिशत हुई है । सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनों में भी नहीं के बराबर वर्षा हुई है । ऐसी स्थिति का मुकाबला करने में तो केवल बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें तथा ऐसी परियोजनायें जिनसे भूमिगत जल का उपयोग किया जा सके सहायक हो सकती हैं । सरकार ऐसी परियोजनायें बनाने के बारे में विचार कर रही है जिन से इस वर्ष सूखे की स्थिति का मुकाबला किया जा सके ।

Shri Vishwa Nath Pandey: We have 32 to 34 crore acres of land under cultivation in the country, but Government has so far been able to provide irrigation to 9 crore acres of land by major, medium and minor irrigation projects. So I want to know by what time Government will be able to provide irrigation for the remaining land by major, medium and small irrigation projects, so that the agricultural production may go up in the country?

डा० कु० ला० राव : यह सच है कि भारत में हम तीसरी पंजवर्षीय योजना के अन्त तक खेती की जाने वाली भूमि के केवल 23 प्रतिशत भाग पर सिंचाई की व्यवस्था कर सकेंगे। जिन परियोजनाओं पर काम आरम्भ किया गया है, उन परियोजनाओं के पूरे हो जाने के बाद 30 प्रतिशत खेती की जाने वाली भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। हमारे जल संसाधनों के अनुसार यह सम्भव है कि हम अपनी 50 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई कर सकें। इस लिए हमारा प्रयत्न यह होगा कि जितनी जल्दी संभव हो 50 प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की जाये।

श्रीमती विमला देवी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या नागार्जुनसागर परियोजना के अन्तर्गत उत्पन्न सारी सिंचाई क्षमता का इस्तेमाल किया गया है और यदि नहीं, तो सारी सिंचाई क्षमता का इस्तेमाल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रंगा : क्षमता अभी स्थापित नहीं की गई है।

डा० कु० ला० राव : माननीय सदस्या यही कहना चाहती हैं कि सिंचाई क्षमता स्थापित की जाये। जैसा कि श्री रंगा ने कहा है क्षमता अभी स्थापित नहीं की गई है।

Shri Onkar Lal Berwa: It appears from the statement that due to shortage of water in Chambal and Gandhisagar dams full irrigation could not be provided. I want to know when six years have already elapsed since the canals were constructed, by what time it would be possible to have full irrigation?

डा० कु० ला० राव : दुर्भाग्य से गत कई वर्षों में चम्बल घाटी में कम वर्षा हुई है। यह एक असाधारण घटना है। हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष तथा उसके बाद अच्छी वर्षा होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को मध्यम तथा छोटे दर्जे की सिंचाई परयोजनाओं की एक योजना पेश की है और पर्याप्त धन की मांग की है, ताकि उन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

डा० कु० ला० राव : पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ परियोजनाओं तथा 24 परगना में जल निकासी व्यवस्था के लिये अधिक सहायता की मांग की है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रंगा : सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो सिंचाई क्षमता स्थापित की जा रही है वह कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक जल जमा होने और अन्य क्षेत्रों में जल निकासी की सुविधाओं के न होने के कारण नष्ट न हो जाये, क्या कार्यवाही की जा रही है?

डा० कु० ला० राव : बाढ़ों का सिंचाई कार्यों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बाढ़ें आती हैं, वहां हमारी सिंचाई परियोजनायें नहीं होतीं और यदि होती हैं तो हम अपनी सिंचाई नहरों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। वास्तव में पानी के जमाव की एक महत्वपूर्ण

समस्या है और पंजाब में पर्याप्त जल निकासी नालियां न होने के कारण यह समस्या प्रमुख रूप से विद्यमान है।

श्री रंगा : आंध्र प्रदेश में भी।

डा० कु० ल० राव : पानी जमा होने की समस्या को नालियां बना कर दूर किया किया जा सकता है। यह सच है जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों में जल का कुछ जमाव पाया जाता है, परन्तु अधिक नालियां बनाने के बाद तीन लाख एकड़ और भूमि पर खेती करना संभव हो जायेगा। इस पर विचार किया जा रहा है।

Shri Sheo Narain: We have been persistently asking since last five years that if Rapti and Ghaggar rivers are put under control, the problems of floods and droughts could be solved. Our tanks on Nepal border are breached. May I know whether Government would deepen those tanks so that the water of Rapti river could be stored in them and used for irrigation purposes?

डा० कु० ल० राव: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सच है। यदि हम राप्ती नदी के पानी को इकट्ठा कर लें तो इस के दो लाभ होगें —एक तो इस से बाढ़ों पर नियन्त्रण किया जा सकेगा और दूसरे सिंचाई हो सकेगी, परन्तु दुर्भाग्य से राप्ती नदी नेपाल की सीमा से आती है और वह स्थान—ज्वालामुखी—जहां बांध बनाया जा सकता है नेपाल की सीमा के 50 मील के अन्दर है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हम यह काम नहीं कर सकते।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि बड़े तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त सरकार उन क्षेत्रों में जहां कोई अन्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है नलकूप तथा डीजल और बिजली से चलने वाले पम्पिग सैट लगाने के लिए क्या प्रभावकारी कार्यवाही कर रही है?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि नलकूप सिंचाई एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि विशेष रूप से गंगा और नर्बदा की घाटियों में विभिन्न प्रकार के भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं। हमारे देश में भूमिगत जल बहुतायत में उपलब्ध है और हम उस का इस्तेमाल कर रहेहैं। मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य स्थानीय राज्य सरकार से नलकूपों की मांग करेंगे तो उन्हें अधिक नलकूप मिल सकेंगे। और उन्होंने हाल में ही बहुत से नलकूप लगाये हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा : वर्तमान खाद्य स्थिति को देखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना चाहती है, जिन पर काम आरम्भ हो चुका है ?

डा० कु० ल० राव : जी हां, सरकार तथा योजना आयोग की यह नीति है कि जिन परियोजनाओं पर काम आरम्भ हो चुका है उन्हें शीघ्र पूरा किया जाये और उन्हें प्रथम वरीयता दी जाय और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि मध्यम दर्जे की समस्त सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाये और हम आशा करते हैं कि यदि हमें अतिरिक्त धन उपलब्ध हुआ तो यथासंभव अधिकाधिक बड़ी परियोजनाओं को भी पूरा किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 487 और 506 के बारे में

RE: QUESTIONS 487 AND 506

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद—श्री स० चं० सामन्त ।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न संख्या 487 ।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न संख्या 506 को भी प्रश्न संख्या 487 के साथ लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप दोनों का एक साथ उत्तर दे सकते हैं ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जी हां ।

Family Planning Schemes

+

*487. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Dr. M. M. Das:
Shri Gulshan:
Shri P. H. Bheel:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any country-wide assessment about the success of the Family Planning Schemes;

(b) the extent to which loop has proved success in practice; and

(c) whether success achieved in this field so far is likely to have some impact on the increasing population?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार लूप 97 प्रतिशत से अधिक मामलों में गर्भ रोकने में सफल हुआ है ।

(ग) जी हां ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

***506. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वस्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये नियत की जाने वाली अतिरिक्त राशि का सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का का है जिसमें इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के विभिन्न प्रस्ताओं का ब्योरा दिया गया हो ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7412]**

श्री स० चं० सामन्त : क्या मत्रालय को आयुर्वेदिक औषधियों के कुछ नमूने प्राप्त हो रहे हैं और क्या उन नमूनों का प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं नहीं समझता ऐसी बात है ?

श्री स० चं० सामन्त : क्या लूप के अतिरिक्त पेटेन्ट दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : किसी पेटेन्ट दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को देश के देहाती क्षेत्रों से जहां ऐसा लगता है कि लूप बिल्कुल सफल नहीं हुआ है, लूप के लगाने से होने वाली असुविधा, शारीरिक कष्ट तथा लूप की अव्यावहारिकता के बारे में बहुत सी शिकायतों का पता चला है और यदि हां, तो क्या सरकार लूप को लोकप्रिय बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले इस बात को ध्यान में रखेगी ?

श्री ब० सू० मूर्ति : सभी अपेक्षित पूर्वोपाय किये गये हैं । जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि लूप 97 प्रतिशत सफल सिद्ध हुए हैं । इससे संकेत मिलता है कि बहुत सी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

Shri M. L. Dwivedi: In the first instance, I would like to point out that the hon. Minister has not stated regarding the statement laid on the Table that he is laying it on the Table. I would like to know whether it would be deemed as laid on the Table, who he had not said so? A long statement has been laid on the Table regarding Question No. 506.

उपाध्यक्ष महोदय : उसे सभा-पटल पर रखा हुआ समझा जायेगा । माननीय सदस्य यदि प्रश्न करना चाहते हैं, तो प्रश्न पूछें ।

Shri M. L. Dwivedi: It has been stated in the statement laid on the Table that separate family planning cells are created at Central, State and district levels and a very large number of persons would be employed in them, I would like to know the total expenditure both recurring and non-recurring likely to be incurred on this scheme and how much out of that would be borne by Central Government?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस प्रश्न को दो भागों में बांटा जा सकता है । पहला भाग कर्मचारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में है । यह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है इस लिये बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता होगी । जहां तक लागत का सम्बन्ध है, वह शत प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जायेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : केन्द्र द्वारा तथा राज्य द्वारा कितनी राशि खर्च की जायेगी ? आय-व्ययक प्रस्ताव क्या है ? जब बहुत सी विस्तृत बातों का ब्यौरा दिया गया है, तो अनुमानित खर्च क्यों नहीं बताया गया ? हम उसे जानना चाहते हैं ।

श्री ब० सू० मूर्ति : माननीय सस्दय जो कुछ कह रहे हैं उसका सामान्य संकेत विवरण में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य को खर्च करना है और आवश्यकतानुसार हम से वास्तविक अनुदान मांगना है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : केन्द्रीय सरकार का आय-व्ययक प्रस्ताव क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय वह आंकड़े नहीं बता सकते हैं । इसके लिए उन्हें पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा हैं कि 97 प्रतिशत लूप गर्भ रोकने में सफल रहे हैं । क्या सरकार के ध्यान में यह आया हैं कि लूपों की पहले ही कमी है और देश में कच्चे माल की कमी होने के कारण लूपों का उत्पादन घट गया है ? यदि हां, तो देश के लूप निर्माताओं को कच्चा माल देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : लूपों की कोई कमी नहीं है और न ही उनके उत्पादन में कोई कमी हुई है । यह हो सकता है कि वितरण में कुछ स्थानों पर कठिनाई हो । यदि माननीय सदस्य हमें बतायेंगे तो हम जल्दी ही सब ठीक कर देंगे । मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सब चीजें देश में पैदा कर रहे हैं और कोई किसी किस्म की कठिनाई नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : प्रजातन्त्र में प्रत्येक बात का निर्णय मत गणना द्वारा किया जाता है और मत गणना में संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है तथा चाहे वह कोई जाति हो, समुदाय अथवा राष्ट्र हो, जितनी अधिक संख्या होगी, चुनाव में सफलता के उतने ही अधिक अवसर होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि भारत में हम जो यह परिवार नियोजन कर रहे हैं क्या यह प्रजातन्त्र की सफलता के विरुद्ध नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

डा० म० मो० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न नगरों तथा कस्बों में शल्य चिकित्सालय खोलने का निर्णय किया है, ताकि उन में जो कोई विवाहित अथवा अविवाहित व्यक्ति अनुर्वरीकरण करने को रजामन्द हो, वह अपनी वित्तीय हैसियत के अनुसार नाम मात्र की फीस देकर शल्य चिकित्सा करा सके ?

डा० सुशीला नैयर : यह सही नहीं है । जो कुछ किया गया है वह यह है कि सरकार राज्य सरकारों को जहां आवश्यक समझती है वहां उनकी शल्य चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने, तथा कुछ मामलों में ऐसे चलते फिरते दल बनाने, जो कि उन विवाहित दम्पत्तियों का अनुर्वरीकरण करते हैं जिनके तीन अथवा इससे अधिक बच्चे हैं और जिनका सब से छोटा बच्चा दो वर्ष से अधिक आयु का है, में सहायता करती है । उन मामलों में पति तथा पत्नी की लिखित रजामन्दी के बाद अनुर्वरीकरण किया जाता है ।

Shri Yashpal Singh: I want to know why Government are denying the fact that China is posing a danger to us because her population is more than ours and Russia also takes threatening attitude because she has larger population? Family Planning is a great sin, which is being committed in the country of Mahatma Gandhi. It is not Family Planning, but it is corruption planning. I want to know when no child will be allowed to take birth, how great men will take birth. I want to know the reasons why this great sin is not being stopped?

Dr. Sushila Nayar: The hon. Member is taking like this without understanding the programme.

Shri Yashpal Singh: The hon. Minister has not understood. She had worked with Gandhiji, but even then she did not understand that he never supported birth control, but he supported self control. He considered birth control as a great sin.

Dr. Sushila Nayar: I know it better than the hon. Member whether Gandhiji supported it or not. Gandhiji wanted that family should be small and for that he advocated to adopt self-control and Barahamcharya etc. We welcome all those who follow that path. We preach those principles also.

Shri Yashpal Singh: What assistance has been given for giving publicity to those principles?

Dr. Sushila Nayar: It is an alternative facility for those who are unable to follow the path. No body is advocating that children should not be allowed to be born, what is being advocated is that we should have only that number of children, which can be properly looked after. The birth of children and their deaths during childhood and non-availability of sufficient means and facilities for their proper development is not going to benefit any country. Whether it is India, China or any other nation.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना

*484. **श्री बासप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना सफल सिद्ध हुई है ; और

(ख) इस बारे में अब तक आयात लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस योजना के प्रति अनुक्रिया से सरकार सन्तुष्ट है ।

(ख) 22 अक्तूबर, 1966 तक 3,903 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं ।

मजूरी में वृद्धि की बढ़ी हुई उत्पादिता से सम्बन्ध

486. श्री श्रीनारायण दास : क्या **योजना** तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुझाव पर विचार कर लिया गया है कि उत्पादिता बढ़ने और मजूरी में वृद्धि के बीच सम्बन्ध का स्वरूप निर्धारित करने के लिए अर्थव्यवस्था में लागत के सम्बन्ध में गहन अध्ययन किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाओं में विकल्पित उचित मज़दूरी का सिद्धान्त, जीवन-निर्वाह की लागत का समंजन, उद्योगों की लागत संरचना एवं उनकी देयता क्षमता आदि महत्वपूर्ण घटक पहले ही मज़दूरी नीति के अंग हैं। विगत दशक में जिन मज़दूरी बोर्डों का गठन किया गया है वे उचित मज़दूरी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्योगों में मज़दूरी संरचना, विकसित अर्थ-व्यवस्था में उद्योगों की आवश्यकता, लागत संरचना में परिवर्तन और प्रतिफलों की अदायगी की सामर्थ की सम्भावनाओं से सम्बन्धित सिफारिशें करते हैं।

सिंचाई योजनायें

*488. **श्री सुबोध हंसदा:** **श्री म० ला० द्विवेदी**
श्री स० चं० सामन्त: **श्री भागवत झा आजाद:**
श्री प्र० चं० बरुआ: **डा० म० मो० दास:**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई योजनाओं के कार्य की देखभाल करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों में अनेक अभिकरण हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन अभिकरणों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिंचाई योजनाओं का नियंत्रण भिन्न भिन्न हाथों में होने के कारण उनकी क्रियान्विति धीरे-धीरे होती है और साथ ही सिंचाई योजनाओं तथा उनकी क्षमता का कम उपयोग किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को एक ही संगठन के नियंत्रणाधीन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्तर पर वृहत् औरप्मझली सिंचाई योजनाएं (5 करोड़ रुपये की लागत वाली सिंचाई योजनाओं को वृहत् योजनाएं और 15 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपये लागत वाली योजनाओं को मझली सिंचाई योजना कहा जाता है) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीन हैं तथा लघु सिंचाई योजनाएं (15 लाख रुपये की लागत वाली योजनाएं) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। राज्यों में कुछ विभाग अर्थात्, कृषि, सिंचाई, सामुदायिक विकास विभाग आदि—सिंचाई कार्य की देख भाल करते हैं। कुछ राज्यों में हाल में कृषि उत्पादन आयुक्तों के अधीन लघु सिंचाई कार्यालय (सेल) खोले जा रहे हैं ।

(ग) अन्तर्विभागीय समन्वय व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है और योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने तथा उनसे पूरा लाभ उठाने के लिये यथासम्भव आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) प्रशासनिक सुधार आयोग के विचाराधीन विषयों में विभागों में विषयों का वर्गीकरण का प्रश्न भी एक विषय है और निस्संदेह वे इस विषय पर गौर करेंगे।

अमेरीका के साथ पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये करार

*489. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये करार सार्वजनिक दस्तावेज हैं और उन्हें अमरीका में वर्गीकृत दस्तावेज नहीं माना जाता ;

(ख) क्या भारत के लिए सर्वोत्तम शर्तें प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने इन करारों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या कूले ऋण व्यवस्था यूगोस्लाविया के साथ हुए करार का एक अंग है ;

(घ) क्या सरकार ने अपनी मिश्रित अर्थ व्यवस्था के ढांचे के अनुसरण में देश में मिश्रित पूंजीवाद (विदेशी तथा देशी) को बढ़ावा देने के लिए इस व्यवस्था को इस करार में शामिल करवाने का स्वतः ही आग्रह किया था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) भारत के लिए अच्छी से अच्छी शर्तें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। यह कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के बीच हुए पी० एल० 480 करारों से सम्बन्धित सूचना के आधार पर किया जाता है। पर ऐसे करारों की शर्तों के सम्बन्ध में नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) ज्ञात हुआ है कि कूले ऋण-व्यवस्था यूगोस्लाविया से हुए पी०एल० 480 करारों का अंग नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि कूले ऋण-व्यवस्था सामान्यतः ऋण प्राप्त करने वाले देशों में, अमेरिका की उन फर्मों और उन से सम्बद्ध उन संगठनों के लिए है जिन्हें स्थानीय मुद्रा की आवश्यकता हो।

(घ) जी, नहीं।

गर्भपात को वैध बनाना

*490. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
डा० रानेन सेन : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री बसुमतारी :**
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गर्भपात को वैध बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) अभी नहीं; इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिसम्बर, 1966 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समान बिक्री कर प्रणाली

†491. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सारे देश में समान बिक्रीकर प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) चूंकि एक राज्य के अन्दर की गयी बिक्री या खरीद पर कर लगाना राज्य सरकार का विषय है इसलिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सारे देश में समान बिक्री कर प्रणाली लागू करने का सवाल ही नहीं उठता ।

अमरीकी सहायता

*492. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री राम हरख यादव :**
श्री दी० चं० शर्मा : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरीका ने भारत को चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परियोजनेतर सहायता देनें के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) पहले दिये जा चुके 20 करोड़ डालर के अतिरिक्त कितनी धनराशि मिलेगी ?

वित्तमंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमेरिका ने चालू वित्तीय वर्ष के लिये भारत को प्रायोजना से भिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता में अपने अंशदान के रूप में अब तक कुल 2500 लाख डालर के दो ऋण दिये हैं । इस वर्ष के लिए प्रायोजना से भिन्न कार्यो के लिए दी जाने वाली और अधिक सहायता के बारे में बातचीत चल रही है ।

Cheap Medical Treatment and Education

*493. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that medical education and treatment in India is costlier than any other country in the world;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken to make it cheaper?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). Information in regard to other countries in the world is being collected.

एडवांस इन्शोरेंस कम्पनी

†494. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी के श्री गोयनका के विरुद्ध आय-कर सम्बन्धी मुकदमें की कार्यवाही के दौरान पता चला है कि

एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा बीमा कराने वाली पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को बीमे के प्रीमियम पर अनधिकृत रूप से काफी छूट दी गई; और

(ख) यदि हां, तो उस कम्पनी के विरुद्ध बीमा अधिनियम की धारा 41 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 41(i), 102, 409 तथा 120-ख के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) बीमा नियंत्रक द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 33 के अधीन जांच-पड़ताल किये जाने का आदेश दिया गया है ।

औद्योगिक वित्त निगम

*495. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बासप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 सितम्बर, 1966 को औद्योगिक वित्त निगम के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि रुपये के अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक वित्त निगम के संसाधनों की स्थिति बिगड़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थानों में क्या-क्या और कितनी कमी हुई है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक वित्त निगम को, अपने सारे उपलब्ध साधनों का विचार करने के बाद जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में सरकार से लिया गया 15 करोड़ रुपये का ऋण और बांड जारी करके बाजार से लिया गया 6 करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है, यह आशा है कि इस वर्ष अपने वायदों को पूरा करने के लिए, इसके रुपया-साधनों में 10 करोड़ रुपये की कमी पड़ेगी । वायदों में, अवमूल्यन के कारण उन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक लगभग 2.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकद रकम भी शामिल है जिन्हें निगम ने पहले सहायता प्रदान की है ।

(ग) स्थिति पर विचार किया जा रहा है और सरकार आवश्यक अतिरिक्त रकम प्राप्त करने की कोशिश करेगी ताकि निगम अपने दायित्व को पूरे कर सके ।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की हड़ताल

*496. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम द्वारा मान्यता प्राप्त दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी संघ ने अपना 14 सूत्रीय मांग-पत्र 14 जुलाई, 1966 को दिया था। दामोदर घाटी निगम के प्रबन्धकों ने संघ के साथ इन पर 18 जुलाई, 12 और 18 सितम्बर, 1966 को विचार-विमर्श किया। 28 सितम्बर, 1966 को संघ ने बिहार और पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी निगम की सभी शाखाओं में 12 अक्टूबर, 1966 को इस कारण से हड़ताल पर रहने का नोटिस दिया कि निगम ने कुछ मांगें तो स्वीकार कर ली हैं परन्तु अन्य आठ मांगें अभी स्वीकार नहीं की गयी हैं। वे आठ मांगें नीचे दी गई हैं :

1. दामोदर घाटी निगम को वर्ष 1962–63, 1963–64, 1964–65 और 1965–66 को उसी अनुपात में बोनस देना चाहिए जितना उसे वास्तविक लाभ हुआ है जैसा कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम में प्रतिपादित है।
2. 58 पदों के वेतन-मानों का पुनरीक्षण करना।
3. तकनीकी कर्मचारियों के भर्ती और पदोन्नति के नियमों को स्पष्टतः प्रतिपादित करना चाहिए और उनका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए तथा सब पदोन्नति का आधार वरिष्ठता होनी चाहिए।
4. उपस्थिति नामावलि में दर्ज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों को बढ़ाया जाय और मूल्य सूचकांक के अनुरूप बनाया जाय।
5. स्थानीय भत्ता फिर शुरू किया जाय।
6. पारियों में काम करने वाले कर्मचारियों को पारी-भत्ता दिया जाये।
7. दूर-संचार के कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप ही वेतन दिया जाना चाहिए।
8. वर्दी, शिक्षा के लिये फीस, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं दामोदर घाटी निगम के (बरमों में) खान-कर्मचारियों को उपलब्ध होनी चाहिएं।

वहां 12 अक्टूबर, 1966 को हड़ताल रही। दामोदर घाटी निगम के उन कर्मचारियों ने, जो दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संघ और कौलरी मजदूर संघ और दामोदर घाटी निगम खान जैसी मान्यता प्राप्त संघों के सदस्य हैं, हड़ताल में भाग नहीं लिया।

बिहार में सूखा

*497. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 10 अक्टूबर, 1966 को बिहार का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सूखे की वर्तमान गम्भीर स्थिति में उत्पादकों को सिंचाई तथा बिजली की सहायता देने के बारे में कोई आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या आश्वासन दिया गया था तथा उसे कहां तक पूरा किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) और (ख). जी, हां। श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने पटना का दौरा गत 10 अक्टूबर को किया था।

(ग) यह आश्वासन दिया गया था कि निम्नलिखित के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी :

(1) चालू वर्ष के दौरान 4000 अतिरिक्त पम्प सेटों को बिजली देना;

(2) बहाव सिंचाई का ऐसी योजनाओं को लेना जो शीघ्र ही क्रियान्वित की जा सकें; और

(3) जो योजना पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने वाली हैं उनसे यथाशीघ्र लाभ उठाना ।

लघु सिंचाई कार्यक्रम, ग्रामों का विद्युतीकरण आदि के लिये 5.7 करोड़ रुपये और जल-मार्गों के विस्तार-कार्यक्रम के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की है । इसके अतिरिक्त सूखे से पीड़ितों को राहत देने के लिये 5 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है । उन परियोजनाओं के लिये जिन पर निर्माण-कार्य चल रहा है तथा नयी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये चौथी योजना में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ।

Staff Cars

*498. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the assurance given by Government to the effect that Staff Cars imported during the last five years will be handed over to the State Trading Corporation for sale has been fulfilled;

(b) the number of imported staff cars with different Ministries at present; and

(c) the number of imported cars withdrawn from the various Ministries and the manner in which they have been sold?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). The information is being collected from the Ministries/Departments concerned and will be laid on the Table as soon as available.

Furniture in Parliament House

*500. **Shri Sinhasan Singh:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of times the furniture has been replaced in Parliament House since 1962 and the amount spent thereon;

(b) the sale proceeds of the old furniture;

(c) the rules regulating the replacement of furniture; and

(d) whether tenders are invited while purchasing furniture?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Furniture in Parliament House has not been replaced in its entirety, since 1962. The total expenditure incurred on replacement and reconditioning of some furniture, since 1962 to October, 1966 is Rs. 1,74,496.50 paise. The total value of the furniture in the Parliament House with C.P.W.D. is Rs, 8,86,950.

(b) The sale proceeds of the old furniture of the book value of Rs. 16,199 disposed of from 1962 to October, 1966 is Rs. 1,807.

(c) The articles of furniture are normally replaced as and when needed.

(d) Normally, tenders are invited for all purchases of furniture. However, in case of purchases of less than Rs. 5,000 and in urgent cases,

quotations are obtained from reputed dealers and works awarded to the lowest tenderer.

इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी

*501. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड में मैसर्स स्टील ब्रादर्स एंड कम्पनी, कलकत्ता के लगभग 60 लाख रुपये के शेयरों को श्री एस० एम० वाही नाम के एक व्यक्ति को बेचने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शेयरों के इस हस्तांतरण की प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट है ;

(ग) इस बिक्री से ब्रिटेन को कितनी राशि भेजे जाने की संभावना है; और

(घ) क्या इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की स्थायी आस्तियों को भारतीय तेल निगम को बेचने का भी कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मैसर्स युनाइटेड प्रोविन्सेज कार्मशियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के चेयरमैन श्री एस०एम० वाही ने मैसर्स इन्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 10 रुपये प्रत्यक्ष मूल्य वाले 5,79,400 शेयरों को, जो उस कम्पनी की कुल इक्विटी पूंजी का 57.94 प्रतिशत है, स्टील ब्रादर्स एंड कम्पनी, लिमिटेड यू० के० से 21.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदने के लिये रिजर्व बैंक के कलकत्ता कार्यालय से अनुमति मांगी है ।

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव अभी भारत के रिजर्व बैंक के विचाराधीन है और अनमोदनार्थ अभी यह सरकार को नहीं भेजा गया हैं ।

(ग) इस प्रस्ताव में विक्रय मूल्य के लिये 1,24,57,100 रुपये की राशि और 50,000 पौंड की राशि बट्टेगत प्रभारों के लिये नियत की गयी है । ब्रिटेन को इस सौदे के परिणामस्वरूप कितनी धन राशि दी जायेगी यह अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और अभी इसे सरकार का अनुमोदन मिलना भी शेष है । राशि की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इस सौदे की कर-दायिता कितनी है ।

(घ) जी, हां । पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है ।

शिक्षित वर्गों में बेरोजगारी

*502. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पन्द्रह वर्ष की योजना के बावजूद भी देश में बहुत से शिक्षित लोग बेरोज़गार हैं और यह बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बेरोज़गारी में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उनके लिए लाभदायक रोज़गार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में क्या अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). जून, 1963 के अन्त तक लगभग 7.8 लाख मैट्रिक पास और स्नातक (ग्रेजुएट) व्यक्तियों ने रोज़गार के लिए रोज़गार के दफ्तरों में नाम दर्ज कराये थे । यह संख्या जून, 1966 में बढ़कर लगभग 8.9 लाख हो गई । औसत सालानावृद्धि 40,000 से कम है ।

(ग) चौथी योजना में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में लगभग 140 लाख लोगों को और कृषि क्षेत्र में लगभग 45 से 50 लाख तक लोगों को रोज़गार मिलने की सम्भावना है ।

बिजली की कमी

***503. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के अनेक भागों में सूखा पड़ने के कारण औद्योगिक तथा कृषि कार्यों के लिये बिजली की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कु० ल० राव) : आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को छोड़ कर देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 1966–67 के दौरान बिजली की सप्लाई सन्तोषजनक रहने की सम्भावना है । प्रभावित राज्यों की स्थिति नीचे दी जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश

इस वर्ष वर्षा फिर कम होने के कारण मचकुन्द और तुंगभद्र जल-भंडार में पानी की मात्रा कम ही रही । यह अनुमान लगाया गया है कि 60 लाख यूनिट प्रतिदिन उपलब्ध होगी जबकि 50 लाख यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता है, इस प्रकार 10 लाख यूनिट प्रतिदिन की कमी रहेगी । मैसूर राज्य की फालतू बिजली का विद्यमान 66 के० वी० सम्प्रेषण लाइन के माध्यम से उपयोग करके इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है ।

उड़ीसा

उड़ीसा को बिजली मुख्य रूप से हीराकुड और मचकुंद जल विद्युत् परियोजनाओं से सप्लाई की जाती है । इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण इन जल-भंडारों में जल की मात्रा बहुत कम रही । हीराकुड जल-भंडार में 1–11–1966 को जल स्तर 611.45 फुट था जबकि सामान्य स्तर 630 फुट होना चाहिये । इसके परिणामस्वरूप हीराकुड स्टेशन से बिजली का उत्पादन 10 लाख यूनिट प्रतिदिन हो सकेगा जबकि इसकी क्षमता 28 लाख यूनिट प्रतिदिन है । उस क्षेत्र की आवश्यकता जहां हीराकुड स्टेशन से बिजली दी जाती है, की आवश्यकता 1966–67 के दौरान 28 लाख यूनिट प्रतिदिन है । इस क्षेत्र में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई की स्थिति सुधारने के लिये दामोदर घाटी निगम से 5 लाख टन युनिट प्रतिदिन बिजली लेने के लिये करार किया गया है । इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से जो हीराकुड स्टेशन से 3.6 लाख यूनिट प्रतिदिन लेता है, यह अनुरोध किया गया है कि उनका अपना 50 मेगावाट बिजली की क्षमता वाला बिजली उत्पादक संयंत्र के चालू हो जाने पर वह बिजली की यह मात्रा लेना बंद कर दे । उन से यह भी अनुरोध किया गया है

कि जितना अधिक सम्भव हो, वे बिजली वापिस हीराकुड को सप्लाई करें। दामोदर घाटी निगम से और अधिक बिजली प्राप्त करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है ।

राजस्थान

राजस्थान के उत्तरी भाग को छोड़कर जिसे भाखड़ा नंगल से बिजली सप्लाई की जाती है, शेष सारे राज्य में बिजली की सप्लाई चम्बल परियोजना के गांधीसागर विद्युत् स्टेशन से की जाती है। लगातार तीन वर्ष के सूखे के कारण गांधीसागर के जल-भंडार में अब 10 लाख एकड़ फुट पानी रह गया है जबकि उसकी क्षमता 50 लाख एकड़ फुट पानी की है। सितम्बर, 1966 के बीच में जल का स्तर अधिकतम 1265 फुट तक पहुंचा था जिसमें से 8.40 लाख एकड़ फुट पानी उपयोग में लाया जा सकता है। फरवरी, 1967 तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की सिंचाई आवश्यकता को पूरा करते हुये इस अवधि तक बिजली का औसत उत्पादन 4 लाख यूनिट प्रतिदिन होगा और उसके बाद लगभग 7 लाख यूनिट प्रतिदिन होगा जबकि उत्पादन क्षमता 10 लाख यूनिट प्रतिदिन है। तदनुसार यह भी आवश्यक है कि जल-भंडार से जल की निकासी को नियमित किया जाये। यह प्रस्ताव किया गया है कि अगले क्षेत्रों में पानी को औद्योगिक और घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिये इस जल-भंडार से मार्च 1967 से आगे लगभग 450 क्यूसेक पानी कम से कम छोड़ा जाय।

राज्य की मांग 1966-67 के दौरान 20 लाख यूनिट प्रतिदिन की है जबकि केवल 10 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन सप्लाई की जा सकती है और इसके बाद केवल 8 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दी जा सकती है जिसमें भाखड़ा नंगल से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली 5 लाख यूनिट बिजली भी सम्मलित है दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में इस वर्ष बिजली की सप्लाई की स्थिति अधिक संतोषजनक है तथापि राजस्थान को आवश्यक प्रेषण लाईन बन जाने पर कुछ अतिरिक्त बिजली पंजाब दिल्ली ग्रिड से दी जा सकती है। ये हैं :—

(क) दिल्ली और अलवर के बीच 132 किलोवाट की इकहरा सरकट लाईन, और

(ख) हांसी से हिसार तक 132 किलो वाट की इकहरा सरकट लाईन।

उत्तर प्रदेश

रिहंड के आस-पास के क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण इस बार रिहंड झील में जल-स्तर केवल 858 फुट तक ही पहुंच सका जबकि इसकी पूर्ण क्षमता 880 फुट की है। परिणाम स्वरूप इस विद्युत् स्टेशन में केवल 17 लाख यूनिट प्रतिदिन पैदा की जा सकती है जबकि इसकी उत्पादन क्षमता 25 लाख यूनिट प्रतिदिन है दूसरे कृषि हेतु अधिक पम्प-सेट लग जाने और हिन्दुस्तान एलमुमीनियम फैक्टरी को उसके थर्मल स्टेशन तथा ओबरा थर्मल स्टेशन बनने से पूर्व बिजली की सप्लाई करने से भी बिजली की मांग बढ़ी है। इन दो कारणों से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की स्थिति विकट हो गयी है। बिजली की कुल मांग 45 लाख यूनिट प्रतिदिन है जबकि रिहंड और अन्य थर्मल स्टेशनों से केवल 28 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश की स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने रिहंड क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिये 30 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी है। अब उत्तर प्रदेश लगभग 10 लाख यूनिट प्रतिदिन दामोदर वाटी निगम से ले रहा है। इस से और अधिक बिजली लेने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

*504. **श्री मधु लिमये :** क्या **वित्त** मंत्री 25 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी की सहायक फर्मों, उड़ीसा मिनरल्स तथा बेकर ग्रे के मैंगनीज अयस्क तथा बोरियों में माल भेजने सम्बन्धी अन्य मामलों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा किये गये खनिज लोहे से भिन्न खनिज धातुओं के निर्यात के सम्बन्ध में जांच–पड़ताल, 1963 (जून-जुलाई) में शुरू की गयी थी, वह अभी भी चल रही है । सरकार को यह पता नहीं है कि उड़ीसा मिनरल्स ने खनिज मैंगनीज का सीधे निर्यात किया है । बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी द्वारा टाट के निर्यात के बारे में छान-बीन 1963 (जून-जुलाई) में शुरू की गयी थी और वह अभी भी जारी है ।

(ग) जांच-पड़ताल और छान-बीन कानून के अन्तर्गत की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं तथा आगे की आवश्यक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में अंग्रेजों की मूर्तियों का हटाया जाना

*505. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेजों की मूर्तियां हटाने में सरकार को कितना समय लगेगा?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : 12 में से 9 मूर्तियों को पहले ही हटाया जा चुका है। सरकार के द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार शेष तीन मूर्तियों को भी धीरे-धीरे हटा लिया जायेगा ।

वेतन–बचत योजना

*507. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन-बचत योजना सभी राज्यों में लागू कर दी गयी है और यह चल रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से राज्यों ने यह योजना लागू की है और उन्होंने यह कब से लागू की है ;

(ग) क्या सभी संबंधित कर्मचारियों ने इस योजना का स्वागत किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उन्होंने क्या-क्या आपत्तियां की हैं; और

(ङ) इस योजना को किन कारणों से सभी राज्यों में लागू नहीं किया जा सका और इसको लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख)	राजस्थान	1962
	पंजाब, उड़ीसा और दिल्ली प्रशासन	1964
	महाराष्ट्र	1966

यह योजना जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से पहले केरल राज्य में प्रचलित थी।

(ग) और (घ) कर्मचारियों में से किसी के भी द्वारा कोई आपत्ति उठाये जाने का निगम को कुछ पता नहीं है। जिन राज्यों में यह योजना लागू की गई है, वहां यह लोकप्रिय है।

(ङ) इस योजना को सभी राज्यों में लागू नहीं करने का मुख्य कारण यह है कि इस से सरकार की प्रशासनिक तथा लेखा व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा।

भारत सहायता सार्थ-संघ

*508. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये भारत की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के बारे में विचार करने के लिये भारत सहायता सार्थ-संघ की बैठक हाल ही में पेरिस में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक के बाद प्राप्त संकेतों के अनुसार इस सार्थ-संघ से कितनी सहायता मिलने की आशा है और इसमें से कितनी सहायता ऐसी होगी जो परियोजनेतर कार्यों के लिये होगी और बिना शर्त की होगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) भारत में आर्थिक क्षेत्र में हुई हाल की घटनाओं पर विचार करने के लिए, भारत सहायता संघ के सदस्यों की एक बैठक 7 और 8 नवम्बर, 1966 को पेरिस में हुई थी। संघ ने भारत की सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर भी, और विशेष रूप से इस बात पर फिर से विचार किया कि चालू भारतीय राजस्व-वर्ष के लिए 90 करोड़ डालर की गैर-प्रायोजना सहायता की जो सिफारिश पहले की जा चुकी है उस पर कहां तक अमल किया जा चुका है और इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि इसमें से अधिकांश रकम के लिए वचन दिये जा चुके हैं और बाकी रकम के बारे में अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

नेताओं की मूर्त्तियां

*509. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र के नेताओं की मूर्तियां लगाने के संबंध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार केवल मूर्तियों के स्थान के विषय में ही निर्णय कर सकती है। मूर्तियों का सभी खर्चा तथा उनका लगाना उन संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत लोगों को करना होता है जो कि प्रस्ताव को भेजते हैं। अतएव कब तक मूर्तियां लग जायेंगी यह नहीं कहा जा सकता।

नागार्जुनसागर परियोजना

*510. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा नदी के जल का उपयोग करने के लिये आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित नागार्जुनसागर परियोजना की क्रियान्विति निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसकी क्रियान्विति निर्धारित कार्यक्रम से कितनी पीछे है ; और

(ग) इस परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) नागार्जुनसागार परियोजना 1956 में आरम्भ की गई थी और सामान्यतः इसको लगभग 8 वर्षों में कार्य करना आरम्भ कर देना चाहिये था। अनुमानित लागत में वृद्धि और कठिन संसाधनों संबंधी स्थिति के कारण परियोजना ने जल संभरण केवल इसी वर्ष से आरम्भ किया है। बांध जून, 1967 तक पर्याप्त रूप से पूरा हो जायेगा। परियोजना का अग्रेतर कार्य आवश्यक रूप से नहर पद्धति के पूरा होने का है। इस कार्य के शीघ्र पूरा करने के लिये भारत सरकार जहां तक संभव हो रहा है तेज़ी से ऋण सहायता दे रही है।

रीटा बिस्कुट फैक्टरी, पटियाला

2246. **श्री उटिया**:
श्री मधु लिमये:
डा० राम मनोहर लोहिया:
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी:
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री बड़े:

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स रीटा बिस्कुट फैक्टरी, पटियाला की इमारत के गैर-कानूनी तौर पर बनाये जाने तथा इस मामले से संबंधित व्यक्तियों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) रीता बिस्कुट फैक्टरी, पटियाला सिरहिन्द सड़क पर स्थित है। पहले यह रूई से बिनौला निकालने वाला मिल था तथा यह मैसर्स जे० सी० गिनिंग एण्ड काटन मिल्स का था। बाद में इसे बिस्कुट फैक्ट्री ने खरीद लिया जो कि मई, 1965 से चल रही है। यह पटियाला नगरपालिका की सीमा से बाहर स्थित है किन्तु फैक्ट्री क्षेत्र के अन्दर है जिसे कि "नियंत्रित क्षेत्र" (कन्ट्रोल्ड एरिया) के नाम से जाना जाता है। यह नवम्बर, 1965 में पंजाब शेड्यल्ड रोड्स एण्ड कन्ट्रोल्ड एरियाज़ रेस्ट्रिक्शन आफ अनरेग्यूलेटड डवलपमेंट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत इस प्रकार घोषित किया जा चुका है। इस क्षेत्र को

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

"नियंत्रित क्षेत्र" घोषित करने से पूर्व फैक्ट्री वहां पर थी। उपर्युक्त उल्लिखित एक्ट की व्यवस्थाओं के विपरीत इसने बाद में दो शेड तथा एक कमरा बना लिया। इन दो इमारतों के गिराने के संबंध में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग पंजाब के निदेशक ने 15 अप्रैल, 1966 को फैक्ट्री को 'कारण बताने' का नोटिस दे दिया था। फैक्ट्री ने 29 अप्रैल, 1966 के अपने उत्तर में कहा था कि वे पंजाब में फैक्ट्रियों के मुख्य निरीक्षक के यहां पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हैं तथा उन्होंने बिजली सहित बनी बनाई इमारत, शेड, क्वार्टर, गोदाम आदि खरीदे थे तथा उन्होंने 1948 के फैक्ट्री एक्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ निर्माण कार्य किया है क्योंकि वर्तमान फैक्ट्री में कुछ परिवर्तन तथा संवर्धन की आवश्यकता थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि उपयोग की जा रही भूमि भी फैक्ट्री की चहारदिवारी के अन्दर है तथा उन्होंने कानून के खिलाफ कोई निर्माण नहीं किया है। नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, पंजाब के निदेशक ने 6 जून, 1966 को फैक्ट्री को यह सूचित किया कि उन निर्माण कार्यों के लिए विभाग का पूर्व अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता थी तथा उन्हें यह परामर्श दिया कि अनधिकृत इमारतों के निर्माण को नियमित कराने के लिए प्लान प्रस्तुत करें और यदि ऐसा नहीं किया गया तो विभाग फैक्ट्री के खिलाफ पंजाब शेड्यल्ड रोड्स एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन्स आफ़ अनरेग्यूलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाई की जायेगी। इसके अनुसार फैक्ट्री ने 20 जुलाई, 1966 को आवश्यक आवेदन दे दिया। आवेदन नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, पंजाब के विचाराधीन है। यह सत्य नहीं है कि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा मंत्रियों का इस मामले में कोई हाथ है। सरकार के द्वारा कोई कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रूबी इंश्योरेंस कम्पनी

2247. श्री लाखन दास:
श्री मधु लिमये:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूबी इंश्योरेंस कम्पनी का सम्बन्ध उससे है जिसे एकाधिकार आयोग ने 'बिड़ला ग्रुप' कहा है ;

(ख) बिड़ला कम्पनियों के बीमा कारोबार पर, जो रूबी बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है, दिये गये कमीशन पर क्या आय-कर के उद्देश्य से कर लगाया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) रूबी इंश्योरेंस कम्पनी उन कम्पनियों में से नहीं है जिन्हें एकाधिकार आयोग ने बिड़ला वर्ग की कम्पनियों के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया है।

(ख) रूबी इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा किये जा रहे बिड़ला कम्पनियों के बीमा कारोबार के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। कर-निर्धारण करते समय आय-कर अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की जायेगी।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

छिपाई हुई आय के बारे में सूचना देने के लिये पुरस्कार

2248. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपाई गई आय के बारे में उपयोगी सूचना देने के लिए दिये जाने वाले पुरस्कारों की राशि का कोई सम्बन्ध सूचना देने वालों द्वारा बताई गई छिपाई हुई आय की राशि वास्तविक निर्धारण लगाये गये जुर्मानों से होता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन पुरस्कारों की राशि किस प्रकार निश्चित की जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : सूचना देने वाले की सूचना के आधार पर कितनी छिपी आय का पता लगा तथा उस पर कितना अतिरिक्त कर लगा, इस तथ्यों को तथा सूचना देने वाले से किस किस्म की तथा किस हद तक सहायता मिली है इन बातों को ध्यान में रख कर इनाम का निर्णय किया जाता है ।

निर्यात

2249. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की गई किन-किन वस्तुओं के लिए निर्यातकर्ताओं द्वारा "आयात शुल्क वापसी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था;

(ख) किन-किन निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क की छूट दी गई थी; और

(ग) पिछले दो वित्तीय व्यापारी वर्षों में उपरोक्त भाग (क) और (ख) के अन्तर्गत उल्लिखित माल कुल कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) किन वस्तुओं का निर्यात करने पर उनके बाबत आयात शुल्क की वापसी होती है उनके नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र 1 में दिये गये हैं **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या 7413/66]**

(ख) जिन वस्तुओं का निर्यात करने पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट दी जाती है उनके नाम सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र 2 में दिये गये हैं **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या 7413/66]**

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

दिल्ली से सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना

2250. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 25 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों को अन्य स्थानों पर ले जाने में इस बीच और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना). (क) और (ख) तब से अभी तक और कोई कार्यालय दिल्ली से बाहर नहीं गया है। सरकार ने यह निर्णय किया है कि फ़िलहाल निम्नांकित कार्यालय दिल्ली ही में बने रहेंगे :—

(1) लाइट हाउसेज़ तथा लाइटशिप्स का विभाग (परिवहन तथा विमानन मंत्रालय, परिवहन, जहाज़रानी तथा पर्यटन विभाग)।

(2) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्रालय)।

(3) ब्यूरो आफ़ करेक्शनल सर्विसेज़ (डिपार्टमेंट आफ़ सोशल वैलफेयर)।

मंदिरों में सोना

2251. श्री मधु लिमये: क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 521 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि समस्त देश में सब मंदिरों ने कुल कितने सोने की घोषणा की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : देश में समस्त धार्मिक संस्थाओं, जिनमें मन्दिर भी शामिल हैं, द्वारा घोषित सोने की अनुमानित मात्रा इस प्रकार है :—

(1) गहनों के अतिरिक्त अन्य सोना .	38,15,136	ग्राम
(2) सोने के गहने	29,58,908	ग्राम
जोड़ .	67,74,044	ग्राम

आवास ऋण सम्बन्धी नियम

2252. श्री राम हरख यादव : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास ऋण सम्बन्धी नियमों में संशोधन कर दिया है, ताकि मध्यम आय-वर्ग के व्यक्तियों को भी मकान बनाने के लिए ऋण की सुविधाएं दी जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संशोधित नियमों के अन्तर्गत गैर-सरकारी निकायों को भी ये ऋण दिये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क), (ख) और (ग) जी, हां। निम्नांकित श्रेणी की संस्थाओं को अपने पात्र कर्मचारियों के लिए जिनकी वार्षिक आय 6001 रुपये तथा 15,000 रुपये के बीच है, मकान बना कर किराये पर देने के लिए राज्य

सरकारों/संघ क्षेत्रों के द्वारा ऋण का अनुदान देने की अनुमति देने के उद्देश्य से अभी हाल ही में मध्य आय वर्ग आवास योजना में तरमीम की गयी है :—

(1) बगैर हानि-लाभ के आधार पर चलन वाली सार्वजनिक संस्थाय।

(2) ग़ैर सरकारी किन्तु मान्यताप्राप्त—

(i) स्वास्थ्य संस्थायें तथा हस्पताल ;

(ii) शैक्षणिक न्यास तथा शैक्षणिक संस्थायें जिनमें विश्वविद्यालय शामिल हैं ; तथा

(iii) ख़ैराती संस्थायें ।

(घ) राज्य सरकारों में मध्य आय वर्ग आवास योजना को जीवन बीमा निगम निधि के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है तथा संघ क्षेत्रों में इस योजना को योजनानिधि से वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी विशेष वर्ग की संस्था के कर्मचारियों के लाभार्थ मकान बनाने के लिए विशेष तौर पर कोई निधि नहीं दी जाती। पूरी योजना के संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए निधियां राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को दिये गये वार्षिक नियतन में से दी जाती हैं।

बिहार के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में आदिम जातीय लोग

2253. श्री राम हरख यादव : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सूखाग्रस्त आदिमजातीय क्षेत्रों के सहायता कार्यों के लिये अपनाये जाने वाले उपायों का अध्ययन करने के हेतु कोई विशेष केन्द्रीय दल नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उसकी सिफारिशें कब तक प्राप्त हो जायेंगी ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (ग) सचिव तथा निदेशक (पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी), सामाजिक कल्याण विभाग, को घटना स्थल पर जा कर स्थिति का अध्ययन करने और आदिमजातियों के कष्ट को निवारण करने हेतु उपचारिक उपायों के लिये सुझाव देने के लिये, बिहार राज्य के सूखाग्रस्त आदिमजातीय क्षेत्रों का दौरा करने के लिये भेजा था। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उन्होंने निम्न सिफारिशें की हैं :—

(1) पालामाऊ जिला और शाहाबाद के साथ के क्षेत्रों और रांची जिला के 2 लाख आदिम जातीय लोगों की राहत के लिये बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित किये गये उपायों के अतिरिक्त विशेष राहत योजनाएं चालू की जानी चाहियें।

(2) वैधिक सहायता, उद्योगों के लिये राजसहायता आदि जैसी योजनाओं को जो कि इतनी जरूरी नहीं है अभी नहीं लिया जाना चाहिये और इस प्रकार जो धन बचे उसे कच्चे कुंओं के खोदने और खेतों में बंध बनाने पर खर्च करना चाहिये।

(3) राज्य आदिमजातीय कल्याण विभाग को, निदेशक की नियुक्ति करके मज़बूत बनाया जाना चाहिये और निदेशक को, लाटेहर सबडिवीज़न में, जो कि सूखे द्वारा सबसे अधिक प्रभावित हुई है, आदिम जातीय विकास योजनाओं की क्रियान्विति की सीधी ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहियें।

(4) लाटेहर सबडिवीज़न में वर्तमान अनाज-गोलाओं के पुनर्गठन के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिये जिसमें उपायुक्त अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां, रांची और निदेशक, आदिम जातीय अनुसन्धान संस्थान, रांची को शामिल किया जाना चाहिये। आदिमजातीय विकास क्षेत्रों के लिये बिहार सरकार को पहले से आवंटित राशि में से विनियोग द्वारा, चालू वित्तीय वर्ष में अनाज गोलाओं के पुनर्गठन के लिये 5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त को जानी चाहिये।

(5) विकास योजनाओं के वर्तमान तरीकों के अंतर्गत आदिम जातीय हितग्राहियों से प्रत्याशित से प्रत्याशित 50 प्रतिशत अंशदान में, जब तक सूखे की स्थिति है, ढील दी जाये।

पकाये हुए भोजन पर बिक्री-कर

2254. श्री राम हरख यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के होटल मालिकों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पकाये हुए भोजन पर लगा हुआ बिक्री-कर हटा दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) होटल मालिक संघ, शिमोगा ने अगस्त, 1966 में अभ्यावेदन दिया था कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह मैसूर सरकार को खाद्य वस्तुओं को बक्री कर से छूट देने की सलाह दे।

(ख) बिक्री कर सामान्य रूप से राज्य सरकार का विषय है, इसलिए होटल मालिक संघ को इस मामले पर सीधे राज्य सरकार से बात-चीत करने की सलाह दी गयी है।

कर-अपवंचन

2255. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनसे अभी आय-कर की राशि वसूल करनी बाकी है, कार्यवाही करने के लिए कानून में क्या विशेष उपबन्ध हैं और उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें से प्रत्येक ने 5 लाख रुपये से अधिक राशि देनी है, वास्तव में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) किन-किन व्यक्तियों से इस समय पांच लाख रुपये से अधिक आय-कर की राशि वसूल की जानी बाकी है; और

(ग) आय-कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ग) कर की वसूल होने से बकाया रकमों की वसूली के लिये कानून में उपलब्ध उपाय संक्षेप में नीचे लिखे गये हैं :—

(1) वसूल होने से बकाया कर की रकम पर ब्याज लगाना। [आय कर अधिनियम की धारा 220(2)]।

(2) वसूल होने से बकाया के लिए दण्ड लगाना । [आय कर अधिनियम की धारा 221 (1)] ।

(3) कर वसूली अधिकारियों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना । [आय कर अधिनियम की धारा 222(1)]। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कर वसूली अधिकारी को अधिकार है कि वह कर की अदायगी बकाया रखने वाले निर्धारिती से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में दिये गये नियमों के अनुसार नीचे दिये गये तरीकों में से एक या अधिक तरीके से कर वसूल करले ।

(क) निर्धारिती की चल सम्पत्ति को जब्त करना और बेचना;

(ख) निर्धारिती की अचल सम्पत्ति को जब्त करना और बेचना;

(ग) निर्धारिती को गिरफ्तार करना और उसे जेल में बंद रखना;

(घ) निर्धारिती की चल तथा अचल सम्पत्ति की व्यवस्था के लिये एक गृहीता (रिसीवर) नियुक्त करना;

(4) कर की अदायगी बकाया रखने वाले व्यक्ति को अन्य पक्ष से प्राप्त होने वाली या भविष्य में प्राप्त होने वाली रकमों को जब्त करना । (आयकर अधिनियम की धारा 226) ।

(5) चल सम्पत्ति को अधिकार में लेना तथा बचना । [आयकर अधिनियम की धारा 226(5)]।

(6) किसी भी म्यूनिसिपल कर या स्थानीय कर की वसूली के लिये जो व्यवस्था है उसी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कर की वसूली (आयकर अधिनियम की धारा 227) ।

(7) अगर निर्धारिती की पाकिस्तान में सम्पत्ति है तो पाकिस्तान में उस जिले के कलक्टर को प्रमाण-पत्र भेजना जिस में निर्धारिती की सम्पत्ति स्थित है । [आयकर अधिनियम की धारा 228(1)] ।

(8) सरकार को देय कर्ज की वसूली से सम्बन्धित तत्काल लागू किसी भी अन्य कानून के अन्तर्गत वसूली करना अथवा मुकदमा चलाकर वसूली करना ।

(9) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर की किसी वापस मिलने वाली रकम को कर की बकाया रकम के विरुद्ध समायोजित करना । (आयकर अधिनियम की धारा 245) ।

जिस प्रत्येक मामले में पार्टी की तरफ कर की 5 लाख रुपये से अधिक रकम वसूल होनी बाकी रहती है उसके मामले में वसूली की उपर्युक्त कार्यवाहियों में से जो भी कार्यवाही मामले के गुण दोष के अनुसार आवश्यक होती है, वह की जाती है ।

(ख) 30 जून, 1966 को बकाया रकमों के बारे में सूचना उपलब्ध है । नाम सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7414/66]**

दिल्ली के लिये आलर्क रोग (रैबीज) नियंत्रण कार्यक्रम

2256. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये आलर्क रोग (रैबीज) नियंत्रण कार्यक्रम तैयार करने के लिये कुछ समय पूर्व एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि इस बीमारी के कारणों पर नियंत्रण करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(1) आवारा कुत्तों को मारने का अभियान हाल ही में तीव्र कर दिया गया है। चालू वर्ष में अब तक (जनवरी–सितम्बर, 1966 तक) 45,000 कुत्ते मारे गये हैं जबकि 1965 में सारे वर्ष में कुल 33,802 कुत्ते मारे गये थे।

(2) पालतू कुत्तों के लाइसेन्स दिये जा रहे हैं।

(3) पशु चिकित्सालय, तीस हजारी में आलर्क के विरुद्ध पालतू कुत्तों के प्रतिरक्षण के लिये व्यवस्था की गई है।

(4) निरोधी उपायों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। गांधी जयन्ती मेले के दौरान टाउन हाल और क्षेत्रीय कार्यालय, सदर पहाड़गंज क्षेत्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और 1966 के सफाई पखवाड़े में एक जलूस भी निकाला गया। पोस्टर और पैम्फलेट बांटे गये। मनुष्यों और पशुओं में आलर्क के नियंत्रण और रोकथाम के बारे में आधुनिकतम उपायों पर विचार विमर्श करने के लिये दिल्ली में जुलाई 1966 में दिल्ली मेडिकल एसोसियेशन और दिल्ली वेटेरिनरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में रोकथाम और नियंत्रण सम्बन्धी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(5) 18 आलर्क निरोधी केन्द्रों में कुत्ते के काटने के पश्चात् किया जाने वाला आलर्क निरोधी उपचार किया जाता है। इन केन्द्रों में अगस्त, 1966 के अन्त तक 6510 व्यक्तियों को रोगरोधी टीके लगाये गये।

आंध्र प्रदेश में बाढ़-नियंत्रण योजनाएं

2257. श्री ईश्वर रेड्डी: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उस राज्य ने कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). चतुर्थ योजना के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण की अभी तक कोई योजना नहीं दी है । तथापि, उनकी चतुर्थ योजना के प्रारूप में राज्य सरकार ने निम्न व्यय का प्रस्ताव रखा है :—

बाढ़ नियंत्रण योजनाएं . . .	154 लाख रु०
जल निस्सारण तथा जल निमज्जन विरोधी योजनाएं .	80 लाख रु०
समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं	20 लाख रु०
कुल	254 लाख रु०

राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि कोल्लेरुर बेसिन और साथ के डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सारण सम्बन्धी सुधार के लिये एक व्यापक योजना आरम्भ की जाये । इस योजना की कुल अनुमानित लागत 26.72 करोड़ रु० है और इसको 8 वर्ष की अवधि के दो चरणों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ।

(घ) और (ङ). प्रत्येक वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि वार्षिक योजना सम्बन्धी चर्चाओं के आधार पर निश्चित की जाती है । 1966–67 के लिये 15 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता देनी निश्चित हुई है ।

उड़ीसा में आदिम जातीय खण्ड

2258. श्री महेश्वरनायक : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में, विशेषत: मयूरभंज जिले में अनुसूचित आदिम-जातीय लोगों के लिए जो आदिम जाति खण्ड बनाये गये हैं उनको बनाते समय अधिकांश मामलों में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि आदिम जातियों के लोग किस क्षेत्र में बहुसंख्या में रहते हैं; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं । तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान म्यूरभंज जिला में खोले गये ब्लॉक सहित उड़ीसा में खोले गये सभी आदिम जातीय विकास खंड इस प्रयोजन के लिये रखी गई $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत आदिम जातीय लोगों की आबादी की शर्त को पूरा करते हैं ।

चतुर्थ योजना के दौरान $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत की कसौटी को शिथिल करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है । 1966–67 (चतुर्थ योजना के पहले वर्ष में) मयूरभंज जिले में 50 प्रतिशत आबादी की शर्त पूरा करने वाले 4 आदिमजातीय विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Railway Passes for Drivers in Government Hospitals in Delhi

2259. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government issue free Railway Passes to its employees for going to their native places whose homes are at a distance more than 300 miles;

(b) if so, the number of drivers employed in the hospitals in Delhi under her Ministry to whom this facility has been extended; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). No railway passes are issued. Under the existing rules, Leave Travel Concession is admissible once in a period of two calendar years to Central Government servants of all grades including drivers employed in Central Government hospitals whose home town are beyond 400 kilometers (160 kilometers in the case of Grade IV employees).

Information with regard to part (b) of the question is being collected.

Buildings for Super Bazars

2260. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of buildings allotted to Co-operative Societies and others for opening Super Bazars or Co-operative Stores in Delhi and other Centrally-Administered areas;

(b) whether Government receive any rent therefor and if so, at what rate and the total amount thereof; and

(c) whether Government are receiving rent proportionate to the cost of these buildings and in case it is lesser than that, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

परिवार नियोजन कार्यक्रम

2261. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड प्रतिष्ठान ने तीन वर्ष की अवधि के लिये भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक नया अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय सहायता की कुल राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) 2,280,000 डालर ।

कोलार स्वर्ण खानें

2262. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार स्वर्ण खानों में अब पूरे पैमाने पर काम फिर आरम्भ हो गया है ।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिकारियों को खानों के कार्य को कब तथा किन परिस्थितियों में धीमा करना पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). नवम्बर 1962 में चैम्पियन रीफ खान के दक्षिणी भाग में, चट्टानों के कई बार भीषण रूप से फटने से उस क्षेत्र को जाने वाले सभी रास्ते बन्द हो गये और भराई का काम असम्भव हो गया। उस क्षेत्र को फिर से पूरी तरह खुदाई के योग्य बनाने में कुछ वर्ष लग जायंगे इसी खान के उत्तरी भाग की निचली परतों में जुलाई 1965 से कई बार आग लगी जिसके कारण उस क्षेत्र को जनवरी 1966 के अंत तक के लिए बन्द कर देना जरूरी हो गया। इसी बीच खानों के मुख्य निरीक्षक ने खानों में रोशनी और हवा के सम्बन्ध में और भी कड़े नियम लागू कर दिये। इन नियमों के अनुसार रोशनी और हवा की व्यवस्था के लिए कई कदम उठाये गये और उत्तरी भाग के कुछ स्तरों पर अगस्त 1966 के मध्य से सीमित आधार पर काम शुरू कर दिया गया। नन्दीदुग खान में भी चट्टान के फटने से काम पर असर पड़ा, जिसके कारण उस खान में लगभग छः महीने तक काम की गति धीमी रही ।

देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम

2263. श्री ब कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयां देहातों में बिजली लगाने के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है ;

(ख) चालू वर्ष के बजट से इस प्रयोजन के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में देहातों में बिजली लगाने का काम कितने गांव में आरम्भ किया गया है ?

सिंचई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विधियों की कमी की एक कठिनाई थी ।

(ख) राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों को छोड़ कर, जहां से जानकारी अभी नहीं आई है, 1461.42 लाख रु० ।

(ग) राजस्थान और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों को छोड़ कर 7569 गांव ।

जीवन बीमा निगम की मकान-निर्माण योजना

2264. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में जीवन बीमा निगम की मकान निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि व्यय हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम की मकान निर्माण योजना सारे देश में लागू करने का है ; क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लोगों के लिये अच्छे मकान बनाने की बहुत आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में जीवन बीमा निगम का मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाने का अस्थायी कार्यक्रम है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस अवधि में राज्य सरकारों और सहकारी आवास वित्त समितियों को उनकी विभिन्न आवास योजनाओं के लिए 81.15 करोड़ रुपया पेशगी दिया गया था। इसके अतिरिक्त निगम ने गिरवी की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 21.65 करोड़ रुपया पेशगी दिया है जिस का अधिक भाग रिहायशी इमारतें बनाने के काम आता है । इसके अलावा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी इमारतें (स्टाफ क्वार्टर) बनाने पर 55.59 लाख रुपया खर्च किया है ।

(ख) निगम की निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :—

(i) अचल सम्पत्ति को गिरवी रखकर ऋण देने की योजना ।

(ii) अपने मकान के मालिक बनो योजना ।

(iii) निगम के कर्मचारियों द्वारा बनायी गयी सहकारी समितियों को ऋण देने की योजना ।

(iv) निगम के अलग-अलग कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की योजना ।

(v) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को उनके कर्मचारियों की आवास योजनाओं के लिए ऋण देने की योजना ।

(vi) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के कर्मचारियों की सहकारी आवास समितियों को ऋण देने की योजना ।

इनमें से योजना संख्या (iv), (v) और (vi) सारे भारत में लागू हैं। योजना संख्या (i), (ii) और (iii) चुने हुए नगरों में चल रही है।

नगरों के विकास की गति विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक और वाणिज्यक सम्भावनाओं तथा आवासों की मांग आदि को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा उन नगरों की सूची की समय समय पर समीक्षा की जाती है, जहां तक उक्त योजनाएं चालू हैं, और तब इस सूची में उचित समझे जाने वाले नगर इस सूची में जोड़े जाते हैं। लेकिन यह सम्भव नहीं लगता कि निगम इन योजनाओं का इतना विस्तार कर सके कि वे चौथी योजना की अवधि में सारे देश में लागू हो सकें।

(ग) जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाली 41.07 लाख रुपये की लागत की रिहायशी इमारतों के निर्माण का काम अप्रैल 1966 से हो रहा है। निगम द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार चौथी आयोजना की शेष अवधि में निगम के स्वामित्व वाली लगभग 6 करोड़ रुपये तक की रिहायशी इमारतों का निर्माण करने की व्यवस्था है।

बाढ़ नियंत्रण उपाय

2265. श्री श्रीनारायण दास : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण उपायों के तौर पर वर्तमान बांधों को ठीक करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ने बिहार सरकार को कुछ सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की और कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि नये बांधों के लिये कोई सहायता दी गई है तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) अनुमोदित बाढ़ नियन्त्रण उपायों, जिनमें वर्तमान बन्धों का सुधार और मज़बूत किया जाना और नये बंधों का निर्माण भी शामिल है, की क्रियान्विति के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता दी है। वित्तीय सहायता किसी विशिष्ट प्रकार के बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिये विशेष रूप से नहीं दी जाती है परन्तु समूची अनुमोदित योजनाओं के लिये दी जाती है। बिहार में पिछली तीन योजनाओं के दौरान बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये दी गई ऋण सहायता इस प्रकार है :—

योजना	ऋण सहायता (रु० लाखों मे)
प्रथम योजना . . .	200.00
द्वितीय योजना	834.50
तृतीय योजना . . .	232.64

ऊपर दिये गये आंकड़ों में कोसी परियोजना के लिये दिया गया बाढ़ नियन्त्रण का हिस्सा शामिल नहीं है ।

Y.W.C.A. Hostel

2266. **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri P. C. Borooah:**
Shri Subodh Hansda: **Shri S. C. Samanta:**
Shri M. L. Dwivedi: **Dr. M. M. Das:**

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of christian and non-christian girls living in the Y.W.C.A. Hostel, New Delhi; and

(b) whether rules, regulations and rights in the hostel are applied to all girls without any distinction of caste and creed?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Christian—33, Non-Christin—60.

(b) We have received no complaints.

रुद्रपुर में फर्मों द्वारा करापवंचन

2267. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री उटिया :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री मधु लिमये :**
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री रुद्रपुर में फर्मों द्वारा करापवंचन के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस मामले में और क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : आयकर की रकम के बारे में जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत श्री राम प्रसाद (मृत) की सम्पत्ति का कर-निर्धारण करने के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

मन्माड़ रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया सोना

2268. **श्री राम सेवक यादव :** **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वित्त** मंत्री मन्माड़ रेलवे स्टेशन पर पकड़े गये सोने के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : इस मामले में पकड़ा गया सोना पूर्णतया जब्त कर लिया गया है और जिस व्यक्ति के पास से सोना पकड़ा गया था उस पर सीमा शुल्क अधिनियम तथा स्वर्ण नियंत्रण कानून, प्रत्येक के अन्तर्गत, 25,000 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है। इस व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा चलाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

रोशनारा पेंट्स एण्ड वारनिश वर्क्स, दिल्ली

2269. श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली की रोशनारा पेंट्स एण्ड वार्निश वर्क्स कम्पनी के सम्बन्ध में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3966 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उसके सन्तुलन-पत्रों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) आयकर अधिकारी द्वारा जांच अभी भी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से सोना पकड़ा जाना

2270. श्री राम सेवक यादव : **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपालसिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वित्त** मंत्री इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से पकड़े गये सोने के बारे में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले की इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी):(क) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इमारतों का गिराया जाना

2271. श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेडी : **श्री य० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितने मकान गिरा दिये गये हैं अथवा गिराये जा रहे हैं तथा उनका कितना क्षेत्र था; और

(ख) उनके मन्त्रालय के अनुमान के अनुसार गिराने तथा पुनर्निर्माण पर क्रमश: कितना व्यय होगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Purchase of ECAFE Electricity from Mahaveli (Ceylon)

2272. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri M. Malaichami:
Shri Vasudevan Nair:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether information regarding the supply of Electricity produced by the Mahaveli Power Project for consumption in Madras was sought through ECAFE and the steps being taken to procure 150 M.W. Electricity for Madras which was agreed to by the Government of Ceylon as a result thereof;

(b) the time by which a final decision in the matter is likely to be taken, if the proposal has been examined by the ECAFE experts; and

(c) the cost of 150 M.W. electricity that will be supplied to India by the Government of Ceylon and the rates charged from the Government of Madras for the electricity produced by the Hydro-electric Plant just in the vicinity of Madras?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) No information is available with the Central Government or the State Government.

(b) and (c). Do not arise.

Primary Health Centres

2273. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the nature of scheme proposed to be taken up by Government on the recommendations contained in the report presented in the 19th Session of the World Health Organisation for the establishment of Primary Health Centres in the country;

(b) the amount likely to be received from the World Health Organisation for the management of these Health Centres and amount to be borne by the Central Government; and

(c) the time by which this work is likely to be completed according to the report of the World Health Organisation?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Presumably the Hon'ble Members have in mind the strengthening of primary health centres for undertaking increased responsibilities in respect of the maintenance activities of malaria eradication and smallpox eradication programme, health intelligence, health education, maternity and child health, family planning, etc. If so, the position is that the existing primary health centres are being strengthened by providing additional staff, increasing the

number of sub-centres from a fixed number of 3 to as many as multiples of 10,000 population, increasing the number of beds from 6 to 10, increasing the provision for drugs and maintenance of vehicles and by providing additional accommodation and staff quarters.

(b) The programme for the Development of rural health services is being assisted by the W.H.O. and UNICEF as indicated below:—

(i) W.H.O. provide technical advice under Projects India-125, 185 and 191. They do not provide any assistance in the shape of materials. Under Project India-185, W.H.O. is to provide the services of personnel which will cost them $ 85,476 in 1967-68 and $ 145,572 for 1968-69. Under Project India-191, W.H.O. is to provide 2 public health officers during 1966-67 and 1967-68 costing about $ 56,650.

(ii) UNICEF is supplying vehicles, some essential equipment, drugs and diet supplements and has so far allocated $ 19,178,800 (Rs. 143,841,000) for this programme.

The total plan outlay for the fourth p'an period is Rs. 103 crores. The Central Government's share is yet to be decided.

(c) Primary Health Centres—Basic Health Service—are to be strengthened during the IVth and the subsequent plan periods depending on the availability of technical personnel and funds.

पानागढ़ कृषि-फार्म

2274. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा अनुसन्धान अध्ययन के लिए स्थापित किये गये पानागढ़ कृषि-फार्म ने उपयोगकरण तथा फसलें उगाने के तरीके के सम्बन्ध में अपना क्या योगदान किया है ; और

(ख) इस फार्म में किये गये अनुसन्धानों से किसानों को कितना लाभ हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पानागढ़ कृषि-फार्म द्वारा किये गये अध्ययन तथा उनसे प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :—

(एक) **अमन धान के पौधों को बोने की तारीखों का अध्ययन** : चूंकि दामोदर घाटी प्रदेश मुख्य रूप से एक अमन धान वाला क्षेत्र है, धान लगाने के लिए उपयुक्त समय जानने के लिए एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि बीज लगाने के कार्य को अगस्त के पहले सप्ताह तक आगे बढ़ाया जा सकता है और इससे उत्पादन को कोई हानि नहीं होगी ।

(दो) **फसलों की उपज पर भू-जल निस्सारण के प्रभावों का अध्ययन** : यह जानने के लिए अध्ययन किया गया था कि क्या उचित नालियों द्वारा उपज को बढ़ाया जा सकता है। तजुर्बे के लिए प्रयोग में लाई गई अधिकांश फसलों से उपज में काफी वृद्धि का पता चला और विशेष रूप से कपास, मक्का, पटसन, गेहूं, सरसों और मटरों की उपज में।

(तीन) **सिंचाई वाली भूमि में गेहूं के साथ समता प्रादेशिक परीक्षण (16 किस्म)** : भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान के अन्तर्गत किये गये अध्ययन का 16 किस्मों में से 6 का बहुत अच्छा परिणाम निकला जिनमें 29 मन और अधिक प्रति एकड़ उपज निकली है। अध्ययन का उद्देश्य किसी क्षेत्र के लिए किसान को सब से अधिक उपयुक्त किस्मों की सिफारिश करना था।

(चार) **गवेषणात्मक परीक्षण** : परीक्षणों का उद्देश्य स्थानीय मिट्टी और मौसमी हालतों के लिए किसानों को विशिष्ट फसलों की उपयुक्तता के बारे में जानकारी देना है। परीक्षण से पता चला कि गन्ने किस्म संख्या सी० ओ०-1008, सरसों किस्म एफ० एल०-16/3, पटसन किस्म जे० आर०-0623, ओस धान किस्म चारनाक और गेहूं किस्म सोनारा–64 की सब से अधिक उपज निकली।

(पांच) **विविध प्रारम्भिक परीक्षण** : मकई सामान्यतः इस क्षेत्र में नहीं उगाई जाती है, एक प्रारम्भिक परीक्षण से पता चला कि प्रति एकड़ 80 पौंड नाइट्रोजन खाद से अच्छी उपज होती है। इसके अतिरिक्त एक साथ दो फसल और तीन फसल से परीक्षणों के भी अच्छे परिणाम निकले।

(छः) **क्षमता परीक्षण:** खरीफ और रबी दो अध्ययनों के पश्चात् खन्डवार उपज बताने वाले मानचित्र तैयार किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 खरीफ की और 10 रबी की फसलें बोई गई थीं।

2. फार्म द्वारा किये गये विभिन्न अध्ययनों की जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार कृषि के विस्तार से मुख्य रूप से सम्बन्धित अन्य अभिकरणों को दी जाती है। तथापि, कृषकों और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिखाई गई रुचि से पता चलता है कि वे फार्म द्वारा किये गये अनुसन्धानों से लाभ उठा रहे हैं।

बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली की खपत सम्बन्धी सर्वेक्षण

2275. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामंत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम व्यवस्था के विस्तार के हेतु पश्चिम बंगाल और बिहार में बिजली की खपत के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या 1965–66 से ले कर 1968–69 तक की अवधि में उसकी मांग का अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम के वर्तमान एकक विस्तार के बिना ही इस मांग को पूरा कर सकेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1968-69 तक दामोदर घाटी के लिए अनुमानित बिजली की मांग को वर्तमान एककों और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर किये गये उन एककों द्वारा पूरी की जा सकती है जिनका निर्माण अब चालू है ।

कलकत्ता में आय-कर सम्बन्धी जांच पड़ताल

2276. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में विशेष व्यौरेवार जांच पड़ताल के काम के लिए केन्द्रीय आय-कर न्यायाधिकरण (केन्द्रीय) के अधीन कुल कितने सहायक निरीक्षण आयुक्तों और आयकर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ;

(ख) गत दो वर्षों में उन्होंने छिपाई गई आय के कुल कितने मामले पकड़े हैं ;

(ग) अपीलों का अन्तिम निपटारा होने के बाद राजस्व में कितनी शुद्ध वृद्धि हुई है;

(घ) कितने मामलों में जुर्माना किया गया है ; और

(ङ) जुर्माने से कुल कितनी धनराशि एकत्र हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 2 निरीक्षी सहायक आयुक्त और 23 आयकर अधिकारी, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) कलकत्ता के कार्य क्षेत्र में नियुक्त हैं । केन्द्रीय न्यायाधिकरण (केन्द्रीय) के अधीन नहीं ।

(ख) 246 ।

(ग) 108.84 लाख रुपये ।

(घ) 135 ।

(ङ) 62.60 लाख रुपये ।

B.I.M.S. and A.M.B.S: Graduates to take up M.B.B.S. Course

2277. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Graduates possessing B.I.M.S. and A.M.B.S. Degrees under the integrated system of medicine have been permitted by Government to take up the M.B.B.S. Course;

(b) if so, the response thereto; and

(c) whether Government have kept any record of the number of Graduates under the integrated system of medicine?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No.

गुजरात के भूतपूर्व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर के विरुद्ध आरोप

2278. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4036 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टर के विरुद्ध, जब वह गुजरात में था, अनियमितताओं के आरोप तथा पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कलेक्टर के रूप में काम करते समय उनके विरुद्ध लगाये गये नये आरोपों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार उनका महत्वपूर्ण सीमा राज्य से किसी और क्षेत्र में, जहां सुरक्षा सम्बन्धी खतरा कम हो, स्थानान्तरण करने का है ; और

(ख) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) गुजरात में उनके कार्यकाल की कथित अनियमितताओं की विशेष पुलिस द्वारा की जा रही जांच अभी भी चल रही है । उनके उत्पादन शुल्क समाहर्ता, पश्चिम बंगाल का कार्यभार संभाल लेने के बाद की अवधि सम्बन्धी किसी आरोप की जांच-पड़ताल अथवा पूछ-ताछ नहीं हो रही है । इसलिए उन्हें वर्तमान कार्यक्षेत्र से स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नही उठता ।

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा नियमों का उल्लंघन

2279. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमींचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा किये गये विभिन्न नियमों के उल्लंघनों के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह जानकारी सभा पटल पर कब रखी जायेगी ;

(ग) क्या इस बीच आवश्यक छापे मारे गये हैं तथा गिरफ्तारियां और कानूनी कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां । जहाज पर माल लादने से सम्बन्धित कागजातों के मिलने के तारीख के बारे में झूठे प्रमाण-पत्र के आधार पर कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को पत्तन-शुल्क के 1,02,220 रुपये 62 पैसे का धोका देने के आरोप में 25-5-1966 को कलकत्ते की दो कम्पनियों, (1) मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल तथा (2) मैसर्स देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी, और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाकायदा मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ख) जहाज पर माल लादने से सम्बद्ध कागजातों के प्राप्त होने में विलम्ब हो जाने के आधार पर मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल ने माल छुड़वाने के लिए नियुक्त अपने एजेंटों (क्लेयिरिंग एजेण्ट्स) मैसर्स ली एण्ड म्युरहेड के मार्फत, रियायती दर पर भाड़े की अदायगी कर के, आयात किये गये माल के जत्थों को उठवा लिया था।

(ग) माल के बन्दरगाह से हटाये जाने की अनुमति तभी दी जाती है जब आयुक्तों को देय सभी खर्चों की पूर्व-अदायगी कर दी जाती है। मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल का पत्तन-आयुक्त के पास जमा-खाता था और जिन पार्टियों का इस प्रकार का खाता होता है उन्हें खाते में समुचित रकम नामे डालने पर माल उठाने की अनुमति दे दी जाती है।

(घ) तलाशी के वारंटों के आधार पर, मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल और उनकी सहयोगी कम्पनियों, मैसर्स ली एण्ड म्युरहेड क्लीयरिंग एजेण्ट्स, मैसर्स देवकरण नानजी बैंकिंग कम्पनी, मैसर्स हंसा लाइन्स के कार्यालय के स्थान और मैसर्स अमींचन्द प्यारेलाल के भागीदारों के रिहायशी मकानों की तलाशी ली गई थी और कागजात पकड़े गये थे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

Transfer of Income-tax Officers

2280. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Raghunath Singh:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the period after which Income-tax Officers are transferred from one place to another;

(b) whether there are officers in Bombay, Delhi and Calcutta who have not been transferred for the past more than ten years;

(c) whether the officers continue to remain there even after getting promotions;

(d) if so, the reasons therefore; and

(e) the steps Government propose to take in the matter?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Income Tax Officers, Class I, are normally transferred from one Commissioner's charge to another after a stay of three to five years. Income Tax Officers, Class II are, however, not so transferred, unless there are administrative reasons for doing so, until they are promoted to Class I. Commissioners of Income Tax, however, transfer Income Tax Officers, both Class I and Class II, from one charge to another within their jurisdiction every two to three years.

(b) Yes, Sir. There are nine such officers, of whom four are Income Tax Officers, Class I, and five Income Tax Officers, Class II, out of a total of 968 such Class I officers and 918 such Class II officers.

(c) Usually ncome-tax Officers Class II are transferred out of the charge when they are promoted.

(d) and (e). Of the four Class I officers referred to in answer to part (b) above, two were promoted from Class II only on 1st January, 1966. One other was promoted in 1959, but was not transferred because he was

then above 50. The fourth officer was transferred from the jurisdiction of one Commissioner to another, though he continued to be in Calcutta.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation (Pvt.) Ltd., and M/s. Makenzies Ltd., Bombay

2281. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2046 on the 11th August, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that contracts worth crores of rupees are awarded by various Government departments to M/s. Oriental Timber Trading Corporation (Pvt.) Ltd., and M/s. Makenzies Ltd., Bombay;

(b) whether it is also a fact that in view of the total amount of business, these firms are showing comparatively very small profit in order to evade Income-tax;.

(c) whether it is further a fact that in order to show increased expenditure, signature of employees are obtained on blank vouchers and huge amounts are filled therein and fake purchases are shown to diminish profits which results in huge loss of Income-tax to Government; and

(d) if so, the steps taken by Government to enquire into the working of these firms?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir. The two companies have jointly entered into contracts with several Government concerns.

(b) Since the assessments are pending, it is premature to say whether the profits shown are very low or whether any evasion of Income-tax is involved.

(c) Government have no information. The matter will be looked into by the Income-tax Officer in the course of the assessments.

(d) Does not arise.

Transfers of Officers and Employees of Government Hospitals in Delhi

2282. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it has been decided to transfer the Administrative Officers and class III and class IV employees of Government hospitals in Delhi like Doctors and nurses from one hospital to another;

(b) if so, when this decision is likely to take effect; and

(c) if not, the difficulties in the Way of its implementation?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c). There is no common cadre between the Safdarjang and Willingdon Hospitals and no proposal is under consideration to transfer the Administrative Officers and the Classs III and Class IV employees from one Hospital another. Under the Delhi Administration, however, transfers of Class III ministerial employees are made already.

Loop

2283. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of deaths have taken place in the country as a result of use of loop;

(b) whether it is also a fact that complications occurred in two cases, where loop was used, in Gandhi Nagar and Birla Mandir areas of Delhi/New Delhi in August and September, 1966 resulting in death; and

(c) if so, the number of women who have died in Delhi since January, 1966 up-to-date as a result of use of loop?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

2284. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., Bombay sold a particular brand of paper at the rate of Rs. 3 per kilo to one of its own firms for the purpose of taking loan from the Central Bank of ndia, Ltd.;

(b) whether it is also a fact that by selling the same brand of paper to other firms in the market, the said Company accounted half the aforesaid rate in their ledgers and kept the rest of the amount as a black money with a view to evade income-tax;

(c) if not, whether the sale to its own firm was shown at higher rates with a view to defraud the Bank; and

(d) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the steps being taken by Government to detect the income-tax evasion?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c). The Government have no information. The matter will be looked into by the Income-tax Officer in the course of assessments.

(d) Does not arise.

श्री एच० डी० मूंदड़ा के नाम आयकर की बकाया राशि

2285. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एच० डी० मूंदड़ा तथा उनकी फर्मों के नाम आय-कर की बकाया राशि वसूल कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1966 को कुल कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) 1965–66 में 31 मार्च, 1966 तक कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं । बकाया कर की रकम का एक भाग वसूल हो गया है ।

(ख) रु० 6,45,97,609 ।

(ग) रु० 3,38,828 ।

मैसर्स ओर्र दिग्नेम एण्ड कम्पनी

2286. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ओर्र दिग्नेम एण्ड कम्पनी को 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म ने इस 'कारण बताओ' नोटिस का उत्तर दे दिया है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां । मेसर्स ओर्र दिग्नेम एण्ड कम्पनी को दो 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं ।

(ख) जी हां । कम्पनी ने 16 सितम्बर, 1966 के अपने पत्रों में इन दोनों 'कारण बताओ' नोटिसों का उत्तर दे दिया है ।

(ग) यह मामला न्याय-निर्णय अधिकारी के विचाराधीन है ।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा विकसित किये गये प्लाट

2287. श्री यशपाल सिंह : क्या निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा 1965–66 तथा 1966–67 में अब तक कुल कितने प्लाट विकसित किये गये;

(ख) उक्त अवधि में कितने प्लाट नीलामी द्वारा बेचे गये और कितने प्लाट लाटरी निकाल कर बेचे गये; और

(ग) अक्टूबर 1966 से अप्रैल 1967 की अवधि में कितने प्लाट नीलाम करने तथा कितने प्लाट लाटरी द्वारा बेचने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) 793.

(ख) नीलाम के द्वारा बेचे गये . . 749

लाटरी के द्वारा बेचे गये . . 354

(ग) नीलाम के द्वारा 400

लाटरी के द्वारा . . . . . कोई नहीं ।

शक्ति नगर, दिल्ली के निकट दिल्ली विकास प्राधिकार के प्लाट

2288. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने कम आय वाले लोगों के लिये शक्ति नगर दिल्ली के निकट कुछ प्लाट विकसित किए हैं जिन्हें लाटरी द्वारा बेचने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्लाट विकसित किये गये हैं और कितने प्लाट कम आय वाले व्यक्तियों के लिये रखे गये हैं; और

(ग) उनको कब बेचे जाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). शक्ति नगर के नज़दीक वज़ीरपुर क्षेत्र में रिहायशी प्लाटों को विकास करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक योजना है। क्योंकि विकास का कार्य अभी चल रहा है अतएव निम्न आय वर्ग के लोगों को जो प्लाट आवंटन करने के लिए अलग से रखे जायेंगे उनकी ठीक-ठीक संख्या अभी निर्धारित नहीं की गयी है। इन प्लाटों के आवंटन/विक्रय के लिए अभी कोई तारीख़ नियत नहीं की गई है।

विकलांग भिखारियों को रोजगार तथा प्रशिक्षण

2289. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विंगे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 28 जुलाई 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 40 केन्द्रों में विकलांग भिखारियों को रोजगार तथा प्रशिक्षण दिलाने के लिये प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

योजना तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : प्रायोगिक परियोजनाओं के स्थापित करने के लिये योजना को अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं की राय अभी नहीं आई है।

सिंचाई योजनाओं पर सूखे का प्रभाव

2290. श्री विश्वनाथ राव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष तथा इस वर्ष देश के अनेक भागों में वर्षा नहीं हुई है क्या उन सिंचाई योजनाओं तथा परियोजनाओं को जिनका काम आरम्भ हो चुका है और जिनसे निकट भविष्य में सिंचाई हो सकती है पूरी करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) जी, हां। चतुर्थ योजना में चालू योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने पर बल दिया गया है। कार्यकारी दल जो इस समय राज्यों

की चतुर्थ योजना के प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक योजना का मूल्यांकन करते हैं और चतुर्थ योजना में अधिक से अधिक चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त निधियों की सिफारिश करते हैं ।

(ख) ब्यौरा चतुर्थ योजना के पूरा होने पर ही उपलब्ध होगा ।

मद्रास में अन्ध तथा बधिर विद्यालय

2291. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में अन्ध तथा बधिर विद्यालय (लिटिल फ्लावर कन्वेंट) ने स्कूल के लिये इमारत बनवाने अथवा स्कूल में अन्य सुधार करने के लिए अनुदान तथा ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि मांगी गई और कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) मांगी गई पूरी धन राशि के देने में यदि कोई विलम्ब है, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अन्ध और बधिर कैथिड्रल, मद्रास ने इमारत के लिये एक लाख रु० के अनुदान की मांग की थी । अनुदान अभी मंजूर नहीं किया गया है ।

(ग) प्रार्थनाओं की तुलना में उपलब्ध निधियों का सीमित होना देरी का कारण है ।

आदिम जाति अनुसंधान संस्थाएं

2292. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा आदिम जाति अनुसन्धान संस्थाओं के कार्य का आदिम जाति के लोगों के कल्याण के लिये उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) इन अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के अतिरिक्त अन्य क्या कार्य किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या इन संस्थाओं का पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करती है अथवा राज्य सरकारों द्वारा इसमें कोई अंशदान किया जाता है ; और

(घ) यदि हां तो राज्यों द्वारा कितने प्रतिशत अंशदान किया जाता है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्थानों के सभी कृत्यों का सम्बन्ध एक न एक तरीके से अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण से है । उदाहरणार्थ,

(1) एक आदिम जाति के इतिहास, सामाजिक संगठन, रिवाज और तरीकों आदि के बारे में वास्तविक जानकारी देने वाले मोनोग्राफों का तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन ।

(2) पुस्तकों का प्रकाशन ताकि कार्यकर्ता आदिम जातीय बोलियों को सीख सकें; लोक गीतों और लोक कथाओं का संग्रह करना ।

(3) विशेष अध्ययन उदाहरणार्थ, बदलती हुई खेती या आदिम जातीय क्षेत्रों के स्कूलों में उपस्थिति की समस्याओं का अध्ययन ।

(4) आदिम जातीय कल्याण के कार्यकर्ताओं को नवीकरण प्रशिक्षण का दिया जाना ।

(5) कल्याण कार्य का मूल्यांकन ।

(ग) अनुसन्धान और प्रशिक्षण एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और वचनबद्ध व्यय को छोड़ कर सारा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीमा दावे

2293. श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीमा की अवधि पूरी हो जाने तथा मृत्यु—दोनों मामलों में बीमा-दावों की राशि बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1965 तथा 31 मार्च, 1966 को इन दावों की राशि कितनी थी ;

(ग) इतनी अधिक राशि होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या विवादग्रस्त पालिसियों को निपटाने में कम से कम समय लेने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन दावों की सूचना दी गयी है और जो दावे बकाया पड़े हैं उनके आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

तारीख	ऐसे दावे जिन की सूचना उल्लिखित तारीख को समाप्त वर्ष में दी गई	उल्लखित तारीख को बकाया पड़े दावे
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
	मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले दावे	
31-3-1965	12.36	10.00
31-3-1966	13.92	10.36
	बीमा की अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाले दावे	
31-3-1965	40.46	7.04
31-3-1966	44.65	7.05

(ग) नये दावों की संख्या में प्रगतिशील वृद्धि से भूतकाल में जीवन बीमे के नये काम की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है।

हाल के वर्षों में बकाया पड़े दावों में हुई वृद्धि, नये दावों की मात्रा में हुई भारी वृद्धि के कारण है। इस वृद्धि से दावों के निपटारे की गति में कोई कमी नहीं आई। यह तथ्य इस बात से प्रकट हो जाता है कि इन वर्षों में जिन दावों की सूचना दी गयी थी उनके अनुपात में बकाया पड़े दावों की संख्या में वास्तव में कमी हुई है।

वर्ष	बकाया दावों का सूचित किये गये दावों के प्रति प्रतिशत अनुपात	
	मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले दावे	बीमा की अवधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाले दावे
1961	97.2	21.7
1962–63 (15 महीने) . . .	85.1 *	19.9 *
1963–64	81.6	18.0
1964–65	80.9	17.4
1965–66	74.4	15.8

(घ) जी, हां। जीवन बीमा निगम लगातार यह कोशिश करता रहता है कि दावों को यथा संभव शीघ्र निपटाया जाय।

क्षय रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा

2294. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सब महानगरों में, और विशेष रूप से कलकत्ता में तपेदिक के रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा करने की सरकार की योजना है ;

(ख) क्या कलकत्ता में तपेदिक के रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिये वहां कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत लोग इस रोग से ग्रस्त हैं ;

(घ) कलकत्ता में चिकित्सा के लिये वर्तमान प्रबन्ध क्या हैं ; और

(ङ) वर्तमान प्रबन्ध में केन्द्र का कितना योगदान है ?

(*सूचित किये गये जो दावे वार्षिक आधार पर समायोजित किये गये,)

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी, हां। क्षय रोग के लिए दिल्ली मार्गदर्शी परियोजना के आधार पर उपयुक्त परिवर्तनों के साथ नगर क्षेत्रों में (प्रमुख शहर) क्षय रोग सम्बन्धी सेवाऐं चलाने के लिए उसी की भांति की एक योजना सभी राज्य स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को भेज दी गई है। कलकत्ता में क्षय रोगियों के उपचार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की निम्नलिखित योजना है :—

तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में क्षय रोग के नियंत्रण के लिए एक विस्तृत योजना मंजूर की जिसमें अन्य बातों के साथ साथ महा-कलकत्ता क्षेत्र में प्रत्येक 2 लाख की आबादी के पीछे एक वक्ष क्लीनिक-सह-गृहोपचार सेवा एकक स्थापित करने की बात भी निहित है। इस उपर्युक्त योजना के अनुसार कलकत्ता में दो नये वक्ष क्लीनिक-सह-गृहोपचार सेवा एकक स्थापित किये जा चुके हैं तथा 12 वक्ष क्लीनिकों (1 सरकारी और 11 गैर-सरकारी) के साथ सरकारी खर्चे पर गृहोपचार सेवा एकक खोल कर उन्हें उन्नयित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त गृहोपचार सेवाओं की सुविधाओं वाले 2 और सरकारी वक्ष क्लीनिक द्वितीय योजना अवधि से चल रहे हैं। इन उपर्युक्त क्लीनिकों के अतिरिक्त कलकत्ता में 16 वक्ष क्लीनिक-सह-गृहोपचार सेवा एकक तथा अनेक अन्य गैर-सरकारी अचल वक्ष क्लीनिक काम कर रहे हैं। इन क्लीनिकों में असहाय क्षय रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की जा रही है।

(ख) 1955–58 में अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था। हाल ही में कलकत्ता के कुछ चुने हुये जन-संख्या वर्गों में एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) 1955–58 में किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार कलकत्ता में क्षय रोग का प्रकोप 1.3 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक है। बाद में किये गये सीमित सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) क्षय रोगियों का इलाज इस प्रकार किया जा रहा है।

(1) पश्चिम बंगाल में क्षय रोग नियंत्रण की विस्तृत योजना के अधीन स्थापित किये गये वक्ष क्लीनिक-सह-गृहोपचार सेवा एककों में।

(2) अस्पतालों के बहिरंग विभागों में।

(3) सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा रखे जा रहे अंतरंग पलंगों के माध्यम से।

(ङ) भारत सरकार राज्य क्षय रोग क्लीनिकों और स्वयंसेवी क्षय रोग क्लीनिकों को यूनिसेफ के माध्यम से क्षयरोधी औषधियां और एक्स-रे फिल्में तथा प्लान स्कीमों के अन्तर्गत क्षयरोधी औषधियां दे रही है।

Expenditure on Residential Telephones of officers of Central Secretariat

2295. **Shri Vishram Prasad:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of expenditure incurred in the year 1965-66 in respect of the telephones installed at the residences of the officers of the Central Secretariat; and

(b) the amount provided for the year 1966-67 for expenditure under this Head?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) Separate provision is not made in the budget in respect of telephones at the residences of officers. The amount of provision made for the total expenditure on telephones both in offices and at residences is being collected from the Ministries and the information will be laid on the Table of the House as early as possible.

Supply of drinking water to rural areas

2296. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering a Scheme to provide potable water to the villages;

(b) if so, the details thereof and the time by which it would be implemented; and

(c) the number of villages in the country which would be supplied potable water under the said scheme?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) to (c) No new scheme for supply of potable water to the rural areas is at present under consideration of the Government of India. The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Community Development) have, however, done a great deal of work in this direction and 700,000 wells have been provided in rural areas. Under the National Water Supply and Sanitation Programme launched in August/September, 1954, to assist the State Governments in providing better water supply and drainage facilities in the urban and rural areas, piped water supply is provided in areas where wells are not serving the need. The pattern of central assistance for the urban programme is 100 per cent loan and that for the rural programme is 50 per cent grant-in-aid of the approved cost of the scheme.

Provision of drinking water (rural and urban) is mainly the responsibility of the State Governments. This programme is included in the Five Year Plans and it is the intention of the Government to continue to improve drinking water facilities in all the villages. Provision of piped water supply will depend upon the availability of resources.

भारत का यूनिट ट्रस्ट

2297. श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के यूनिट ट्रस्ट ने पूंजी लगाने वालों को आकर्षित करने के लिए कुछ योजनाओं का अनुमोदन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) हाल ही में संशोधित यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम के अधीन, यूनिट ट्रस्ट को यूनिटों के बारे में एक या एक से अधिक योजनाएं बनाने का अधिकार है और इस संबंध में ट्रस्ट के लिए सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। आजकल यूनिट ट्रस्ट कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा तैयार कर रहा है जो निवेशकों को दी जा सकेंगी ।

फरक्का बांध

2298. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा फरक्का बांध की लागत के प्राक्कलनों को अन्तिम रूप देने के लिये नियुक्त की गई इंजीनियरों की समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) समिति का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

2299. श्री लोलाधर कटकी : **श्री बड़े :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 सितम्बर, 1966 को दिल्ली प्रदेश अनधिकृत बस्ती संघ के 100 से अधिक सदस्यों ने प्रधान मंत्री के निवास-स्थान के सामने धरना दिया था ;

(ख) क्या 2 सितम्बर, 1966 को इस संघ के नेताओं को, जब वे प्रधान मंत्री से उनके निवास स्थान पर मिले थे, ऐसे कोई आश्वासन दिये गये थे कि उनकी मांगों पर पूरी तरह विचार किया जायेगा और वे पूरी की जायेंगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उनके धरना देने के क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) दिल्ली की कुछ अनधिकृत बस्तियों के कुछ लोगों ने प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने सितम्बर, 1966 में धरना दिया था। 2 सितम्बर, 1966 को प्रधान मंत्री उनमें से कुछ से मिलीं थीं। उन्होंने उनको किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था।

बाढ़ों के कारण धूसी बांध को क्षति

2300. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर, 1966 के "नव भारत टाइम्स" में प्रकाशित इस आरोप के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रावी नदी में भयंकर बाढ़ों के कारण धूसी बांध को क्षति पहुंची है जिस के परिणामस्वरूप 12 गांव खतरे में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामवासियों के जीवन की रक्षा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने मरम्मत करने, उजड़े लोगों को बचाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की ।

निर्माण विशेषज्ञों का सम्मेलन

2301. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **निर्याण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में प्रधान मंत्री के कहने पर निर्माण कार्य में मितव्ययता करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये निर्माण विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन की सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सिफ़ारिशों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखवा दी गयी हैं । ये विचाराधीन हैं ।

भारतीय निवेष केन्द्र

2302. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट उद्योगों में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के अधिक विनियोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारतीय निवेष केन्द्र ने भारत के आर्थिक विषयों के बारे में अधिक व्यापक जानकारी देकर अमरीका और योरोप में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). भिन्न भिन्न प्रकार के विनियोजकों में भारत में विनियोजन के लिये अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी फैला कर भारतीय विनियोजन

केन्द्र अमरीका और यरोप में अपनी सेवाओं को गहन करने का निरन्तर प्रयास कर रहा है। यह केन्द्र की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत ही किया जा रहा है और विस्तार की कोई विशिष्ट योजना तैयार नही की गई है।

इछमपाल्ली बांध परियोजना

2303. श्री सोनावने : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गोदावरी नदी पर बांध बनाने की प्रस्तावित इछमपाल्ली बांध परियोजना पर आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) यदि इछमपाल्ली बांध परियोजना क्रियान्वित हो गई तो इस से आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र में भी भूमि पानी में डूब जायेगी।

(ग) शेष प्रश्नों को हल करने के लिये आग्रेतर चर्चा की जायगी।

Smuggled gold seized in Varanasi

2304. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goldsmith of Thatheri Barai, Varanasi and his servant were arrested by Varanasi Customs and Central Excise Officials on the 29th September, 1966 at Varanasi City Railway Station, while they were carrying illegal gold; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). On 28th September, 1966, the Customs officers apprehended at Varanasi City Railway Station two persons belonging to a firm of jewellers of Thatheri Bazar, Varanasi and recovered 90 tolas of gold bearing foreign markings. Both the persons were arrested and subsequently released on bail. The case is being departmentally adjudicated.

आसाम में बाढ़ की स्थिति

2305. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कुछ सदस्यों ने आसाम राज्य में बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिये हाल ही में इस राज्य का दौरा किया है ;

(ख) क्या उन्होंने इस संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों की सूची में वाला जाति को शामिल करना

2306. श्री मुहम्मद कोया : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल मालाबार वाला समुदाय संगम ने सरकार से वाला जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की प्रार्थना की है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त जाति के प्रतिनिधियों को लोकुर आयोग ने गवाही देने के लिये नहीं बुलाया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग उनकी मांग पर विचार कर रहा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। तथापि मालाबार में भी अनुसूचित जातियों की सूची में केलन समुदाय को शामिल करने के लिये अहिला मालाबार वाला समुदाय संगम से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ख) केलन समिति का प्रतिनिधि लोकुर समिति के समक्ष उपस्थिनि नहीं हुआ।

(ग) लोकुर समिति ने 25 अगस्त, 1965 को अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया और समिति को अब परिसमाप्त कर दिया गया है।

Benefits to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Convertees

2307. Shri Vishram Prasad:
Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Daljit Singh:
Shri Ramapathi Rao:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that if a Scheduled Caste person changes his religion as a Mohammedan or as a Christian, he has to forego the benefits enjoyed by him as a scheduled caste;

(b) whether it is also a fact that when persons belonging to a Scheduled Tribe change their religion as Christians, the benefits enjoyed by the Scheduled Tribes are extended to them even after conversion;

(c) if so, whether Government propose to stop the special benefits to such convertees; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No.

(d) The caste system is prevalent only in the Hindu and the Sikh religions. Since the main criterion for scheduling castes is disabilities arising out of the caste-system a Scheduled Caste person embracing a religion other

than these two will cease to satisfy the criterion. The main criterion for scheduling tribes is tribal characteristics and this is independent of the religion of the community or its members. Hence change of religion does not affect the Scheduled Tribes.

नियंत्रण वाली वस्तुओं पर बिक्री कर

2308. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को नियंत्रण वाली वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने की शक्तियां देने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन

2309 **डा० सारादीश राय :**
श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधयाना की एक विख्यात फर्म के विरुद्ध अवैध रुप से अनुचित लेखे रखने तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन के बारे में नई दिल्ली के सेन्ट्रल सर्किल के आय कर आयुक्त के पास 30 अगस्त, 1965 को एक शिकायत भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म का नाम क्या है ; और

(ग) इस मामले में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत अगस्त 1965 में, आयकर आयुक्त, केन्द्रीय सर्कल नई दिल्ली के पास दायर नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Sterilization

2310. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a gradual increase in the number of persons going for sterilization;

(b) whether it is also a fact that facilities for sterilization are not adequate enough to meet the requirements; and

(c) if so, the steps taken in this regard?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

2311. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री केरल में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2092 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सिंचाई परियोजना के संबंध में अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में बाढ़

2312. श्री प्रिय गुप्त : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार राज्य, विशेषत: कटिहार सब-डिवीजन के लिए सिंचाई और बाढ़-संरक्षण योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विचार किये जाने तथा उनको चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिये बिहार सरकार द्वारा कटिहार सब-डिवीजन में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई संयुक्त परियोजना प्रायोजित नहीं की गई है। तथापि राज्य सरकार द्वारा पुरनिया जिले में महानन्द नदी पर बाढ़ नियंत्रण के लिए एक योजना, जिसमें कटिहार सब-डिवीजन भी शामिल है, तैयार की गई है। योजना में 237.69 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 130 मील बन्ध के निर्माण का उपबन्ध है । उससे लगभग 2.49 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। बन्ध महानन्द की फुलाहर शाखा के दाहिने किनारे पर होगा और गंगा के बायें किनारे के साथ साथ चलता हुआ नदी कोसी की एक धार काला कोसी के एक टुकड़े के साथ साथ चलता हुआ उत्तर सीमान्त रेलवे के कटिहार-झांसी सेक्शन पर समाप्त होगा इसमें बिहार के फुल्लहर शाखा के बायें किनारे के टुकड़े और महानन्द की बड़सोई शाखा के दाहिने किनारे के टुकड़े का निर्माण भी शामिल है।

भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग

2313. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में इस समय अंकशास्त्र (स्टैटिस्टिक्स) में अर्हता प्राप्त ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था में सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है ;

(ख) उनके प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया गया ;

(ग) भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में उनकी भावी तरक्की के क्या अवसर हैं;

(घ) क्या उनकी सेवाओं का उस कार्य के लिए उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण

2314. श्री दशरथ देव : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या त्रिपुरा में बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनाएं कार्यान्वित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकीं; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्विति के लिए त्रिपुरा प्रशासन द्वारा शामिल की गई योजनाओं में से निम्न योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जा सकीं :

(एक) कारोबान में भूमि कटाव नियंत्रण कार्य ;

(दो) तेलियारा में खोवाई नदी द्वारा भूमि कटाव का नियंत्रण ;

(तीन) अमरपुर में बाढ़ संरक्षण कार्य। ऊपर (एक) और (दो) पर दी गई योजनाओं को छोड़ दिया गया था क्योंकि विस्तृत जांच करने पर उन्हें आवश्यक पाया गया था। ऊपर (तीन) पर दी गई योजना को इस लिए आरम्भ नहीं किया जा सका कि योजनाएं तथा योजना प्राक्कलन तृतीय योजनाअवधि के अन्त तक ही तैयार हो पाई थी।

Over-time Allowances to Drivers in Hospitals

2315. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Over-time Allowance is given to the Drivers employed in the offices under her Ministry whereas it is not given to Drivers of hospitals under her Ministry;

(b) whether it is also a fact that Drivers of hospitals are not given over-time allowance for Gazetted holidays in the year whereas Drivers working in the offices of her Ministry are given this allowance;

(c) if so, the steps taken by Government to give over-time allowance for Gazetted holidays to Drivers working in Hospitals; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) The question of over-time Allowance to drivers working in hospitals does not arise as they are put on eight hourly shift duty each day.

(b) Yes; but the drivers in the Willingdon and Safdarjang Hospitals are allowed compensatory leave in lieu of work on all Gazetted holidays including Sundays.

(c) and (d). Do not arise.

Quarters for Drivers in Government Hospitals in Delhi

2316. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Drivers working in some Central Government hospitals in Delhi have not been allotted quarters near the hospitals;

(b) whether it is also a fact that such Drivers who do not possess quarters come from a distance of 12 to 14 miles to attend their duties and they are not given Cycle Allowance; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) (a) Yes.

(b) The actual distance between the place of residence and place of duty varies in individual cases. Conveyance or Cycle allowance is not admissible under the existing rules to any Government servant for journeys from residence to place of duty.

(c) The drivers are eligible for Government residential accommodation and will be provided with Government quarters in their turn. Government is building more quarters for Govenment servants in every Plan.

Pay-scale of Drivers in Government Hospitals in Delhi

2317. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is fact that pay scale of drivers working in the offices of her Ministry is Rs. 110—180;

(b) whether it is also a fact that pay scale of drivers employed in Central Government Hospitals is Rs. 110—139;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government in the matter?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) There are two scales of pay for drivers in subordinate offices, viz., Rs. 110—3—131—4—139 is for drivers of light vehicles and the other which takes the maximum of the pay-scale to Rs. 180 is for drivers of heavy transport vehicles.

(c) and (d). The scales of pay have been laid down on the basis of the recommendations made by the last Pay Commission.

भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार

2318. श्री कृ० चं० पन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल सीमा पर उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होने के समाचार मिले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत से चोरी छिपे ले जाये जाने वाले माल का कुछ भाग तिब्बत में भेजा जाता है और चोरी छिपे भारत में लाये जाने वाले माल का कुछ भाग चीन में बना हुआ होता है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या बड़े पैमाने पर होने वाले इस तस्कर व्यापार के लिए कोई संगठित गिरोह उत्तरदायी है; और

(घ) भारत-नेपाल सीमा पर इस तस्कर व्यापार को बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि (1960) की शर्तों के अधीन, दोनों में से किसी भी एक देश का माल दूसरे देश में आज़ादी से आ जा सकता है । जहां तक ऐसे माल का सम्बन्ध है भारत और नेपाल के बीच इसका कोई तस्कर व्यापार नहीं हो सकता । किन्तु आरम्भ में जो माल भारत को छोड़ कर अन्य देशों से नेपाल में आयात किया गया हो उसके नेपाल से भारत में आयात किये जाने पर प्रतिबन्ध है । ऐसा माल, जिस में चीन से आने वाला माल भी शामिल है, थोड़ी-बहुत मात्रा में चोरी-छिपे नेपाल से भारत लाया जाता देखने में आया है किन्तु जहां तक सरकार को पता है, यह बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है । सरकार के पास इस बात की सही सही जानकारी नहीं है कि भारत में उत्पादित/निर्मित जो माल नेपाल में आयात किया जाता है, उसे तिब्बत भेजा जा रहा ह।

(ग) चोरी छिपे माल लाने ले जाने का काम मुख्य रूप से नेपाल जाने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता रहा है, और चोरी -छिपे माल लाने ले-जाने वाले किसी भी संगठित गिरोह का अभी तक पता नहीं चला है ।

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को सजग कर दिया गया है और उन्हें अधिक निगरानी रखने के लिए कहा गया है ।

गांवों में बिजली लगाने पर व्यय

2319. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली लगाने के लिए राज्यवार कितनी राशि नियत की गई ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक पृथक पृथक् कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) सारी राशि को उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) निम्नलिखित राशियां नियत की गई थीं और पूर्वाशा की जाती हैं कि ये राशियां राज्य सरकारों द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च कर दी गई थी। वर्ष 1965-66 का अभी लेखा तैयार नहीं हुआ है और इसलिए व्यय के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य का नाम	तीसरी योजना-में व्यवस्था	तीसरे योजना काल में अनुमानित व्यय
	(लाख रुपयों में)	
1 आंध्र प्रदेश	1390.00	1623.88
2 आसाम	25.00	42.98
3 बिहार	300.00	363.50
4 गुजरात	670.00	732.18
5 जम्मू तथा काश्मीर	139.70	259.00
6 केरल	400.00	1075.52
7 मध्य प्रदेश	768.00	1075.52
8 मद्रास	3000.00	3244.83
9 महाराष्ट्र	750.00	1916.34
10 मैसूर	425.00	478.42
11 उड़ीसा	224.00	351.22
12 पंजाब	1450.00	2177.37
13 राजस्थान	100.00	102.50
14 उत्तर प्रदेश	900.00	1554.90
15 पश्चिम बंगाल	40.00	76.00
16 दिल्ली	70.00	99.70
योग	10651.70	14360.92

(ग) केरल को छोड़ कर शेष सभी राज्यों ने नियत की गई निधियों से अधिक खर्च किया है। कार्यों के लिये अपेक्षित भूमि को मुफ्त पाने में कठिनाइयों के फलस्वरूप उठाऊ सिंचाई कार्यक्रम की क्रियान्वित में बिलम्ब हो जाने के कारण केरल में कम खर्च हुआ।

तीसरी योजना में पेय जल सम्भरण योजनाओं के लिये धनराशि का नियतन

2320. श्री कृ० चं० पन्त :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पेय जल सम्भरण योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ख) राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) सारी राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए सरकार ने क्या कार्यावही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 7415/66]**

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकारों से प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जल पूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों का विषय है और आशा है कि वे इस समस्या को भली प्रकार समझते हैं। तथापि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की बैठकों में तथा वार्षिक योजना के सम्बन्ध में कार्य दल द्वारा किये जाने वाले विचार विमर्श के अन्तर्गत राज्य सरकारों पर यह जोर डाला जा रहा है कि वे ग्राम जलपूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता दें।

इस काम को शीघ्र चालू करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को 5 लाख रुपये से कम लागत की ग्राम जल पूर्ति योजनाएं मंजूर करने का अधिकार दे दिया गया है।

भारत सरकार इनमें कुछ योजनाओं के लिए दुलर्भ सामग्री और विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने में भी राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

अमरीका, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस से शांति दल के युवकों का भारत आगमन

2321. श्री म० रं० कृष्ण :
श्री रमापति राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 के अन्त तक देश में सहायता-कार्य के लिए अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस से कुल कितने युवक भारत में आये हैं ;

(ख) इन युवकों का चयन अपने अपने देशों में किस प्रकार किया जाता है ; और

(ग) भारत में उन के आगमन के बाद उन्हें काम करने के लिए राज्यों में किस आधार पर बांटा जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी के स्वयं सेवकों की कुल संख्या 31 अक्टूबर, 1966 को क्रमशः 1048 और 72 थी। फ्रांस से कोई स्वयं सेवक नहीं आया है।

(ख) भारत में स्वयंसेवकों को जो काम करना है उसके संबंध में उनकी अभिरुचि और प्रशिक्षण को देखकर उनका चुनाव किया जाता है।

(ग) स्वयंसेवकों को उन विशिष्ट प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों में काम करने के लिए भेजा जाता है जिनके लिए राज्य सरकारों ने उनकी सेवाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया हो।

कोटला मुबारकपुर के लिए विकास योजना

2322. श्री बाल्मीकी : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार तथा दिल्ली नगर निगम ने कोटला मुबारकपुर की उस पुनर्विकास योजना पर जो उन्हें दी गई थी अब अपनी अन्तिम स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत तत्कालीन स्वीकृत की गई 'त्रिलोकी' कालोनी के उन प्लाट–धारियों को जिनके प्लाटों के बारे में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अभी अधिसूचना जारी की जानी है दूसरे प्लाट देने के लिए कोई भूमि आरक्षित की गई है ;

(ग) यदि नहीं तो कोटला मुबारकपुर की पुनर्विकास योजना को अन्तिम रूप देने तथा क्रियान्वित करने के लिए कौन सी अवधि निर्धारित की गई है ; और

(घ) 'त्रिलोकी' कालोनी के उन प्लाट–धारियों को जिनके प्लाट अर्जित करने का विचार किया गया है दक्षिण दिल्ली में हाल में विकसित दिल्ली विकास प्राधिकार बस्तियों में से किसी एक बस्ती में अन्य विकसित प्लाट देने के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ). दिल्ली नगर निगम में कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के पुनर्विकास की योजना लगभग पूरी होने में है। रिहायशी प्लाटों वाली त्रिलोकी कालोनी का अधिकांश भाग योजना में रख लिया गया है। जिन प्लाटों के स्वामियों के प्लाटों पर इस योजना में प्रभाव पड़ेगा उन्हें वैकल्पिक स्थान आवंटन करने की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दिल्ली प्रशासन इस विषय पर उसके बाद विचार करेगा जब निगम योजना को अन्तिम रूप दे देगा तथा उस क्षेत्र का व्योरा दे देगा जो कि अर्जन अथवा अर्जन की सीमा से मुक्त होने के लिए प्रस्तावित है। उन प्लाट के स्वामियों को जिनके प्लाट पुनर्विकास की योजना के अन्तर्गत अर्जित कर लिए गये हैं तथा जिन को उस क्षेत्र में स्थान नहीं दिया जा सका उन्हें जहां तक संभव होगा नज़दीक से नज़दीक दिल्ली विकास प्राधिकरण की किसी बस्ती में वैकल्पिक विकसित प्लाट आवंटित किया जायेगा।

Financial Assistance to States

2323. Shri P. L. Barupal:
Shri Tula Ram:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Madhu Limaye:
Shri Naval Prabhakar:
Shri Chandak:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission have announced that economic assistance to the States for their development during the Fourth Plan will be given on the basis of population;

(b) if so, whether the amount allotted for Rajasthan is commensurate with the needs of the State which is backward in all respects; and

(c) if not, whether Government have any proposal under consideration to enhance the proposed allocation?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) No, Sir. In the allocation of Central assistance, to States during the Fourth Plan period, the Planning Commission has kept in view besides population, a number of other factors, such as special needs of the border States, outlays needed to complete continuing large River valley, Irrigation & Power projects and accelerated development of hill and other backward areas, etc.

(b) and (c). Proposals of Rajasthan State for the Fourth Five Year Plan were discussed in the Planning Commission on November 8, 1966 with the State Chief Minister and other Ministers. An outlay of Rs. 313 crores, together with the scheme of financing, was agreed to after discussion.

भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड

2324. श्री बृजबासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पुनर्गठन के बाद केन्द्रीय सरकार ने भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के कृत्यों तथा कार्यों को अपने नियंत्रणाधीन ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड का गठन होने तक केन्द्रीय सरकार ने 1-11-66 से भाखड़ा-नंगल परियोजना से सम्बन्धित कुछ कारखानों के प्रशासन, संधारण और क्रियान्वित को अपने नियंत्रण में ले लिया है।

(ग) भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा :–

(एक) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी,

(दो) पंजाब हरियाना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों का एक एक प्रतिनिधि होगा।

(तीन) केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि होंगे।

खर्च का हिसाब बोर्ड का गठन हो जाने के पश्चात् लगाया जायेगा।

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सोने का पकड़ा जाना

2325 **श्री बृजवासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शिंकरे :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर 1966 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 2,21,000 रुपये मूल्य का 1,300 तोला अवैध सोना पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1 नवम्बर 1966 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विदेशी मार्का का 1,300 तोला सोना पकड़ा गया। पकड़े गये सोने का अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य 1,27,946 रुपये था।

(ख) जिस व्यक्ति से सोना पकड़ा गया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच पड़ताल चल रही है।

बिहार में आदिम जातीय कल्याण

2326 **श्री ह० च० सोय :**
श्री बेसरा :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने हाल के बिहार के दौरे के दौरान आदिम जातियों के कल्याण के बारे में बिहार के मुख्य मंत्री से विचार–विमर्श किया था ;

(ख) क्या बिहार में अनुसूचित आदिम जातियों के भिन्न भिन्न समुदायों के बीच शिक्षा तथा आर्थिक विकास के मामले में असन्तुलन की समस्या पर भी विचार–विमर्श किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) योजना तथा समाज कल्याण मंत्री ने बिहार का दौरा उस राज्य में सूखे की दशाओं के सम्बन्ध में किया था।

(ख) उल्लिखित समस्या पर विशेष रूप से कोई विचार–विमर्श नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में सूखे से पीड़ित आदिम जातियों को सहायता

2327 श्री ह० च० सोय :
श्री बेसरा :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके विभाग के अधिकारियों ने बिहार के मुख्य मंत्री से हाल में इस बात पर विचार–विमर्श किया था कि बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के आदिम जातियों को किस प्रकार सहायता दी जाय ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बात चीत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में किस प्रकार की सहायता देने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस विचार–विमर्श के फलस्वरूप निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—

(1) बिहार सरकार द्वारा सूखे के सम्बन्ध में क्रियान्वित किये गये उपायों के साथ साथ पलमऊ ज़िला और शाहाबाद तथा रांची ज़िले के आदिम जातियों के 2 लाख लोगों की सहायता के लिये विशेष सहायता योजनायें चालू की जायें।

(2) विद्यामान ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति जो कम अविलम्बीय हैं जैसेकि कानूनी सहायता उद्योगों के लिये राज–सहायता आदि अभी रोक दी जाये और इस प्रकार बचाये गये साधनों को कच्चे कुएं खोदने और खेतों में बन्ध बनाने के कार्यों के लिये जुटाया जाना चाहिये।

(3) राज्य आदिम जाति कल्याण विभाग को एक निदेशक की नियुक्ति कर के सुदृ बनाया जाना चाहिए। इस निदेशक को लतेहर सब-डिवीजन में जो गम्भीर रूप से सूखाग्रस्त है आदिम जाति विकास योजनाओं का निष्पादन करने की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

(4) लतेहर सब-डिविजन में विद्यमान अनाज के 'गोलों' का पुनर्गठन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिए जिसमें अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रांची में उपायुक्त और आदिम जाति अनुसन्धान संस्था के निदेशक शामिल हों। आदिम जाति विकास क्षेत्रों हेतु बिहार सरकार के लिए पहले ही किये गये नियतन में से विनियोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अनाज के 'गोलों' के पुनर्गठन के लिए 5 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) सूखे के दौरान विकास योजनाओं के विद्यमान ढांचों के अन्तर्गत आदिम जातियों के लोगों से 50 प्रतिशत लिए जाने वाले हिस्से को घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

कुछ कम्पनियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमिततायें

2328. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बुलियन कं० लि०, दंतमारा टी० कं० लि०, चटागांव टी० कं० लि०, चंदेरनगर टी० कं० लि०, कल्लीनगर एन्ड खैरूल टी० कं० लि० ब्ररदुवार टी० एड टिम्बर कं० लि०, सरगाव टी० कं० लि०, जयपुर टी० कं० लि०, जयपुर इनवैस्टमेंट लि० जयपुर ट्रस्ट लि०, बाटिया ब्रदर्स (प्राइवेट) लि०, जाटन ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा हुलास कंवर द्वारा,

जो सभी फर्में कलकत्ता की हैं तथा जिनके मालिक मैसर्स चान्दमल बाटिया हैं, की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फर्मों द्वारा किये गये वित्तीय सौदों तथा लेखों की कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से बहुत सी फर्में केवल नाममात्र की ही हैं और वे जाली लेखे रखती हैं ; और

(घ) क्या ये फर्में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्वों का पालन कर रही हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

पालम हवाई अड्डे पर सोना पकड़ा जाना

2329 **श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शिकरे :
श्री हुकम चन्द खछवाय :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 नवम्बर, 1966 को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान द्वारा बम्बई से पालम हवाई अड्डे पर आये एक यात्री के पास से 2 लाख रुपये की कीमत का सोना पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 6 नवम्बर 1966 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान द्वारा बम्बई से आये एक यात्री के पास से विदेशी मार्के का 1,000 तोले सोना बरामद किया, जिस का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर 98,420 रुपये होता है।

(ख) उक्त यात्री को तथा बम्बई से उस के साथ आने वाले दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

Madangir Camp, Delhi

2330. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to an article published in the "Indian Express" of the 14th October, 1966 describing the precarious conditions of Madangir Camp, Delhi and lack of civil facilities there;

(b) if so, whether Government propose to take any action to improve the conditions in the camp; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) and (c). The Municipal Corporation of Delhi has made arrangements for water supply and street lighting in the Madangir colony. Buses are running upto the main road in the Colony. Steps have also been taken to improve sanitation and a comprehensive drainage scheme is under consideration. There is a full fledged dispensary within a radius of about 1½ miles of the Colony. Besides, a mobile dispensary of the Municipal Corporation of Delhi visits the colony twice a week.

Allotment of Shops to Khokha owners in Ramakrishnapuram

2331. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Khokha owners of Ramakrishnapuram have been corresponding with Government for the last three years regarding their demand for the allotment of shops;

(b) whether it is also a fact that Government have given them a written assurance to construct and allot to them shops in the Rajauri Garden area;

(c) if so, when the shops will be constructed; and

(d) the reasons for not constructing the shops so far?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) It has been decided to allot alternative platform accommodation to the 253 squatters removed from Ramakrishnapuram as a special case in the shopping centres p'anned under the Jhuggi Jhoppri Removal Scheme. The platforms will be allotted to them on rent by the Delhi Municipal Corporation as and when they are ready.

(c) and (d). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

दिल्ली में होमियोपैथिक औषधालय

2332. श्री राम हरख यादव :
श्री फिरोडिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में होमियोपैथिक औषधालय खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधालयों का ब्यौरा क्या है तथा ये किस किस स्थान पर खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर): (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली के गोल मार्केट क्षेत्र में प्रयोगात्मक आधार पर फिलहाल एक होम्योपैथिक औषधालय खोलने का निर्णय किया गया है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति की नवीं बैठक

2333. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री फिरोडिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति की नवीं बैठक हाल ही में कलकत्ता में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी; और क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रासंगिक ब्यौरों का एक विवरण पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 7417/66]**

बिगड़ा हुआ जुकाम का रोग

2334. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1966 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "ए क्योर ऐट लास्ट" नामक शीर्षक से प्रकाशित सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि बर्लिन के एक विशेषज्ञ ने बिगड़े हुए जुकाम को एक मिनट में दूर करने के लिये दवाई का आविष्कार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसी प्रकार भारत में भी कुछ कार्य किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयार) : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है ।

मद्रास में कीमती नगों का पकड़ा जाना

2336. **श्री बृजबासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :
श्री राम स्वरूप :
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 नवम्बर, 1966 को सीमा-शुल्क अधिकारियों ने मद्रास हवाई अड्डे पर एक विमान यात्री के पास से जो कोलम्बो से आया था लगभग 5 लाख रुपये मूल्य के काफी कीमती नग बरामद किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 6 नवम्बर 1966 को मद्रास सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक सिंहली राष्ट्रिक के पास से, जो हवाई जहाज द्वारा कोलम्बो से सिंगापुर जाते हुए मीनाबक्कम हवाई अड्डे पर पहुंचा था, लगभग ढाई लाख रुपये मूल्य के सस्ती कीमत वाले नगीने पकड़े ।

(ख) अपराधी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामले का न्याय-निर्णय किया जा रहा है ।

विदेशी मुद्रा कोष

2337. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में देश का विदेशी मुद्रा कोष बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसमें वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : : (क) सोने को छोड़कर विदेशी-मुद्रा प्रारक्षित-निधि जो 30 जून, 1966 को 398.64 करोड़ रुपया थी, कम हो कर 31 अक्टूबर, 1966 को, 288.63 करोड़ रुपया रह गई ।

(ख) कमी के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) 87 करोड़ रुपये की ऋण-शोधन सम्बन्धी अदायगियां; और

(2) जुलाई, 1966 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि से 37.5 करोड़ रुपये की फिर से खरीद ।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि को बढ़ाने के लिये जो उपाय किये गये हैं उनका उल्लेख आर्थिक समीक्षा के परिशिष्ट में किया गया है जो संसद् के सम्मुख 25 जुलाई, 1966 को प्रस्तुत किया गया था । संक्षेप में वे उपाय ये हैं :—

(1) रुपये के वास्तविक सम-मूल्य का निर्धारण;

(2) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय जिनसे आगे चलकर कृषि-जन्य वस्तुओं के आयात में कमी की जा सकेगी और निर्यात में सहायता मिलेगी;

(3) निर्यात बढ़ाने के उपाय, जैसे कि निर्यात-प्रधान उद्योगों के लिए आयात नीति को नरम करना; और

(4) रख-रखाव सम्बन्धी आयात के लिए गैर-प्रायोजना सहायता की व्यवस्था ।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना की स्थापना

2338. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में पंजाब में सरकारी क्षेत्र में कोई बड़े उपक्रम स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). बड़े केन्द्रीय औद्योगिक उपक्रमों के स्थान का निश्चय मुख्यत: तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है। जिन केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के स्थान के बारे में अभी तक निर्णय किया गया है, इनमें से किसी को भी चौथी योजना के दौरान पंजाब में स्थापित करने की परिकल्पना नहीं की गई है। अन्य परियोजनाओं के स्थान के बारे में अभी निर्णय करना है। जहां तक राज्य की चौथी योजना में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं का सम्बन्ध है, फिलहाल, इनके बारे में अन्य योजना प्रस्तावों के साथ राज्य प्रतिनिधियों के साथ विचार विनिमय किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में अपंजीकृत डाक्टर

2339. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के अपंजीकृत डाक्टरों के संघ का कोई संकल्प प्राप्त हुआ है जिस में उन्हें असम्बद्ध स्कूलों तथा कालेजों द्वारा दिये गये प्रमाणपत्रों को मान्यता देने के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दृष्टि में रखते हुए सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख). असबद्ध मेडिकल स्कूलों और कालेजों की परीक्षाएं पासे किये हुए व्यक्तियों के पंजीकरण के बारे में पश्चिम गाल अपंजीकृत डाक्टर संघ से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। बिना अर्हता प्राप्त चिकित्सकों के बंसामान्य प्रश्न से अलग उनके मामले पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है।

Expenditure on Experts sent abroad to study treatment of Fatal Diseases

2341. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government spends a large amount of foreign exchange every year on sending experts to foreign countries for studies in the treatment of fatal diseases such as cancer, leprosy etc.;

(b) whether it is also a fact that no opportunity is given to the persons who have conducted research on these diseases in Ayurvedic System of medicine; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the number of Ayurvedacharyas by whom Government have got the patents of cancer and leprosy treated and the number of such patients as also of those patients who received treatment in the Hospitals during the current year so far?

The Miniser of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

(b) No. Ayurvedists are free to treat cases of cancer and leprosy etc. Government have received some claims from Ayurvedic practitioners regard-

ing cure for Cancer and Leprosy. These will be examined by a Sub-committee of the Central Council of Ayurvedic Research.

(c) It is not for Government to send patients for any kind of treatment. It is for patients to seek such treatment as they think best. The number of cancer and leprosy patients who received treatment in hospitals last year is not available.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2342. Shri Gulshan:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 284 on the 3rd November, 1966 and state:

(a) the reasons for which the assessment of Income-tax in respect of M/s. Oriental Timber Trading Corporation has not been completed since 1963-64 till date in regard to the contract for Rs. 1·7 crores which the said firms in partnership with another company had secured from Heavy Engineering Corporation, Ranchi and Hindustan Photo Films Corporation, Ootacamund;

(b) when this assessment would be completed and the further amount Government are likely to get as income-tax in regard thereto; and

(c) the reasons for delay in the assessment of Income-tax?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (c). The delay in completion of the assessment of the company which entered into contract with the two Public Enterprises as stated in reply to the question referred to is due to the reason that extensive investigations have to be made.

(b) The extensive investigations required in this case will take some time but every effort is being made to complete the investigations and the assessment as early as possible. The tax effect will be known only on completion of the assessments.

संसद्-सदस्यों के फ्लैट

2343. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अल्वारेस :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
श्री नारायण दास :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री बीरेन दत्त :
श्री दशरथ देव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री अ० व० राघवन :
श्री मं० वे० स्वामी :
श्री मधु लिमये :

श्री विश्राम प्रसाद : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकारलाल बेरवा : **श्री ओंकार सिंह :**
श्री बड़े :

क्या **निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ तथा नार्थ एवेन्यू आदि के संसद् सदस्यों के कुछ फ्लैट सदस्यों के पूल से निकाल कर जनरल पूल में मिला दिये गये हैं और वे फ्लैट सरकारी अधिकारियों को दे दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे फ्लैट 'बिना बारी के' आधार पर दिये गये; और

(ग) यदि हां, तो (1) कितने फ्लैट जनरल पूल को दिये गये हैं, (2) जिन अधिकारियों को ये फ्लैट दिये गये हैं उनका पूरा ब्यौरा क्या है और (3) जिन अधिकारियों को ये फ्लैट 'बिना बारी' के दिये गये हैं, उनका पूरा ब्यौरा क्या है तथा वे फ्लैट किन-किन तिथियों को दिये गये और उन्हें बिना बारी के फ्लैट दिये जाने के क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां, ये संसद सदस्यों की आवश्यकता से अधिक थे ।

(ख) क्योंकि ये फ्लैट संसद सदस्यों के लिये थे, इनका अन्य सरकारी कर्मचारियों के वासे की तरह वर्गीकरण नहीं किया गया । इसलिए इनका अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर आवंटन किया गया है ।

(ग) (1) 20.

(2) और (3) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 7417/66)**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2171 के उत्तर में शुद्धि

Correction to unstarred Question No. 2171.

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : भुवनेश्वर में महालेखाकार के कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 2171 के उत्तर में 9 दिसम्बर, 1965 को वित्त मंत्री ने कुछ आंकड़े दिये थे जो बाद में गलत पाये गये हैं । ऐसा लगता है कि इसके पहले दिये गये आंकड़ों में महालेखाकार ने कर्मचारियों के कुछ वर्गों को दो बार गिनती में ले लिया था । इसलिए मैं पहले दी गयी सूचना में निम्नलिखित भूल सुधार करना चाहता हूं :—

कर्मचारी वर्ग	प्रश्न के उत्तर में 9-12-1965 को दी गयी सूचना	9-12-1965 को उत्तर में दिये गये प्रश्न के बारे में सही सूचना
(क) सभी वर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या .	1826	1173
(ख) अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या .	114	109
अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या	26	23

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 25 नवम्बर, 1966 को प्रस्तावित हड़ताल

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 25 नवम्बर, 1966 को प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल ।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं । इसके पृष्ठ 2 पर कहा गया है कि इससे प्रति वर्ष 50 नौकरियों की कमी होगी । पहले इस सभा में यह आश्वासन दिये गये कि कोई छंटनी नहीं होगी । इस प्रकार मंत्री महोदय पहले सभा को गलत सूचना देते रहे हैं । यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भारत के जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों में से एक संघ, 'अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ' ने, संघ की कार्यकारिणी समिति की 13–15 सितम्बर, 1966 को बम्बई में हुई बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि जीवन बीमा निगम को भेजी थी तथा सूचना दी थी कि जीवन बीमा निगम द्वारा इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने और उन्हें चालू करने के रूप में स्वचालित मशीनों का प्रयोग आरम्भ किये जाने के विरोध में शुक्रवार 25 नवम्बर, 1966 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने के लिए जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को निदेश देने का संघ ने फैसला किया है ।

देश में भूतपूर्व जीवन बीमा कम्पनियों ने जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण से बहुत पहले यन्त्रीकरण की जो प्रक्रिया आरम्भ की थी, इलेक्ट्रिक कम्प्यूटर का प्रयोग आरम्भ करना उसी प्रक्रिया का अगला कदम है । कार्यालय के कई कार्यों का यंत्रीकरण, जैसे प्रीमियम का नोटिस जारी करना, प्रीमियम का हिसाब-किताब रखना, कमीशन का निपटारा करना, मूल्यांकन सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन आदि पंचित-कार्ड मशीनों की सहायता से किया गया था । लेकिन इन मशीनों की भी गम्भीर सीमाएं हैं जो कारबार में वृद्धि होने के साथ साथ अधिक स्पष्ट होती जाती है । जीवन बीमा निगम का कारोबार इतना अधिक बढ़ गया है कि पंचित-कार्ड मशीनों की सीमाएं अत्यन्त स्पष्ट हो गयी हैं और इनका कुप्रभाव प्रशासनिक कार्यों की दक्षता पर पड़ता है । अतः प्रशासन की सहायता के लिए पुरानी मशीनों के स्थान पर अधिक उन्नत मशीनों का अपनाना अर्थात् विद्युत से चलने वाले कम्प्यूटरों को लगाना अत्यन्त आवश्यक समझा गया । नवम्बर, 1965 में बम्बई में एक कम्प्यूटर लगाया गया था और आशा है कि दूसरा कम्प्यूटर कलकत्ता

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

में अगले वर्ष लगा दिया जायगा ; इसके लिए ठेका पहले ही दिया जा चुका है। कम्प्यूटर लगाने का निर्णय बहुत पहले, 1964 में कर लिया गया था ।

जीवन बीमा निगम के इस फैसले के बाद अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कम्प्यूटरों के लगाये जाने के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया । कम्प्यूटरों के इस्तेमाल के खिलाफ सब से अधिक यह डर घोषित किया गया कि इसके कारण कुछ लोगों की छंटनी होगी अथवा उनके पारिश्रमिक में हानि होगी । जीवन बीमा निगम ने सभी को यह बता दिया तथा कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन भी दे दिया कि इससे न कोई छंटनी होगी अथवा कर्मचारियों को पारिश्रमिक में कोई हानि ही होगी । पिछले दो वर्षों में माननीय सदस्यों ने इस सभा में तथा दूसरी सभा में भी, अनेकों प्रश्न पूछे हैं और सरकार द्वारा उक्त आश्वासनों को दोहराया भी गया है। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या 69 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका वित्त मंत्रालय में मेरे साथी ने हाल ही में 3 नवम्बर, 1966 को उत्तर दिया था ।

पूरी तरह कम्प्यूटरों के प्रयोग करने की स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया में कोई तीन वर्ष लग जाने का ख्याल है। इस अवधि में इस परिवर्तन के कारण 383 पद समाप्त हो जायेंगे । परन्तु कम्प्यूटरों के इस्तेमाल की इसी प्रक्रिया के कारण 225 नए पद प्रारम्भ हो जायेंगे। इसलिये पदों की संख्या में वास्तविक कमी केवल 158 होगी अर्थात् हर साल में लगभग 50 पदों का । जीवन बीमा निगम द्वारा प्रति वर्ष 1500 के लगभग नए पदों का निर्माण किए जाने की तुलना में यह कमी नगण्य है। जिन कर्मचारियों के पद फालतू हो गये हैं, उन में से किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी और न उसकी वर्तमान नियुक्ति के शहर से बाहर बदली ही होगी ; और वे किसी दूसरे काम पर लगा दिए जायेंगे ।

यह दुर्भाग्य की बात हैं कि निगम द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिये जाने के बावजूद, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा अभी भी आन्दोलन चलाया जा रहा है और वास्तव में उसमें तीव्रता लायी जा रही है। अपनी ओर से बीमा निगम इस बात का बहुत इच्छुक रहा है कि वह संघ के प्रतिनिधियों से मिले और मामले पर बातचीत करे। हाल के महीनों में, जीवन बीमा निगम ने पांच विभिन्न अवसरों पर संघ को बातचीत के लिये आमंत्रित किया। संघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। परन्तु आग्रह किया कि वह बातचीत के लिये केवल तभी आयेगा जब बैठक की कार्य सूची में विचार करने के लिए स्वचालित मशीनों के प्रयोग को समाप्त करने सम्बन्धी मद भी जोड़ दी जायगी ।लेकिन, पहले से लगायी गयी यह शर्त जीवन बीमा निगम को मान्य नहीं थी क्योंकि जीवन बीमा निगम कम्प्यूटरों के लगाये जाने की प्रक्रिया को पालिसीदारों के प्रति सेवा के हित में और संगठन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए नितान्त आवश्यक समझता है ।

महोदय, चूंकि मेरे बहुत से माननीय साथियों ने अब एक बार फिर इस मामले को ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव द्वारा इस सदन में उठाया है इसलिये मैं एक बार फिर से स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम द्वारा कम्प्यूटरों के लगाये जाने के कारण किसी भी अवस्था में जीवन बीमा निगम के वर्तमान कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी और यह भी कह देना चाहता हूं कि इसके कारण कर्मचारियों को पारिश्रमिक में कोई हानि नहीं होगी ।

व्यापार की बढ़ती हुई मात्रा के साथ साथ स्वचालित मशीनों का प्रयोग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पालिसीदारों की सेवा के उचित स्तर की सुव्यवस्था की जा सकती है। जैसा कि इस सदन को विदित है भूतकाल में पालिसीदारों को मिलने वाली सेवा के बारे में उनसे शिकायतें आयी हैं। जीवन बीमा निगम सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए पूरी कोशिश करता रहा है लेकिन अब ऐसी स्थिति आ पहुंची है जहां काम करने के बहुत से तरीकों का यंत्रीकरण कर देने पर ही अधिक उन्नति संभव हो सकती है। मैं अनुभव करता हूं कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग से छंटनी के बारे में उचित भय हो सकता था, परन्तु जीवन बीमा निगम और सरकार द्वारा इस सदन में तथा सदन से बाहर बार-बार दिये गये आश्वासनों से यह भय पूर्ण रूप से दूर हो जाना चाहिए। ये आपत्तियां भी हो सकती हैं कि स्वचालित मशीनों के प्रयोग से जीवन बीमा निगम की नियोजन सामर्थ्य में कमी हो जाएगी लेकिन मैं ने पहले जो आंकड़े दिये हैं उनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह कमी इतनी थोड़ी होगी कि वह बिल्कुल ही किसी महत्व की नहीं होगी। जैसा कि मैं कह चुका हूं, जीवन बीमा निगम प्रति वर्ष एक हजार पांच सौ नई नियुक्तियां देता है जब कि कम्प्यूटरों के लगाने का, जैसा करने का अब विचार है, कुल प्रभाव यह होगा कि तीन वर्ष में एक सौ अट्ठावन पद कम हो जायेंगे। इसलिए नियोजन सामर्थ्य के दृष्टिकोण से कम्प्यूटरों के लगाये जाने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जीवन बीमा निगम के व्यापार में वृद्धि के कारण इन कम्प्यूटरों की आवश्यकता पड़ी है। कलकत्ता तथा बम्बई कार्यालयों में, जहां यह कम्प्यूटर लगाये जाने वाले हैं, पालिसियों की संख्या कुल संख्या का केवल छठा भाग हैं। क्या इन दो स्थानों पर कम्प्यूटर लगाने से व्यापार में वृद्धि से होने वाली आवश्कतायें पूरी करने का प्रयोजन पूरा हो जायेगा? क्या यह तथ्य नहीं है कि कम्प्यूटरों की स्थापना से बहुत से कर्मचारी फालतू हो जायेंगे? यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता तथा बम्बई के कितने शाखा कार्यालयों की आवश्यकता नहीं रहेगी?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि यह मान भी लिया जाय कि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिये गये आंकड़े ठीक हैं तो भी यह आवश्यक नहीं कि आगामी एक अथवा दो वर्षों में भी आंकड़े वैसे ही रहेंगे, कम्प्यूटर स्थापित करने से पालिसीधारियों की अधिक अच्छी सेवा हो सकेगी।

यदि यह मान भी लिया जाय कि कुछ लोग फालतू होंगे तो इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की छंटनी नहीं की जायेगी। उन्हें बेकार नहीं रहने दिया जायेगा क्योंकि काम में वृद्धि होगी।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : माननीय वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 3 में कहा हैं कि संघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखायी। परन्तु आग्रह किया है कि वह बातचीत के लिये केवल तभी आयेगा जब बैठक की कार्य-सूची में विचार के लिये स्वचालित मशीनों के प्रयोग को समाप्त करने सम्बन्धी मद भी जोड़ दी जायेगी।

इन कर्मचारियों को कालटेक्स पैट्रोलियम कम्पनी के कर्मचारियों के मामले से अनुभव हुआ है। उन्हें भी आश्वासन दिया गया था कि कोई छंटनी नहीं की जायेगी परन्तु दो तीन वर्षों बाद बहुत से कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया और कम्पनी ने इस विषय पर उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया था। इसलिए सरकार को इस मामले पर भी चर्चा करने में क्या आपत्ति है?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक कर्मचारियों पर कम्प्यूटर स्थापित करने से होने वाली छंटनी के प्रभाव का सम्बन्ध है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं परन्तु यह निर्णय करना सरकार अथवा जीवन बीमा निगम का काम है कि कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाये अथवा नहीं ।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : 1958 में हुई यंत्रीकरण और पुनर्गठन आदि के बारे में जो समझौता हुआ था उसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि जब भी यंत्रीकरण की कोई योजना हो तो उसे पारस्परिक समझौते द्वारा ही लागू किया जा सकेगा । यदि पारस्परिक समझौता न हो तो न्याय-निर्णय और मध्यस्थ निर्णय आदि की प्रक्रिया अपनानी होगी । परन्तु जीवन बीमा निगम के मामले में ऐसा नहीं किया गया है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें त्रिपक्षीय बैठक बुलाने में क्या आपत्ति है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस विषय पर त्रिपक्षीय बातचीत हो चुकी है । यदि समझौते का कोई उल्लंघन हुआ हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है । परन्तु हम इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते कि कम्प्यूटर लगाये जायें अथवा नहीं । इसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : जब भी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो इसकी अनुमति देनी अनिवार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न वाली बात नहीं है । मैं इस समय किसी भी प्रकार के औचित्य प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : बात यह है कि मंत्री महोदय ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनमें और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के बीच भारी अन्तर है । उनका दावा यह है कि इस इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटरों को लगाने से 30 हजार से 40 हजार तक लोग बेकार हो जायेंगे । अतः यह बहुत ही गम्भीर मामला है । केवल सरकार की बात पर विश्वास करके मामले को छोड़ा नहीं जा सकता ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं इस बात को नहीं मानता । इस बारे में मतभेद हो सकता है, परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम के प्राधिकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मिल कर इस विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं । बिना चर्चा किये आप कैसे किसी चीज की हानि लाभ के बारे में कोई निश्चित बात कह सकते हैं । परन्तु यदि कोई गैर सरकारी कम्पनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी करती हैं तो हम उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । यह देश के कानून की बात है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : इस मामले में 1964 में निर्णय किया गया था, परन्तु इसके बारे में कोई परामर्श नहीं किया गया ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता–पूर्व) : इस मामले पर चर्चा करते हुए सरकार कतराती क्यों है ?

श्री कुन्हन (पालीघाट) : सरकार विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में असफल क्यों रही हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या उन्होंने 30 अप्रैल, 1966 को वित्त विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा था कि आप इस बारे में कुछ करेंगे । निजी तौर भी उन्होंने मुझे यह बात कही थी। अब वह अपनी राय क्यों बदल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूं । परन्तु ये कम्प्यूटर लगाने, न लगाने के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Employees are going on strike on the 25th instant. I want to know whether Government propose to hold a tripartite meeting to discuss the demands of the employees.

डा० सारादीश राय (कटवा) : गत तीन वर्षों में भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 प्रतिशत कम हो गई है। क्या यह इसी कम्प्यूटर लगाने के कारण ही है। आखिर यह क्यों हुआ है ?

श्री बड़े (खारगोन) : 1958 में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था जिसमें यह निर्णय किया गया था कि कम्प्यूटर कर्मचारियों के साथ परामर्श करके ही लगाये जायेंगे । क्या यह सत्य नहीं है ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कर्मचारियों की शिकायतें दूर की जायें ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : 1958 में क्या हुआ था, उसे जानने के लिए मुझे रिपोर्ट देखनी और उसके लिए मुझे कुछ समय का नोटिस चाहिए ।

श्री उमानाथ : खेद है कि मंत्री महोदय को सरकार के अपने निर्णय का भी नहीं पता ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): I want to know that the decision taken was taken at L.I.C. level or it was also considered at the Cabinet level. Also, the number of recruits if there had even no computers.

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि कम्प्यूटर रहे तो भी 1500 तक कर्मचारियों को तो लिया ही जाना है। मेरा अब भी यह विचार है कि कर्मचारी इस बात को अनुभव करेंगे कि हड़ताल करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसी वर्ग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों पर विचार करने का मामला इसके अन्तर्गत नहीं आता। मैं ने यह नहीं कहा कि किसी प्रश्न पर विचार नहीं होगा। पर त्रिपक्षीय बैठक करने से पूर्व हमें द्विपक्षीय सम्मेलन का परिणाम तो देख लेना चाहिए।

इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि कम्प्यूटरों के प्रयोग के विरुद्ध सब से बड़ी आशंका यह थी कि इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी हो जायेगी और वेतन आदि को भी हानि पहुंचेगी। जीवन बीमा निगम ने सभी को ये बता दिया है और कर्मचारियों को स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन भी दे दिया है कि इससे न तो कोई छंटनी होगी और न कोई अन्य प्रकार की ही हानि होगी । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों की न केवल छंटनी ही न होगी, प्रत्यत वर्तमान नियुक्ति के स्थान से बाहर बदली भी नहीं होगी । जो लोग फालतू होंगे, उन्हें किसी दूसरी जगह लगा दिया जायेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जो कम्प्यूटर बम्बई में लगाया गया है वह 30 लाख पालिसियों को बना सकता है। इस हिसाब से 30,000 लोग फालतू हो जायेंगे।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): According to newspaper reports machines costing 15 lakhs are being imported into India from America. I want to know that whether these machines have been introduced in the private sector only or in the public sector, as well?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उससे यह पता चलता है कि जो निर्णय 1964 में लिया गया था, उसे अब कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे तीन वर्षों में 158 कर्मचारी हटाये जायेंगे । क्या इनके पीछे राजनैतिक दलों का भी हाथ है ।

Shri Priya Gupta (Kaitihar): I want to know what this retrenchment means. There will be no loss of jobs as has been stated by the Minister. To what extent the automation would effect the scope of promotion to the higher posts?

श्री शचीन्द्र चौधरी : कर्मचारियों के किसी वर्ग पर इससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

RE. POINT OF ORDER

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have to raise a point of order under Rule 376. After listening to me you are to give your ruling. My point of order pertains to the "arrangement of business." Rule 202 mentions about the removal of Speaker or Deputy Speaker. Today, you have to be more patient to us. My point of order pertains to the fact that the agenda for today has not been drawn properly. This should have been the first item for today. I, therefore seek your ruling on it.

मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : नियम संख्या 202 अथवा "निश्चित दिन' उस समय लागू होता है जब अनुमति प्राप्त हो चुके और उसके पश्चात् दिन निश्चित कर दिया जाता है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि कल तो कार्य-सूची को ठीक तैयार किया गया था तथा उसका पालन भी किया था परन्तु आज उसे ठीक तैयार नहीं किया गया है । इस पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं। साथ ही हमारा यह भी कहना है कि "निश्चित दिन" का अर्थ वह दिन ह जिस दिन चर्चा हो। यह चर्चा प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के दिन से लागू होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम संख्या 2 के अनसार इस प्रकार के प्रस्ताव शपथ लेने तथा निधन सम्बन्धी उल्लेख के बाद आते हैं। इस लिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye: I have a second point of order. That concerns what you have said just now. You please look on Article 118 of the Constitution. Today you will have to go strictly by the Constitution.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आप ने कहा कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । क्या आपने उसे रद्द कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसे रद्द कर दिया है।

Shri Madhu Limaye: According to Article 118 the order of priority is like this: first of all comes the Constitution, secondly the rules framed under the Constitution, thirdly the rules which are framed according to the Constitution and fourthly the directions by Speaker or the decisions by the Speaker. This direction cannot take precedence over the rules nor the laws nor it can take the procedure over Constitution, where the rules are clear the directions do not come in the picture. Therefore I submit that you are to act now according to rule and not according to directions.

उपाध्यक्ष महोदय : जो निर्देश अध्यक्ष महोदय ने जारी किये हैं, वह उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने नियम इसलिये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कपूर सिंह : क्या आप इस व्यवस्था के प्रश्न को भी पूछने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

सभा-पटल पर पखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा दिये गये किफायत करने के सुझावों के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): महोदय मैं तारांकित प्रश्न संख्या 211 पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में 10 नवम्बर, 1966 को दिये गये वचन के अनुसरण में, श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा दिये गये किफायत करने के सुझावों के बारे में एक विवरण की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई संख्या देखिये संख्या एल०टी० 7403/66]

जेनमीकरम अदायगी (समाप्ति) नियम तथा केरल भूमि सुधार (पट्टेदारी) नियमों में संशोधन

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री अशोक मेहता की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित जेनमीकरम अदायगी (समाप्ति) अधिनियम 1960 की धारा 24 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा जेनमीकरम अदायगी (समाप्ति) नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 87/66 जो दिनांक 1 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 226/66 जो दिनांक 7 जून, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 7404/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 130 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति जिसके द्वारा केरल भूमि सुधार (पट्टेदारी) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 293/66 जो दिनांक 9 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 325/66 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) ऊपर की मद (1) और (2) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल०टी० 7405/66]

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा केरल सामान्य विक्रय-कर नियमों आदि में कुछ संशोधन करने के बारे में अधिसूचनायें।

श्री ल० ना० मिश्र : महोदय, मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1756 की एक प्रति जो दिनांक 11 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7406/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल विक्रय-कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति जिनके द्वारा केरल सामान्य विक्रय-कर नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 34/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 78/66 जो दिनांक 25 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) ऊपर की मद (2) में बतायी गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7407/66]

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 217/65 जो दिनांक 25 मई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 248/65 जो दिनांक 15 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 253/65 जो दिनांक 15 जून, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 255/65 जो दिनांक 15 जून, 1965 के केरल राजपत्र म प्रकाशित हुई थी।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 311/65 जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 312/65 जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) एस० आर० ओ० संख्या 314/65 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7408/66]

(5) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 69 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 282/65 जो दिनांक 13 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल स्टाम्प निर्माण तथा बिक्री नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 309/65 जो दिनांक 10 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल स्टाम्प निर्माण तथा बिक्री नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 297/65 जो दिनांक 27 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल स्टाम्प नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया।

(6) ऊपर की मद (4) और (5) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7409/66]

गुरुवयूर टाउनशिप अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुरुवयूर टाउनशिप अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० 770/66 एचएलडी की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7410/66

अध्यक्ष को पद से हटाने के लिये संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : LEAVE TO MOVE RESOLUTION FOR REMOVAL OF SPEAKER

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये अपने संकल्प के सम्बन्ध में अब सभा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 201 के अन्तर्गत कार्यवाही के पूर्व, मैं इस सम्बन्ध में उक्त प्रक्रिया के नियम 201 (3) तथा नियम 388 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 96 (1) के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

हाउस आफ कामन्स में यह नियम है कि यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष की निष्पक्षता के विरुद्ध कोई शिकायत हो, तो वह अपनी उस शिकायत को सभा में बता सकता है। भारतीय विधान मंडल के कार्यवाही-वृत्तांत में यह बात रिकार्ड में है कि यदि किसी एक सदस्य का भी अध्यक्ष में विश्वास न हो, तो वह पद-त्याग करने के लिये तैयार है।

इसलिये इस सभा के सर्वाधिक हित में हमें अपनी शिकायत बताने का अवसर दिया जाये ताकि देश तथा विश्व को इस बात का निर्णय करने का मौका मिले कि हमारे संविधान के विरुद्ध दुर्भावनाओं को वास्तव में कौन से लोग बढ़ावा देते हैं और किसके संरक्षण में ये दुर्भावनाएं फलती-फूलती हैं।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि नियम 388 के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति जो कि अध्यक्ष महोदय ने हमारे अनुरोध के बावजूद भी नहीं दी है, दी जाये, और नियम 201 (3) को निलम्बित किया जाये अर्थात् जहां तक 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने की शर्त है उसे इस मामले में लागू न किया जाये और इस अविश्वास प्रस्ताव पर खुली चर्चा की अनुमति प्रदान की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह भी उसी के सम्बन्ध में है ?

श्री स० मो० बनर्जी : जी, नहीं। मैंने और श्री कपूर सिंह जी ने निम्नलिखित प्रस्ताव का नोटिस दिया था कि :

"यह सभा संकल्प करती है कि 24 नवम्बर की कार्य सूची में अध्यक्ष को हटाने के लिए रखे गये संकल्प के सबन्ध में नियम 201 (3) को निलम्बित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय ने जिनके विरुद्ध इस संकल्प का नोटिस दिया गया है, उसे सभा के समक्ष लाये बिना ही स्वतः अस्वीकार कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें नई बात क्या है ? आप तो कह रहे थे कि मैं किसी अन्य बात पर बोलना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि आप इन तर्कों को फिर से न दुहरायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध मे परिचालित प्रस्ताव की ओर दिलाता हूं । मैं आपको एक पूर्वोदाहरण दे रहा हूं । उचित रूप से परिचालित न किये जाने के कारण वह कार्य सूची में नहीं आया है, तथापि श्री पाठक ने प्रस्ताव पेश किया है कि 23 नवम्बर, 1966 को सभा द्वारा स्वीकृत लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में संशोधन 63 पर लागू प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 338 को निलम्बित किया जाये ।

मैंने दो प्रस्ताव रखे थे । एक यह कि नियम 338 को निलम्बित किया जाये और दूसरा यह कि अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बागड़ी तथा श्री किशन पटनायक को जिन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हुए हैं, इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाये । अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से हमें कोई शिकायत नहीं है । हम केवल सिद्धान्तों पर लड़ रहे हैं। यह तो सभा की इच्छा पर है कि वह प्रस्ताव को स्वीकृत करें अथवा रद्द कर दे। किन्तु प्रश्न यह है कि अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कैसे किया जब कि उनके विरुद्ध वह प्रस्ताव है और उन पर कई आरोप हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आप निष्पक्ष रूप से इस प्रस्ताव की अनुमति दें और श्री बागड़ी तथा श्री किशन पटनायक को इस सभा में आने की अनुमति दें क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने एक आयोजित ढंग से कुछ सदस्यों को निष्कासित किया है, ताकि प्रस्ताव के समर्थक सदस्यों की संख्या कम हो जाये ।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : क्या मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई और प्रश्न नहीं । श्री कपूर सिंह तथा श्री बनर्जी द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न मैंने सुन लिये हैं । **(व्यवधान)**

केवल अध्यक्ष की अनुमति से किसी प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है । मैं नियम 388 के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देने से इन्कार करता हूं ।

अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने के सम्बन्ध में नियम 202 (3) में समूची प्रक्रिया का उल्लेख है। यदि इसे निलम्बित किया जाये तो समूची प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मैं अपनी अनुमति देने से इन्कार करता हूं। इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कपूर सिंह: नियम 388 आपको किसी चीज को अस्वीकृत करने की कोई भी शक्ति नहीं देता। आप स्वयं नियम पढ़ कर देख लें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Under Rule 369, I am raising a point of order. I have a document relating to the matter on which you have to give your ruling. I think you would suspend the rule relating to the requirement of 50 members and allow a free discussion after going through this document. I have neither stated anything to the members about this document so far nor do I intend to do so hereafter. But I would be obliged to take this document as a last resort in case you disallowed a discussion on the matter under issue.

This is an instrument which is going to undermine the roots of parliamentary system. In such a situation, it becomes your duty, as well as that of the Leader of the House to send for and read this letter forthwith, otherwise, I will not be responsible for disclosure of its contents.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 369 का सम्बन्ध केवल दस्तावेजों को पेश करने से है। दस्तावेजों के पेश किये जाने से हमारा कोई भी सम्बन्ध नहीं है इसलिए व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Ram Manohar Lohia: The letter is in my hand and you are compelling me to read it out.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। श्री लिमये सभा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): I do not know as to what document is there in the hand of the hon. Member, but I feel that it was proper for the hon. Member to show it to us before 11 O'clock.

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री लिमये अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति ले सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia: You are not prepared to see this letter. So I read it out. This is a letter written by Sardar Hukam Singh and addressed to a Minister . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बारबार मेरे अनुरोध के बावजूद भी डा० लोहिया जबरदस्ती करते जा रहे हैं और मान नहीं रहे हैं। मैं उनसे बैठने के लिए कहता हूं या वह बाहर चले जायें। श्री मधु लिमये प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति ले सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Under which Rule, you are asking me to beg for leave of the House first. I want to move my motion.

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 201 (2) देखिये। आप अपना प्रस्ताव रखने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करें।

Shri Madhu Limaye: This Rule does not apply. I am not making any speech. I raise a point of order, you please see Rule 376.

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 376 का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । नियम 201 (3) के अन्तर्गत आप अनुमति लीजिये ।

Shri Madhu Limaye: This rule is ultra-vires of the Constitution. It is not in accordance with the provisions of the Constitution.

I invite your attention to article 118 which says:

> "Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution." Our Constitution provides for procedures regarding removal of the President, the Vice-President, the Supreme Court and High Court Judges, the Speaker, and the Deputy Speaker, Lok Sabha from their offices.

I will now read out the procedure regarding the President's removal and not impeachment . . .

उपाध्यक्ष महोदय: यहां पर हमारा सम्बन्ध राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति को उनके पदों से हटाने की प्रक्रिया से नहीं है । आप उन्हें बीच में न लाइये । आप केवल अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में बोलें । आप अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं इसलिए आप उसी के बारे में बोलें ।

Shri Madhu Limaye: Sir, I want to refer only to the provisions of the Constitution in relation to the existing rule, which is wrong. I want to quote that rule and compare it for the purpose of interpretation and I can prove that it is wrong.

उपाध्यक्ष महोदय: यह जरूरी नहीं है । आप केवल मुख्य बात पर आइये । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने के बारे में ।

Shri Madhu Limaye: I am reading article 94 of the Constitution which is relevant to the issue under discussion:

> "A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the House of the People—
>
> * * * *
>
> (c) may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then members of the House."

Now please see article 61. When we compare them, we come to know how the rule is wrong and incompatible.

"When a President is to be impeached".

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें बीच में मत लाइये । इस समय हमारा उन से कोई सम्बन्ध नहीं है । आप केवल सम्बन्धित मामले पर बोलिये ।

Shri Madhu Limaye: It is relevant and how can you rule out reading of it? Great scholars and pandits of Law are sitting here. The hon. Law Minister is there. I want to ask if I am entitled to speak about it? You allow me to proceed further.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप को नियम की वैधता के बारे में निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है । इसलिए श्री मधु लिमये का व्यवस्था का प्रश्न नियम बाह्य है ।

Shri Madhu Limaye: The House is empowered to nullify unconstitutional rules.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : आप उन्हें इसकी व्याख्या करने की अनुमति दें । इससे सभा का समय बचेगा ।

श्री खाडिलकर (खेड) : यदि इस बात पर आपत्ति उठायी जाये कि कोई नियम संविधान के उपबन्धों से संगत नहीं है तो इसके लिए पृथक् प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान 18 दिसम्बर, 1954 की लोक-सभा की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूं । तब ऐसा ही एक संकल्प अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्तुत किया गया था । उस समय भी उपाध्यक्ष पीठासीन थे । उन्होंने संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये को संकल्प पढ़ने से नहीं रोक रहा हूं ।

The Madhu Limaye: I beg to move:

That leave be granted to move the following resolutions:—

"That this House regretfully resolves that the present Speaker be removed from his Office on the following grounds:—

(1) arbitrarily disallowing questions likely to cause acute embarrassment to the Prime Minister, other Ministers, top Congress leaders and high government officials;

(2) wilfully overthrowing the Rules by capriciously withholding consent to adjournment motions, other motions and calling attention notices, thereby preventing discussion of issue of public importance agitating the public;

(3) illegally usurping the privileges guaranteed by the Constitution to members by refusing permission to submit questions of breach of privilege to the determination of the House; and

(4) generally regulating the proceedings and abusing the disciplinary powers in such manner as to prevent exposure of the government's incompetence and misdeeds and bring about the suppression of the Opposition."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खेदपूर्वक संकल्प करती है कि वर्तमान अध्यक्ष को निम्नलिखित आधारों पर उनके पद से हटा दिया जाये :—

(1) ऐसे प्रश्नों को मनमाने ढंग से अस्वीकार करना जिन से प्रधान मंत्री, अन्य मंत्रियों, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और सरकार के उच्चाधिकारियों को अत्यधिक परेशानी होने की सम्भावना होती है ;

(2) स्थगन प्रस्तावों, अन्य प्रस्तावों और ध्यान दिलाने की सूचनाओं को मनमाने ढंग से अस्वीकार करके जानबूझ कर नियमों की उपेक्षा करना और इस प्रकार जनता को आकुल करने वाले सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा न होने देना ;

(3) विशेषाधिकार भंग के प्रश्नों को सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत करने की आज्ञा देने से इन्कार कर के सदस्यों के विशेषाधिकारों को, जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, गैर-कानूनी ढंग से छीन लेना; और

(4) कार्यवाही को साभान्यतया ऐसे ढंग से चलाना और अनुशासनात्मक शक्तियों का ऐसे तरीके से दुरुपयोग करना जिस से कि सरकार की अक्षमता और उसके दुष्कर्मों की पोल न खुलने पाये और विरोधी पक्ष का दमन हो ।"

जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें । केवल 22 सदस्य खड़े हुए हैं । 50 सदस्यों की आवश्यक संख्या पूरी नहीं हुई है । इसलिए संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक

INDIAN TARIFF (SECOND AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the **Title were added to the Bill.**

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

सभा नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : मुझे आप को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि सभा ने आप में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है ।
(अन्तर्बाधाएं) ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It is not so, Sir. The Leader of the House has stated it in a very improper way. . . .**(Interruptions).**

The motion could not be taken up.

विनियोग (संख्या 5) विधेयक 1966
APPROPRIATION (NO. 5) BILL 1966

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए, दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई

राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 1 so 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: NOTIFICATION UNDER COMPANIES ACT

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'यह सभा संकल्प करती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 324 की उप-धारा (4) के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 324 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रारूप अधिसूचना में जो 1 नवम्बर, 1966 को सभा-पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूप भेद किया जाये, अर्थात्:—

"1 जनवरी, 1967" **के स्थान पर**

"2 अप्रैल 1967" **रखा जाये।**

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा इस संकल्प से सहमत हो'

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 324 में यह उपबन्ध है कि जब प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली की समाप्ति के बारे में कोई प्रारूप अधिसूचना सभा पटल पर रखी जाये तो उसे पारित किया जायेगा, यदि उसमें परिवर्तन करने वाला कोई संकल्प सभा में प्रस्तुत अथवा स्वीकृत न हुआ हो। सरकार ने निश्चय किया है कि पांच उद्योगों में प्रबन्धक अभिकरण को 1 जनवरी, 1967 से तीन वर्षों के पश्चात् समाप्त किया जायेगा तथा धारा 324 (2) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना सभा-पटल पर रखी जाये।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri Sham Lal Saraf in the Chair.]

यदि इसे 1 जनवरी 1967 से लागू किया जाये तो बहुत सी कम्पनियों को कठिनाई होगी क्योंकि प्रबन्ध को बदलने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने का उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए इस संकल्प में यह सुझाव दिया गया है कि प्रारूप अधिसूचना में जो 1 जनवरी, 1967 की तिथि का उल्लेख किया गया है उसको बदल कर 2 अप्रैल, 1967 किया जा सकता है ताकि कम्पनियों को वैकल्पित व्यवस्था करने के लिए कुछ समय मिल सके। इससे इन कम्पनियों को तीन मास का और समय मिलेगा और यदि किसी कम्पनी का प्रबन्धक अभिकरण 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच समाप्त हो रहा है तो उसे और समय मिल सकेगा। इसी कारण मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है, सभा इसे स्वीकार करेगी।

श्री इन्द्रतजी गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : यह प्रस्ताव देखने में निर्दोष मालूम होता है जिस के द्वारा केवल 3 मास से तिथि में परिवर्तन किया जाना है परन्तु इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि उस तिथि को 1 जनवरी, 1967 से बढ़ाकर 2 अप्रैल, 1967 करने से प्रबन्धक अभिकरण की अवधि में स्वयं ही तीन वर्ष की वद्धि हो जायेगी। यह तर्क वास्तविक नहीं है कि कुछ कम्पनियों को अपना सामान्य कार्य करने में कठिनाई होगी। प्रबन्धक अभिकरणों के विषय पर सरकार ने विस्तारपूर्वक विचार किया है तथा बहुत ही ठोस आधार पर सरकार ने यह निर्णय किया है कि न केवल तीन उद्योगों को अपितु पांच उद्योगों को इसके अन्तर्गत लाया जाये। परन्तु इन प्रबन्धक अभिकरणों से सम्बन्धित कुछ लोगों ने और इन पर नियंत्रण रखने वाली बड़ी फर्मों ने स्वाभाविक ही यह बात पसन्द नहीं की क्योंकि यह तिथि निर्वाचन से केवल तीन मास पूर्व की है।

हमें मालूम है कि मुख्य रूप से यह प्रबन्धक अभिकरण ही शासक दल अथवा कांग्रेस को चुनाव के लिये धन देती हैं। यह रियायत ठीक इसी कारण की जा रही है ताकि प्रबन्धक अभिकरणों को अपने आप ही तीन मास की वृद्धि दिलाई जा सके। वह जान बूझकर तैयार किया गया एक प्रस्ताव है

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): A Managing Agency house primarily consists of persons related to each other or their friends. They manage one or more companies and provide finances for the running of those companies. If the Managing Agents are removed, it would mean that they will have no hand in the company and they would, therefore, like to withdraw the money invested in the company. Time should be given for this process. Otherwise the progress of industries will stop. They should be allowed time for adjustment. I, therefore, support the resolution which has been moved in this House.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री कमल नयन बजाज की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस विशिष्ट तिथि को 1 जनवरी से बदल कर 2 अप्रैल, 1967 करने से उनका परिवार कैसे बच रहा है । मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना.....

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) मैं इस बात को स्पष्टीकरण कर देता हूं । मेरा निवेदन यह है कि इस संकल्प में जो कुछ कहा गया है उसके संबंध में और उसके पारित किये जाने पर उसके काननी प्रभाव के बारे में कुछ गलतफहमी मालूम होती है । यदि यह संक प किसी तरह पारित नहीं होता तब भी उन कम्पनियों को, जो उन पांच उद्योगों में काम कर रही हैं, प्रथम जनवरी से तीन वर्ष का समय मिल सकेगा । और यदि यह संकल्प पारित कर दिया जाय तो उन लोगों को तीन वर्ष और तीन महीनों का समय मिलेगा । यह बात समझ ली जानी चाहिये कि तीन वर्ष इस संकल्प के परिणामस्वरूप नहीं है । यह तो कम्पनी अधिनियम के परिणाम स्वरूप है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मेरा निवेदन यह है कि इस बात का क्या स्पष्टीकरण है कि यदि इस संकल्प के बिना भी सरकार द्वारा पहली नवम्बर की अधिसूचना में जो कुछ स्वीकार किया गया है उसके अन्तर्गत उन पांच उद्योगों के प्रबन्धक एजेन्सियों को तीन वर्ष का और समय मिलता है, तो मेरे विचार में इस संकल्प की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मेरा कहना यह है कि यह प्रबन्धक ऐजन्सी सदा निश्चित अवधि के लिये होती है । यदि किसी प्रबन्धक एजेन्सी की अवधि 31 मार्च, 1967 को समाप्त होती है तो उसको तीन वर्ष नहीं मिलेंगे । क्योंकि वह अपने आप ही 31 मार्च, 1967 को समाप्त हो जायेगी । उनके सम्बन्ध में जिनकी अवधि इससे बहुत पहले समाप्त हो जायेगी, इस संकल्प में ही यह मांग की गई है कि पहली जनवरी से तीन वर्षों की बजाय 2 अप्रैल से तीन वर्ष होने चाहियें ।

सभापति महोदय : प्रस्तावक ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है, और इस कारण ही यह भ्रान्ति रह गयी है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्र पारा) हमारी भी यही आपत्ति है, इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये । अच्छे कानून को बनाते हुए वह बदनामी क्यों ले रहे हैं । मेरी सरकार से अपील है कि इस विधान का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, अतः वातावरण को खराब नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैंने भी इस बात को ही स्पष्ट करने का प्रयास किया है ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मंत्री महोदय ने अपने आप को धारा 324 के अन्तर्गत सीमित रखा । मेरा इस बारे में यह कहना है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि इस सभा द्वारा अधिसूचना में रूप भेद किया जाता है अथवा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता, तो अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती । और इस स्थिति में तीन वर्ष की अवधि भी लागू नहीं होगी । अतः यह समझ लेना चाहिए कि यह तीन महीनों का प्रश्न नहीं है जोकि इस संकल्प में चाहते हैं । वास्तव में ये लोग तीन वर्ष की अवधि चाहते हैं । और यह अवधि 1 जनवरी, 1967 को स्वतः ही समाप्त हो जानी है । परन्तु अधिसूचना को तीस दिन के भीतर आपको स्वीकृत करना होगा ।

श्री गो० ना० दीक्षित : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा कहना है कि देश की बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाओं ने समिति की उन फारिशों का स्वागत नहीं किया है कि प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली 1 जनवरी, 1967 से समाप्त कर देनी चाहिए । और जो कुछ अच्छा हुआ है, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए । इसी उद्देश्य से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है । भूतपूर्व वित्त मंत्री ने तो इसे 1975 तक बढ़ा दिया था । बात यह है कि बड़े बड़े व्यापारिक निकाय चुनावों के लिए सत्ताधारी दल के खजानों में बहुत सी राशियां देना चाहते हैं। उनका विचार है कि शायद ऐसा करने से वह सरकार सत्तारूढ़ हो जायेगी जिसे वे पसन्द करते हैं और जो हमेशा उनके हितों का ध्यान रखेगी । और नीति के रूप में वह इस प्रबन्धक एजेन्सी प्रणाली को जारी रखेगी । सारी स्थिति पर विचार करने के बाद मेरा यह मत है कि यह संकल्प बहुत ही द्वेषपूर्ण संकल्प है । और इससे बड़े खराब परिणाम सामने आने की संभावना है ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मुझे केवल इतना ही कहना है । गत 16 वर्षों के अनुभव में यह पहली दफा देखा है कि 70 लोगों के हस्ताक्षरों से संकल्प प्रस्तुत किया है। यह बात बड़ी स्पष्ट है कि बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं बड़े बड़े साधनों से इस दिशा में काम कर रही हैं ।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : यह संकल्प बहुत ही सरल है और इसका उद्देश्य केवल तीन मास की अवधि को बढ़ाना है ; इस समय प्रबन्धक एजेन्सी के मामले पर तो विचार हो ही नहीं रहा कि उसके गुण दोष सामने लाए जाएं। एक सीमित उद्देश्य है कि तीन महीनों की अवधि बढ़ाई जाय । 3 महीनों की प्रभावकारी अवधि 1 जनवरी से 1 अप्रैल, 1967 तक नहीं है । वास्तव में यह 1 जनवरी, 1970 से 1 अप्रैल, 1970 तक की है । इस मामले में तीन महीने से अधिक की बात हो नहीं है । अब पतिपक्ष वाले चाहे इसको तीन वर्ष तक फैलाने का प्रयास करते रहें । इस अवधि को 31 मार्च तक भी रखा जा सकता है ।

इस बारे में स्थिति यह है कि अधिकांश मामलों में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है । दूसरे उनमें एक चीनी उद्योग भी है । और क्योंकि उत्तर भारत में 1 जनवरी को गन्ने की पेराई का मौसम अपने शिखिर के निकट होता है । इस कारण हिसाब-किताब तथा लाभ व्यय आदि के विभाजन में भारी कठिनाई हो जायेगी । क्योंकि गन्ने की पेराई का मौसम 1 नवम्बर से आरम्भ होता है और मार्च अथवा अप्रैल में समाप्त होता है । इसे देखते हुये और चीनी उद्योग के दृष्टिकोण से, यदि उसकी अवधि बढ़ा दी जाये तो हानि और लाभ की स्थिति बहुत अधिक स्पष्ट हो जायेगी । मेरा निवेदन यह है कि हमें संकल्प का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिये । मेरा फिर यह कहना है कि प्रथम जनवरी ही ठीक तिथि होगी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने बड़ी शांति से श्री पुरी का भाषण सुना है । ठीक है यह संकल्प बड़ा सरल और निर्दोष है, पर इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह देश के बड़े बड़े व्यापारी कांग्रेस और सरकार पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं । यद्यपि यह देखने में निर्दोष है, पर वास्तव में यह बहुत ही हानिकारक चीज है । जिस तरह संसद् द्वारा चुपके से इसे पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी मिसाल भी यह आप ही है । इस दिशा में यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पनी अधिनियम बहुत पहले ही पास हो गया था । इस विशिष्ट अधिसूचना को गत वर्ष नवम्बर में सभा पटल पर रखा गया था । जो लोग आज उद्योगों की असुविधा के बारे में दलीलें दे रहे हैं, उन सबके बारे में वे खूब जानते हैं । अच्छा हो यदि इस बात पर प्रकाश डाला जाये कि उस समय सरकार से कहने अथवा इस प्रकार संकल्प को प्रस्तुत करने की राह में क्या रुकावट थी ।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस बात को समझना चाहिये कि यह जान-बूझकर रखा हुआ संकल्प है। यदि सभा के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उन व्यापारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन पर कि इस प्रस्ताव का प्रभाव पड़ने वाला है, तो सारे देश के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। पता चल जायेगा कि इसके पीछे क्या चीज काम कर रही है। ऐसे व्यापारी निकाय हैं जो कि इस समय में सत्ताधारी दल को काफी राशियां देना चाहते हैं इसलिये कि सत्ताधारी दल उनके हितों की रक्षा करते हैं। क्योंकि उन पर प्रभाव होने वाला है, इसलिए इन तीन महीनों में वे अपने अभिलेखों को इस ढ़ंग से तैयार करना चाहते हैं कि नियमों से बिल्कुल छुटकारा पा सकें। मेरा यह स्पष्ट मत है कि प्रस्ताव देश के हित में नहीं है और सरकार को इसका विरोध करना चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा): श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के तर्क मेरी समझ में नहीं आये। मेरा मत है कि इस तरह व्यापारी निकायों का नाम लेकर कांग्रेस दल पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। इस संकल्प को लाने का उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट है कि यदि प्रबन्धक एजेन्सी पहली जनवरी से समाप्त हो जाती है तो हिसाब किताब के वर्ष के बारे में कठिनाइयां पैदा होंगी। यदि ऐसा अप्रैल से हो जैसा कि चीनी के कारखानों में होता है, तो यह ठीक ही रहेगा कि समाप्त होने वाला वर्ष एक जैसा होना चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। व्यवहारिक स्थिति क्या होगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिये।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा): मैं तनिक स्पष्ट कर देता हूं। हिसाब किताब के वर्ष के अतिरिक्त जो कुछ कम्पनियां 31 मार्च को समाप्त करेगी, यह भेद भाव की बात होगी। यदि अवधि को बढ़ाया नहीं जाता तो पूरे तीन वर्षों का समय नहीं मिल सकेगा। कानून की दृष्टि से ऐसा ही होना चाहये कि प्रत्येक को 3 वर्ष का समय मिले।

Shri Bade (Khargone): My friend Mr. Dixit has signed this resolution without giving any serious thought to it himself. I am of the opinion that if this resolution is passed, it would give rise to various mischiefs. The Parliament has already decided that the managing agents should go. If we pass this resolution it will mean giving a fresh leave of life to those whose term expires now. In this way the Notification and the purpose of the Parliament will be very badly defeated.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): मैंने भी इस निर्दोष संकल्प पर हस्ताक्षर किये हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार यह समझती है कि संकल्प की स्वीकृति से कानून अथवा सरकार के लक्ष्य में कोई रुकावट पड़ जायेगी, तो सरकार ऐसा कह सकती है, और संकल्प पर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मेरा निवेदन है कि सत्ताधारी दल, बड़े बड़े व्यापारिक निकाय तथा चुनावों के मामलों को बीच में ले आना ठीक नहीं है। विरोधी दल की इन बातों को उचित नहीं कहा जा सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): under the Company Law there is a provision to give donations to the Political Parties. About 5 lakhs of rupees have been given as donation to the Congress Party and about 15 lakhs to the Swatantra Party, during the last two or three years. These, things will become clear if the discussion on the Resolution has not been adjourned for the time being. In between, the hon. Minister collected and placed before the House the names of the managing agencies who have given these

donations. This will enable the House to determine whether the Resolution is connected with election donations or not. I feel the mover should withdraw this resolution.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : बड़े-बड़े कारोबार करने वाले वास्तव में बड़ी चलाकी से कार्य करते हैं इस चर्चा से यह निष्कर्ष निकला है कि यदि सभा इस अधिसूचना को अस्वीकार कर देती है तो यह अधिसूचना फिर बिल्कुल जारी नहीं हो सकेगी। विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना का मसौदा भेजा है कि यह मसौदा कम्पनी अधिनियम की धारा 324 के अनुसार संसद् के दोनों सदनों की सभा पटल पर रखा जायेगा। जब अधिसूचना सभा के पटल पर रखा गया तो उसे जारी करने के कारण, उसका तरीका तथा उसके जारी करने में जो कठिनाई आई है वह सब स्प ट करनी चाहिये थी। यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त इस मामले को नहीं उठाते तो इसका पता ही नहीं चलता।

श्री हिम्मतसिंहका परिवार इसकी अवधि दो मास और बढ़वाना चाहता था। वह इसे पहली जनवरी की बजाय पहली अप्रैल करना चाहते थे क्योंकि 30 मार्च को साल समाप्त होता है है और जिनकी मैनेजिंग एजेंसी 30 मार्च को समाप्त हो रही हैं वे दूसरी कम्पनियों के और तीन वर्ष तक पदाधिकारी न हों सकेंगे। इसी प्रकार से श्री पुरी ने भी यह नहीं स्पष्ट किया कि यदि पहली जनवरी कर दिया जाय तो यह अधिसूचना ही स्वयं संकट में होगी। इसलिये यह प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिये ।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): I am sorry that I have to oppose this resolution. I cannot agree to the aim of this resolution. I cannot understand as to why three months tie is being given to the managing agencies.

I find much logic in, when the opposition members are saying. There are surely certain elements in the Congress who want to revive the system of managing agencies which has already been found by the House to be harmful. A certain section in the country want to oppose the socialistic pattern of society. This resolution conveys that sense. This resolution should be negatived.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I have a point of order under Rule 376. I want this debate to adjourn under Rule 340.

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि आप चर्चा स्थगित करने का रखें तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं।

श्री कामत (होंसंगादबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : प्रश्न यह है कि क्या यह नियम एक प्रस्ताव पर भी लागू हो सकता है ।

सभापति महोदय : श्री कामत को ऐसा प्रस्ताव पेश करने के नये कारण देने चाहियें थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय नियम संख्या 340 के अन्तर्गत चर्चा स्थगित करने के लिये कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ष पूर्व भी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक पर ऐसा ही हुआ है।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : यदि यह स्थगन प्रस्ताव है, तो मैं इसका विरोध करता हूं।

Mr. Chairman: Let the minister say something on the point of law and on the point of fact.

Shri Madhu Limaye: I want to help you. Rule 340 relates to adjournment of debate whereas Rule 362 relates to closure of the debate. The difference between the two is in the case of the closure motion the Speaker has got discretion whereas in the case of adjournment of debate there is no discretion left to the Speaker. Hence in this case you have got no discretion.

सभापति महोदय : मुझे यह प्रस्ताव सभा के सामने मतदान के लिये रखना होगा।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम संख्या 341(1) के अन्तर्गत मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, जिसके अनुसार आपको यह अधिकार प्राप्त है कि यदि आप चाहें तो यह प्रश्न सभा के सामने रखने से इन्कार कर सकते हैं। इस समय स्थगन प्रस्ताव रखने का अर्थ यह होगा कि जितना समय इस चर्चा पर लगा वह सब नष्ट हो जायेगा।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : महोदय, यदि आप श्री कामत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस संकल्प का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा क्योंकि इस संकल्प के बारे में प्रस्ताव 30 दिन के अन्दर-अन्दर पास करना चाहिये। यदि 30 दिन के अन्दर कुछ पास नहीं हुआ तो यह अधिसूचना अपने आप लागू हो जायगी। इसी कारण वे इसे टालना चाहते हैं।

सभापति महोदय : जहां तक श्री पुरी के इस प्रस्ताव का कहना है कि यह प्रस्ताव देर करने के लिये है, मैं इसे रद्द करता हूं क्योंकि यह देर करने के बारे में नहीं है। लेकिन मैं श्री कामत से कारण पूछना चाहता हूं कि वह क्यों इसे स्थगित कराना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका कारण यह है कि इस विषय पर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिये। अब हमारे पास इसके लिये केवल आधा घंटा से लेकर 40 मिनट तक हैं उसके पश्चात् हमें विद्यार्थियों की अशांति पर चर्चा करना है इसे कल या परसों लिया जाये। इसलिये मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा श्री कामत का प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided: Ayes: 19; Noes: 58.

पक्ष में : 19। विपक्ष में 58

Ayes : 19; Noes : 58.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

श्री हरि विष्णु कामत : यह लोकतन्त्र का सरासर अपमान है।

सभापति महोदय : चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब विधि मंत्री को इसका उत्तर देना है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जैसा कि सभा को पता है कि समिति ने तो अधिसूचना का विषय केवल 3 उद्योगों के लिये सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने चार पांच उद्योगों से मैनेजिंग एजेंसी हटाने के बारे में निर्णय किया जिसका अर्थ यह है कि उन उद्योगों में कोई मैनेजिंग एजेंसी नहीं होनी चाहिये। इसमें तो केवल समय का प्रश्न है। हमने निर्णय ले लिया है कि इस पद्धति को शीघ्र समाप्त किया जाये। इस समय बहुत कम मैनेजिंग एजेंसी बाकी रह गई हैं।

साथ ही हमें उद्योगों के हित को भी देखना है क्योंकि वह देश के हित में है। हमें केवल सिद्धांतों पर ही नहीं जाना चाहिये।

इस प्रस्ताव के पास होने का अर्थ यह होगा कि मैनेजिंग एजेंसी पहली जनवरी 1967 की बजाय 2 अप्रैल 1967 से तीन वर्ष बाद समाप्त हो जायेगी। यह सदन को विचार करना है कि तीन मास की अवधि बढ़ाना उद्योग के हित में है अथवा नहीं विशेषकर उस स्थिति में जब कि समिति ने कहा है कि इस अवधि के प्रश्न पर उदारता से विचार किया जाये।

सभापति महोदय : यदि अधिसूचना में परिवर्तन नहीं किया तो उसका क्या परिणाम होगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यदि यह संकल्प पास नहीं किया गया तो तीन वर्ष बाद उन पांच उद्योगों में मैनेजिंग एजेंसी समाप्त हो जायेंगी। यदि यह संकल्प पास हो गया तो तीन वर्ष की अवधि पहली जनवरी 1967 के बजाय 2 अप्रैल 1967 से लागू होगी। इसलिये प्रश्न केवल तीन मास की अवधि का है।

सभापति महोदय : विधि मंत्री ने कानून तथा प्रक्रिया सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट की है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह लोग उत्सुक हैं कि इस कानून की अवधि बढ़ा दी जाये। इसका अर्थ यह होगा कि नियम तो पास हो गया तथा संशोधन भी पास होगा परन्तु संशोधित हुआ नियम सदन के सामने अनुसमर्थन के लिये आयेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा संशोधित नियम कानूनी तथा संविधानिक रूप से उचित होगा।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जब संकल्प द्वारा संशोधन किया जायगा तो अधिसूचना संशोधित रूप में जारी होगी।

श्री हिम्मतसिंहका : कुछ सदस्यों के मन में निराधार डर है। कानूनी स्थिति यह है कि सभा पटल पर अधिसूचना रखने के बाद यदि 30 दिन कोई संशोधन नहीं हुआ तो यह जारी हो जायेगा और यदि संशोधन हो गया तो संशोधित रूप में जारी होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 324 की उपधारा (4) के अनुसरण में उक्त अधिनियम की धारा 324 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रस्तावित प्रारूप अधिसूचना में, जो 1 नवम्बर, 1966 को सभा पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित रूपभेद किया जाय, अर्थात् :—

" 1 जनवरी, 1967" **के स्थान पर** "2 अप्रैल, 1967" **रखा जाये।**

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 60 ; विपक्ष में 17

Ayes 60; Noes 17.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : माननीय विधि मंत्री को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज सभा की बैठक 5 बजे तक चले और विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष से संबन्धित प्रस्ताव आज ले लिया जाये क्योंकि मैं कल वहा उपस्थित नहीं रहूंगा । चोर बाजारी करने वालों को चुनाव लड़ने से वंजित करने के बारे में मेरा संशोधन भी कल ही ले लिया जाये ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय एक-एक करके अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1966 में संशोधन संख्या 63 पर जो 23 नवम्बर 1966 को सभा द्वारा स्वीकार किया गया था लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

कल श्री दीक्षित ने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया था । मेरे संशोधन का तात्पर्य केवल एक व्याख्या को जोड़ना था परन्तु श्री दीक्षित का संशोधन कुछ अधिक व्यापक था । उचित प्रक्रिया यही थी कि पहले श्री दीक्षित के संशोधन पर मतदान लिया जाता और यदि उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता तो मेरा संशोधन अपने आप अस्वीकार हो जाता । परन्तु हुआ यह है कि मतदान मेरे संशोधन पर लिया गया है और वह संशोधन स्वीकार कर लिया गया है ।

सभापति महोदय : उचित प्रक्रिया यह थी कि आप श्री दीक्षित के संशोधन को देखते हुए अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जब तक नियम 338 को निलम्बित नहीं किया जाता मैं अपना दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री कामत के संशोधन पर एक स्थानापन्न संशोधन रखा गया था जो कि हमें स्वीकार था । परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत ही नहीं किया है । मेरा निवेदन केवल इतना है कि नियम को कुछ विशेष अवसरों पर ही निलम्बित किया जाना चाहिए । इस मामले में इस नियम को निलम्बित करने की आवश्यकता मंत्री द्वारा गलती की जाने के कारण उत्पन्न हुई है । इसलिए मैं इस नियम के निलम्बन का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : : इस विषय को हम लेंगे ।

विद्यार्थियों में असंतोष तथा हाल ही के महीनों में हुई गड़बड़ी के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION *RE* STUDENT UNREST AND TROUBLE IN RECENT MONTHS—*Contd.*

श्री खाडिलकर: प्रस्तावक द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है। परन्तु इनसे विद्यार्थियों में असंतोष की स्थिति का वास्तविक पता नहीं लगता है। हमें इस समस्या पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक संदर्भ से विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष को देश में फैले असंतोष से अलग नहीं किया जा सकता। हमने देश में शान्तिमय क्रान्ति लाना आरम्भ कर दिया है। पुराना सामाजिक ढांचा बदलता जा रहा है। समाज में एकता लाने वाली शक्तियां क्षीण हो रही हैं। हमें समस्या के इस पहलू का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों में एक बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको अपनी संस्कृति आदि की कोई पृष्ठभूमि मालूम नहीं है। इस प्रकार हमें समस्या की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर ही इसका हल ढूंढना चाहिए।

निहित हितों वाले लोगों को विद्यार्थियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि विद्यार्थियों को समाज में हो रही घटनाओं से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता परन्तु नेताओं को एक आचरण संहिता बनानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन होता रहे। नेतृत्व में नैतिकता के हनन से विद्यार्थियों में कुछ गड़बड़ी शुरू हो गई है * हम सभा भवन में ही प्राधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और इससे बाहर वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरे विचार में श्री खाडिलकर कुछ ऐसी बात कहना चाहते थे जो सुनने योग्य थी। आप सहमत होंगे कि उन्होंने जो कहा है वह पूर्णतया गलत था और उससे अध्यक्ष पर आक्षेप आता है। इसीलिए उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री खाडिलकर: वरिष्ठ व्यक्तियों तथा नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक जीवन को शक्ति प्रदान करें और नैतिक शक्तियों के पतन को रोकने की ओर ध्यान दें। समाज में नैतिक आदर्शों को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए।

सभी प्रशासनिक सुधारों के बावजूद भी विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। हमें उनके समक्ष अनुशासन के उदाहरण रखने चाहिए तथा उनमें आदर्शवाद की भावना उत्पन्न करनी चाहिए।

श्री कर्णीसिंहजी (बीकानेर) : मैं विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष सम्बन्धी चर्चा का स्वागत करता हूं। हमें इस समस्या पर राजनीतिज्ञों के नाते नहीं बल्कि माता-पिता के नाते विचार करना चाहिए।

शिक्षा पर होने वाला व्यय बहुत बढ़ गया है। देश में शिक्षा को प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लोगों को

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

*Expunged as ordered by the chair.

शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सकें। इससे हमारे सामाजिक लक्ष्य भी प्राप्त हो सकेंगे और विद्यार्थियों को भी शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ेगा।

विद्यार्थियों में असंतोष का एक कारण यह भी है कि उनको अपना भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है। उनको यह विश्वास नहीं है कि शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उन्हें रोजगार मिल सकेगा। इस बारे में भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और नवयुवकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किये जाने चाहिएं।

विद्यार्थियों में फैले असंतोष का एक अन्य कारण यह भी है कि लड़के तथा लड़कियों को सिफारिश के बिना स्कूलों, कालेजों, विशेषकर तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जाना चाहिए।

देश में राजनीतिज्ञों द्वारा अपने हितों के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु हम लोग ऐसा करते समय यह भूल जाते हैं कि हम राजनीतिज्ञ होने के अतिरिक्त माता-पिता भी हैं। वर्तमान समस्या समूचे देश की समस्या है। सभी राजनीतिज्ञों की बैठक समवेत होनी चाहिए जिसमें उनको इस प्रकार का कोई समझौता करना चाहिए कि राजनीतिक हितों के लिए विद्यार्थियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

कल इस बात का उल्लेख किया गया था कि स्वतंत्रता आन्दोलन में कांग्रेस द्वारा विद्यार्थियों का प्रयोग किया गया था। यदि हम इस बात पर सावधानी से विचार करें तो मालूम होगा कि स्वतन्त्रता की लड़ाई विभिन्न परिस्थितियों में लड़ी गई थी। अब हमारा देश स्वतन्त्र है। इसलिए विद्यार्थियों को अपना ध्यान शिक्षा की ओर लगाना चाहिए। विद्यार्थियों को राजनीति में घसीटना उचित नहीं है।

यदि विद्यार्थियों को अध्ययन का उचित अवसर प्रदान किया जाये तो वे उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी लोकतंत्र से प्यार करते हैं और वे इसमें परिवर्तन के इच्छुक नहीं हैं।

गृह-कार्य मंत्री ने जिस प्रकार दिल्ली में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मुकाबला किया है उसकी समूचे देश में प्रशंसा की गई है। उस स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला किया गया। ऐसी परिस्थितियों का इसी प्रकार मुकाबला किया जाना चाहिए।

विद्यार्थी समाज के उपयोगी अंग हैं इसलिए उनका ठीक प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि चुनाव जीतने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसा करना देश तथा समाज की कुसेवा करना होगा। युवकों में उद्देश्य तथा राष्ट्र निर्माण की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए।

इस समय देश की स्थिति तथा विशेषकर शान्ति और विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि चाहे कोई भी सरकार हो उसको इस स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए। नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि देश में स्वस्थ परम्पराओं के विकास के लिए हम सरकार का पूरा-पूरा समर्थन करें।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : स्थिति का प्रत्येक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का यत्न किया गया है। पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के साथ भी इस बारे में बातचीत की गई है।

जब कभी भी सरकार द्वारा दृढ़ता से कार्यवाही की जाती है तो उसकी न्यायिक जांच की मांग की जाती है। कड़ी कार्यवाही में केवल नागरिकों के जीवन की ही नहीं, अपितु पुलिस कर्मचारियों के जीवन की भी हानि होती है।

इसलिये जांच में केवल पुलिस की ज्यादतियों पर ही नहीं अपितु इस प्रश्न के सभी पहलुओं, यथा कौन-कौन से तत्व इसके पीछे काम कर रहे हैं और किन लोगों ने इसे आयोजित किया है आदि पर विचार किया जाना चाहिये और जांच सर्व-व्यापक होनी चाहिये।

छात्र राष्ट्र के अंग हैं। राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रवाह में केवल नागरिक ही नहीं अपितु छात्र समुदाय भी बहता है। छात्रों का राजनीति में भाग लेना कोई बुरी बात नहीं है। उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये किन्तु इतना जरूर है कि इस कार्य में उन्हें बुद्धिमानी से भाग लेना चाहिये।

देश में आज ऐसी स्थिति है कि जब कभी जलूस तथा प्रदर्शन होते हैं, तो उनमें हमेशा ही हिंसात्मक कार्यवाहियां होती हैं। इसका जरूर कोई कारण है। देश में आज एक भावना व्याप्त है, और जो यथार्थ है, कि सरकार केवल हिंसा की भाषा समझती है और किसी मांग को पूरी करवाने के लिये हिंसात्मक तरीका अपनाना जरूरी है। गृह-कार्य मंत्री को ऐसे प्रयत्न तथा उपाय करने चाहिये जिनसे इस प्रकार की भावना दूर हो जाये। सरकार को ऐसी कोई भी मांग नहीं माननी चाहिये जिसमें धमकी और हिंसा का सहारा लिया गया हो चाहे वह कितनी ही वास्तविक और न्यायसंगत क्यों न हो, अन्यथा स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा।

नैतिक आदर्शों और अनुशासन का भी एक प्रश्न है। भारतीय समाज में अध्यापकों का सदैव ऊंचा तथा सम्मानप्रद स्थान रहा है। किन्तु आज अध्यापक का आदर न तो समाज करता है और न ही सरकार। अध्यापक की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना आवश्यक है।

विद्यार्थी आदर्शवादी होता है। अनुसरण करने के लिये उसके सामने कोई आदर्श होना चाहिये। किन्तु आज सभी आदर्शों का ह्रास हो गया है और हो रहा है। विद्यार्थियों में असन्तोष का सबसे बड़ा कारण यही है।

विश्वविद्यालयों के उप-कुलपति प्रतिष्ठा तथा ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहियें तथा ऐसे व्यक्ति होने चाहियें जो विद्यार्थी समाज का नेतृत्व कर सकें।

श्री जी० भा० कृपलानी (अमरोहा) : स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अनेक सुधार-आन्दोलन चले थे और प्रत्येक आन्दोलन में शिक्षा की योजना थी। दयानन्द सरस्वती के समय से ये आन्दोलन आरम्भ हुए। सुधार आन्दोलन के अनुसरण में राष्ट्रीय स्कूल तथा कालेज खोले गये जिनमें कुछ आदर्श रखे गये थे जिनका विद्यार्थी पालन करते थे और नेता लोग अथवा सुधारक लोग विद्यार्थियों को काबू में रखते थे। जब हमें शासन सत्ता मिली, तो हमने सोचा कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद अब सभी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा हो गई है। हमने इस समस्या को किसी प्रकार भी हल नहीं किया। हमने पाठ्य-पुस्तकों तथा पाठ्यक्रमों की समस्या हल नहीं की और न ही शिक्षा का कोई लक्ष्य निर्धारित किया।

आज हमारी शिक्षा का न तो कोई आदर्श है और न ही कोई ध्येय। गांधी जी ने शिक्षा का रचनात्मक कार्यक्रम निर्धारित किया था। हमने तो लोगों को यह भी नहीं बताया कि स्वतन्त्रता का महत्व क्या है और स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये प्रत्येक पीढ़ी की बलिदान करने पड़ते हैं। हमने लोगों की उपेक्षा की है, नेता लोग अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रहे हैं और उनका नैतिक प्राधिकार सर्वथा विफल रहा है। पुलिस किस तरह काम करती है? वह लोगों पर गोली चलाना और लाठी चलाना जानती है और लोगों के साथ निर्दयता का व्यवहार करती है क्योंकि उसे ऐसा ही प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकांश उप-कुलपतियों का चुनाव शिक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि राजनैतिक कारणों से किया जाता है। सरकार की जी-हजूरी करने वाले व्यक्तियों को ही कुलपति नियुक्त किया जाता है। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि विद्यार्थी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते और न उनका सम्मान ही करते हैं।

कांग्रेसियों का यह कहना निरर्थक है कि विरोधी अथवा प्रतिपक्षी दलों का दूषित प्रभाव पड़ता है। यदि कांग्रेस के लोग, जिनका बहुमत है, यह दावा करते हैं कि लोगों ने उन्हें मान्यता दी है और अपना प्रतिनिधि चुना है, तो विद्यार्थियों तथा जनता पर प्रतिपक्षी दलों की अपेक्षा उनका प्रभाव अधिक होना चाहिये। किन्तु कांग्रेस दल अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा है और जो उसे करना चाहिये था, वह उसने नहीं किया। सत्ताधारी दल के पास प्रचार के सभी सरकारी साधन तथा माध्यम होते हुए भी उनकी स्थिति उपहासजनक है और यही कारण है कि विद्यार्थियों में क्षोभ है तथा वे असन्तुष्ट हैं।

छात्र संघ के लिये अनिवार्य चन्दे की जो अमीर तथा गरीब छात्रों से बराबर राशि में वसूल किया जाता है, प्रणाली अवांछनीय है। छात्र चुनावों पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, जैसे हम चुनावों पर करते हैं और निर्वाचित होने पर वे इस निधि से धन का अपव्यय करते हैं और खाने खिलाने मे धन उड़ाते हैं तथा कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते हैं। सरकार ने इन छात्र संघों को नर्म मजदूर संघ बना दिया है।

कुछ ऐसे स्कूल हैं, जिन्हें पब्लिक स्कूल कहा जाता है। वास्तव में ये स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं बल्कि पंजीपतियों के स्कूल हैं। इन स्कलों मे हम नेताओं की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जिनका अपने समाज से कोई सम्बन्ध नहीं होता और जिनका एक अलग ही वर्ग बन गया है। समाजवाद में विश्वास रखने वाले देश में इस प्रकार की शिक्षा का दिया जाना प्रजातन्त्र-वाद के प्रतिकूल है। हमें अपनी शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये। प्रजातन्त्रीय समाज में कुलीनतंत्रीय शिक्षा नहीं चल सकती। हम उनके सामने कोई आदर्श नहीं रख रहे हैं और न हम ही किन्ही आदर्शों का पालन अथवा अनुसरण कर रहे हैं। अतः इन पब्लिक स्कूलों को समाप्त करना जरूरी है।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): इसमें कोई सन्देह नहीं कि इतिहास हमारी पीढ़ी को इस बात के लिए दोषी ठहरायेगा कि हम विद्यार्थियों की समस्याओं को अच्छी तरह हल करने में असफल रहे हैं और हमने उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार नहीं किया जो देश के भावी नेतृत्व के लिए अपेक्षित है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यह कहना बहुत आसान है कि हमारे देश के विद्यार्थियों में आज जो असन्तोष व्याप्त है उसके लिए आगामी चुनाव अथवा विश्व की वर्तमान प्रवृत्तियां जिम्मेदार हैं। यह कहना भी काफी हद तक सच है कि विद्यार्थियों के लिए हम शिक्षा का उचित वातावरण तैयार करने में असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप ये उपद्रव हो रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कक्षाओं

[श्रीमती रेणुका राय]

तथा स्कूलों और कालेजों के परिसरों में अत्यधिक भीड़-भाड़ का होना, छात्र तथा अध्यापकों का समुचित अनुपात न होना, स्वास्थ्य-सुविधाओं तथा छात्रावास की सुविधाओं का अभाव अधिकांश विद्यार्थियों के घरेलू वातावरण की कठिनाइयां तथा उनमें से अधिकतर छात्रों को, योग्यता के आधार पर भी विश्वविद्यालयों में प्रवेश न मिलना, शिक्षा तथा रोजगार के बीच पारस्परिक सम्बन्ध का अभाव, उचित मार्ग दर्शन तथा परामर्श-सेवाओं का अभाव—ये सभी बातें शिक्षा के वातावरण को दूषित करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि समूचे तौर पर विद्यार्थी समुदाय के बारे में ये बातें सच हैं किन्तु यह अनुभव करना जरूरी है कि इन उपद्रवों में आधे से अधिक छात्रों का कोई हाथ नहीं है और वे इनसे अलग हैं। उनका इन उपद्रवों से कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु यह कितनी विचित्र बात है कि उनमें से कुछ विद्यार्थी जिनका इनमें कोई हाथ नहीं है केवल उपद्रवों में ही नहीं अपितु वातावरण को बदलने में भी सहयोग दे रहे हैं ।

अध्यापक तथा छात्रों, मां-बाप तथा बच्चों और राजनीतिज्ञों तथा देश के युवकों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध सबसे महत्वपूर्ण बात है । उनके बीच बहुत बड़ी खाई है और यही कारण है कि आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां हम विद्यार्थियों को समाज-विरोधी कार्यवाहियां करते हुए पाते हैं। अनुशासन बचपन से घर में बनाये रखने की जरूरत है यदि माता अनुशासन नहीं जानती और पिता खुद ही अनुशासन में नहीं रहता और बच्चे के अनुशासन को नहीं बनाये रखता तो बच्चे को अनुशासन में रखना अध्यापक के लिए और भी अधिक कठिन हो जाता है तथा समाज उस बच्चे को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकता । यह एक ऐसी समस्या है जिसे इसकी जड़ से अर्थात् स्कूल तथा कालेजों और समाज से हल करना जरूरी है। दुख है कि इस कार्य में हमारी पीढ़ी बुरी तरह असफल रही है ।

दोष हमारा सबसे बड़ा तो यह है कि आज भी जब कि हम इस विषय पर सभा में इतनी अधिक चर्चा करते हैं हमने अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा आरम्भ नहीं की है जिसके द्वारा हर लड़के तथा लड़की को राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए काम में लगाया जा सकता और उनमें सह-भागिता की भावना आ सकती । तथाकथित स्वतंत्र विश्व के देशों तक में राष्ट्रीय सेनाएं हैं । अवश्य ही राष्ट्रीय सेवा के लिए हमारे नव-युवकों के भावी कल्याण के लिए अब भी हम प्रत्येक युवक की योग्यता तथा रुचि के अनुसार किसी प्रकार की राष्ट्रीय-सामाजिक सेवा आरम्भ कर सकते हैं ताकि वे ऐसे नागरिक बन सकें जो देश के भविष्य का उचित ढंग से निर्माण करने योग्य बन सकें ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : आज कुछ नवयुवकों में उपद्रवकारी प्रवृत्ति व्याप्त हो गई है जो चिन्ता की बात है किन्तु इसके साथ-साथ वास्तविक स्थिति यह है कि असन्तोष तथा व्यग्रता की स्थिति जो हम आज नवयुवकों में पाते हैं वह केवल हमारे ही देश में नहीं अपितु विश्व के अन्य भागों में भी विद्यमान है । लेकिन अन्तर इतना है कि वहां असन्तोष को किसी प्रकार की रचनात्मक दिशा देने के अवसर प्राप्त हैं जब कि दुर्भाग्यवश हमने अपने देश के नवयुवकों को ऐसे अवसर प्रदान नहीं किये हैं ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले बीस वर्षों के विकास के युग में सबसे अधिक कष्ट मध्यम वर्ग को उठाना पड़ा है और विद्यार्थी इसी मध्य वर्ग के होते हैं । इस वर्ग को अत्यधिक आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और इस कारण विद्यार्थियों में निराशा तथा अपने प्रति किये गये अन्याय की अनुभूति ज्यादा आ गई है ।

नवयुवकों में परिवर्तन लाने की भावना बड़ी तीव्र होती है। यह प्राकृतिक बात है। प्रश्न यह है कि इस समुदाय के साथ किस नीति से काम लिया जाये। उनके विरुद्ध बल प्रयोग करने के बजाय हमें यह देखना चाहिएं कि उनकी बुनियदी कठिनाइयां क्या हैं और उनकी रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्तिके लिए हमें यथोचित अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस बात को तो सदस्य गण पहले ही जोरदार शब्दों में व्यक्त कर चुके हैं कि स्कूलों तथा कालेजों में भेद-भाव तथा अन्याय होता है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का निरन्तर अतिक्रमण किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं। यदि वहां अन्याय है तो फिर अनुशासन भी नहीं रह सकता। अनुशासन तो तभी रहेगा जब कि वहां नियमों का उचित रूप से पालन होता रहे।

हम नवयुवकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं चाहते और उसे बहुत अधिक सीमित करना भी नहीं चाहते। किन्तु वह स्वतंत्रता विनियमित होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सदा यही होना चाहिये कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिसमें हम कम से कम पाबन्दी लगाकर विधि तथा व्यवस्था कायम रख सकें।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, शिक्षा से मेरा सम्बन्ध है और मैं एक दल का सदस्य हूं ।

श्री म० रं० कृष्ण: अनुशासन से चलने वाले व्यक्तियों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री हेम बरुआ :***

सभापति महोदय : मुझे दुख है कि श्री हेम बरुआ जैसे संसद-कार्य विज्ञ . . . **(अन्तर्बाधा)**

सभापति महोदय : उनसे कैसे निपटना है यह मैं जानता हूं।

श्री हेम बरुआ :***

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री हेम बरुआ : मैं बाहर जा रहा हूं।

इसके पश्चात श्री हेम बरुआ सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Hem Barua then left the House.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Students are rising up against social injustice quite often today. They have a feeling that the Government bows down before force rather than before the justiciability of a cause. Two days back five students of Delhi University arrested in connection with the students' march of November, 18 were released from jail and the cases against them were withdrawn. But a number of students in Orissa, West Bengal, Uttar Pradesh and Gujarat are still behind the bars. The Delhi students were released because of apprehension of a strike in Delhi colleges. Such a discrimination has a very bad effect on the minds of students.

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।
Expunged as ordered by the Chair.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

It is a common experience that students from ordinary families have no chance of admission to colleges and universities. But sons and daughters of ministers, even after failing in the examination, manage to go abroad for studies. Such things produced very undesirable effect on students' minds. Percentage of failures in examinations in India is very high.

[श्री सोनावनें पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair.]

Failures cause frustration among young students. There are inadequate facilities for higher education in our country, particularly in those parts which are inhabitated by the poor. It causes resentment among the people.

In Kashi Vishwavidyalaya the number of students has not increased despite increase in the population of the country. This University serves the area inhabitated by the poor people. Today, this University should have at least 25 thousand students in its rolls.

Those who are in authority are becoming millionaires or multimillionaires. Though the mystery of their being millionaires or multimillionaires are open secrets, but no action is being taken against them. Last time when I went to Calcutta, I saw that the villa of such a person was under construction, whose case has been referred to here many a time. He is becoming richer and richer day in and day out. If a young man sees all these things, definitely he will think to earn money by fair means or foul. He will think that the call of the hour is only to have money and nothing else. There is too much disparity in our society and this dispartity is giving birth to animosity indications of which are being seen here and there. I would like to say that this animosity will increase manifold, because upto now girls and persons belonging to backward classes and scheduled castes have not come in the fore front, but a day will come when all these persons and especially the girls will come to the forefront. In our society great injustice is being done to girls and they are being subjected, but a day would come, when all those girls will have to resort to direct action. We have seen in European countries that ladies had struggled for their rights and due respect in society and that day is not far off in India also when the girls of this country would form a part of revolution army.

I want to warn the Government that the new generation of our country is becoming fearless. It may be said that the moral standard of an Indian youth has gone down, he has started telling lies, he is no longer interested in his studies and his behaviour is also not up to the mark, but there is one marked improvement in him *i.e.*, he has become fearless. So I want to warn the Government that they should try to suppress the youths with force. No force can suppress them, if they revolt. All our students, farmers, harijans, girls and scheduled tribe people have become fearless and it is impossible to supress them with force.

Favouritism, and corruption have entered in our schools and colleges. I want to give you an instance of a school in Delhi in which two students who failed badly in their examination as they obtained only 223 and 241 marks, were later declared successful by awarding them 274 and 279 marks respectively. I am laying the paper relating to those students on the Table of the House.

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: I have got the right to do so, and I want to lay that paper on the Table.

सभापति महोदय : बहुत अच्छा, इसे सभा पटल पर रखा जाये ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस पत्र के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसे अभिलेख में शामिल किये जाने से पहले हमें दिखा दिया जाये ।

सभापति महोदय : हां ।

Dr. Ram Manohar Lohia: So I was stating how the results of the exami- student of today is being suppressed, demoralised, defamed and humiliated. for the sake of money or relation. I want to stress that such things have a very bad effect on the minds of the young children.

The situation of our country has worsened to a dangerous proportion. The student of today is being suppressed. demoralised, defamed and humiliated. He does not know what to do or what not to know. There is great injustice in our society. There is no alternative left except that that the students' movements and other movements may be intensified to the extent that the present set up of our society, based on injustice goes to pieces so that a new shape may be given to it.

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : सभापति महोदय, आज देश में छात्रों में जो असंतोष फैला हुआ है, वह सामान्य असंतोष का ही एक अंग है । आचार्य कृपालानी ने इस असंतोष की जिम्मेदारी मुख्य रूप से कांग्रेस दल—सत्ताधारी दर पर डाली है। मैं भी उन से सहमत हूं कि सत्ताधारी दल होने के नाते देश में जो कुछ होता है, उस की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल पर आती है। परन्तु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस सामान्य असंतोष के फैलाने में अन्य दलों का भी हाथ है । केवल कांग्रेस दल अथवा सरकार की असफलता और भूल के कारण ही देश में सामान्य असंतोष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। बल्कि कुछ अन्य राजनैतिक दलों की गतिविधियों के कारण भी हुई है, जिन्होंने विकास शील समाज से सम्बन्धित कुछ परिस्थितियां से लाभ उठा कर सामान्य असंतोष तथा अराजकता फैलाने का प्रयत्न किया है ।

यह कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति घुस गई है । मैं उस पीढ़ी से हूं जिस पीढ़ी के छात्रों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया था, परन्तु हम ने शैक्षिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा प्राध्यापकों के आदेशों की कभी अवहेलना नहीं की थी, हम ने सदा उन की आज्ञा का पालन किया था। हम ने तो केवल विदेशी सत्ता के उन्मूलन के लिये कार्य किया था ।

आचार्य कृपालानी ने ठीक कहा है कि जितने भी आन्दोलन सुधार के लिये किये गये थे, उन सब आन्दोलनों में शिक्षा सुधार के आन्दोलन भी सम्मिलित थे । मझे याद है कि राजा राम मोहन राय तथा श्री विद्या सागर के समय से जितने भी आन्दोलन हुए हैं, उन के परिणाम स्वरूप शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है । गांधी जी ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली आरम्भ की थी । स्वतंत्रता-प्राप्ति से अब तक हम ने शिक्षा का भारी विस्तार किया है, परन्तु दुर्भाग्य से हमने संख्या बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दिया है और किस्म की ओर उतना ध्यान नहीं दिया । गांधी जी ने जो शिक्षा प्रणाली

[श्री अ० चं० गुप्त]

आरम्भ की थी, हम ने लगभग उस को बिल्कुल छोड़ दिया है । यदि गांधी द्वारा चलाई बुनियादी शिक्षा, हमारी प्राथमिक शिक्षा का आधार होती तो देश में शिक्षा को और हमारे छात्रों को इतनी बुरी दशा नहीं होती । तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 20 नये विश्वविद्यालय खोले गये हैं --तथा लगभग 70 से 80 नये कालेज खोले गये हैं मुझे इनको ठीक ठीक संख्या याद नहीं है, परन्तु शिक्षा आयोग ने जो सूची प्रस्तुत की है उसमें उन सब का ब्यौरा दिया हुआ है । इस से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा पर अधिक रुपया खर्च किया गया है और उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया गया है । नये नये विश्व-विद्यालय अथवा कालेज खोले गये, परन्तु प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई जो कि वास्तव में शिक्षा का आधार हैं । यद्यपि अब लगभग प्रत्येक गांव में प्राथमिक शिक्षा आरम्भ हो गई है, फिर भी यदि प्राथमिक शिक्षा की किस्म की जांच कराई जाये तो यह पता चलेगा कि बहुत से प्राथमिक विद्यालयों का तो केवल नाम ही विद्यमान हैं । इन विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं ।

हम अध्यापकों के प्रशिक्षण को बहुत महत्व देते हैं । और यह आवश्यक भी है परन्तु केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है । अध्यापकों का प्रशिक्षण केवल यांत्रिक ही नहीं होना चाहिये परन्तु ऐसा होना चाहिये जिससे उन में एक नया दृष्टिकोण पैदा हो । आज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिस से अध्यापकों में नया दृष्टिकोण पैदा हो सके ।

इस समय छात्र सब प्रकार के उत्पात कर रहे हैं । वे बसों को जला देते हैं, बिना टिकट यात्रा करते हैं, लड़कियों को सताते हैं, सनिमा घरों पर धावा बोल देते हैं और यहां तक हद से गुजर जाते हैं कि पालिस वालों अथवा ड्राइवरों के पेसे देने के बारे में भी उत्पांत खड़ा कर देते हैं । ये सब उत्पात, झगड़े अथवा दंगे करना छात्रों का काम नहीं है । इस समय वे जो उत्पात कर रहे हैं वह विधि हीनता तथा प्राधिकार की उपेक्षा का ही एक अंग है और इस लिये इसे कानून एवं व्ववस्था की समस्या के रुप में निपटाया जाना चाहिये । छात्रों के उत्पात को रोकने के लिये 18 नवम्बर, को जो कुछ सरकार ने किया वह सराहनीय है क्योंकि इस से न केवल नगर में विधि एवं व्यवस्था कायम रखी गई, बल्कि छात्रों को भी समाज विरोधी कार्य करने से बचा लिया गया । पुलिस पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि वह शिक्षा संस्थाओं में घुस कर छात्रों के साथ ज्यादतियां करती हैं, क्योंकि पुलिस तो केवल शिक्षा अधिकारियों के कहने पर ही शिक्षा संस्थाओं में घुसती है और वह कानून को अपने हाथ में लेने के लिये कभी पहल नहीं करती है । हमारे शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन के अधीन विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं की पवित्रता को दूषित नहीं करेंगे तथा समाज विरोधी गतिविधियां चलाने के लिये या समाज विरोधी कार्यवाहियों करने के पश्चात शरण लेने के लिये इन संस्थाओं का उपयोग नहीं करेंगे । यदि वे यह सुनिश्चित कर सकें तभी वे पुलिस को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने से मना कर सकेंगे ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से आयोगों का गठन किया है । पहले राधाकृष्णन आयोग नियुक्त किया गया तथा तदुपरान्त मुदालियर आयोग और अभी प्रथम आयोग की 25 प्रतिशत सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है, कि कोठारी आयोग

ने बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश कर दी है। अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार के लिये उन सिफारिशों को आगामी बीस वर्षों में भी क्रियान्वित करना संभव नहीं है । अतः विद्यार्थियों और शिक्षकों को यह बात समझ लेनी चाहिये कि उन्हें अपनी मांगों को देश में उपलब्ध संसाधनों तक ही सीमित रखना चाहिये। छात्र हमारे इतिहास के भावी निर्माता हैं। हमें उन के साथ उदारता एवं दयालुता का बर्ताव करना चाहिये, परन्तु उन्हें भी राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रख कर व्यवहार करना चाहिये।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै): वर्तमान छात्र असंतोष के कारणों का विश्लेषण करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने मत व्यक्त किया है कि वर्तमान छात्र असंतोष का कारण छात्रों में व्यापत निराशा, जीवन के प्रति ग्लानी तथा घृणा की भावना है । परन्तु मैं यह सब मानने के लिये तैयार नहीं हूं। स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों ने सोचा था कि अब उन की समस्याओं को राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हल किया जाये। राष्ट्रीय नेताओं में विश्वास होने के कारण उन्होंने ऐसे सब आन्दोलनों को खत्म कर दिया, जैसे कि आज कल किये जा रहे हैं। परन्तु उनकी आशाओं पर पानी फिर गया और 20 वर्ष के अनुभव के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय नेताओं के सहारे छोड़ना बेकार है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): The hon. Member is speaking, but there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घण्टी बजाई जा रही है । सभा में गणपूर्ति नहीं है । पुनः घण्टी बजाई जाये। अब भी सभा में गणपर्ति नहीं है । सभा को स्थगित किया जाये।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 25 नवम्बर, 1966/4 अग्रहायण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 25th November, 1966/Agrahayana 4, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2404 (D) LS—19-9-67—565